CONTENTS

Sixteenth Series, Vol.VI, Third Session, 2014/1936 (Saka) No.15, Friday, December 12, 2014/Agrahayana 21, 1936 (Saka)

SUBJECT	PAGES
REFERENCE BY THE SPEAKER Anniversary of terrorist attack on Parliament House on 13 th December, 2001	2
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS *Starred Question Nos.281 to 285	5-22, 27-49
SUBMISSION BY MEMBERS Re: Remarks made by a Member in the House glorifying the assassin of the Father of the Nation	23-26
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS Starred Question Nos.286 to 300	50-109
Unstarred Question Nos.3221 to 3450	110-578

_

 $^{^{*}}$ The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	579-586
ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER Nominations to Panel of Chairpersons	587
STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM	
AND CULTURE 214 th to 216 th Reports	587-588
BUSINESS OF THE HOUSE	588-592
REFERENCE BY THE SPEAKER Declaration of 21 st June as International Day of Yoga by United Nations General Assembly at their 69 th Session	593
ELECTION TO COMMITTEE Court of Aligarh Muslim University	594
COMPANIES (AMENDMENT) BILL, 2014	595
STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF COAL MINES (SPECIAL PROVISIONS) ORDINANCE, 2014 AND	506 674
COAL MINES (SPECIAL PROVISIONS) BILL, 2014	596-674
Shri Jyotiraditya M. Scindia	596-604
Shri A. Arunmozhithevan	605-607
Shri Kalyan Banerjee	608-612
Shri Tathagata Satpathy	613-621
Shri Krupal Balaji Tumane	622-623
Shri M. Murli Mohan	624-626
Shrimati Kavitha Kalvakuntla	627-630
Shri Jitendra Chaudhury	631-634
Shri Mekapati Rajamohan Reddy	635-636
Shri Hukum Singh	637-639
Shri Sher Singh Ghubaya	640-641

	Shri l	Rajesh Ranjan	642-643
	Shri '	Tamradhwaj Sahu	644-646
	Shrin	nati Anupriya Patel	647-648
	Shri l	Kaushalendra Kumar	649-650
	Shri l	Rattan Lal Kataria	651-652
	Shri l	Dushyant Chautala	653-654
	Shri l	Dharam Vira Gandhi	655
	Shri	Sharad Tripathi	656-657
	Shri .	Adhir Ranjan Chowdhury	658-659
	Shri l	Piyush Goyal	660-664
	Statu	tory Resolution –Negatived	666
	Claus	ses 2 to 33 and 1	666-674
	Mo	tion to Pass	674
N / I	OTION I	DE. THIRD DEPORT OF COMMITTEE	(75
10	N PRIVA	RE: THIRD REPORT OF COMMITTEE TE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS	675
10	N PRIVA		675 676-698
10	N PRIVA	TE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS	
10	N PRIVA	MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS MEMBERS' BILL-Introduced Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2014 (Insertion of new section 3A).	676-698
10	N PRIVA RIVATE	MEMBERS' BILL-Introduced Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2014 (Insertion of new section 3A). (By Shri Vincent H. Pala) Nursing Profession (Abolition of Service Bond and Miscellaneous Provisions) Bill, 2014	676-698 676
10	N PRIVA RIVATE (i) (ii)	MEMBERS' BILL-Introduced Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2014 (Insertion of new section 3A). (By Shri Vincent H. Pala) Nursing Profession (Abolition of Service Bond and Miscellaneous Provisions) Bill, 2014 (By Shri Anto Antony) Constitution (Amendment) Bill, 2014 (Amendment of the Eighth Schedule)	676-698 676 676

12.12.2014 4

(v)	Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2014 (Amendment of section 5) (By Shri P. Karunakaran)	677-678
(vi)	Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Amendment Bill, 2014 (Amendment of section 26, etc.) (By Shri M.K. Raghvan)	678
(vii)	Drugs (Price Control) Bill, 2014 (By Shri M.K. Raghvan)	679
(viii)	Health Insurance Scheme Bill, 2014 (By Shri M.K. Raghvan)	679
(ix)	Constitution (Amendment) Bill, 2014 (Amendment of article 316) (By Shri M.K. Raghvan)	679
(x)	Central Homeopathy University Bill, 2014 (By Shri Kodikunnil Suresh)	679-680
(xi)	Scheduled Castes Hamlets (Provision of Basic Facilities) Bill, 2014 (By Shri Kodikunnil Suresh)	680
(xii)	Commercial Crop Workers (Welfare) Bill, 2014 (By Shri Kodikunnil Suresh)	680-681
(xiii)	High Court at Patna (Establishment of a Permanent Bench at Siwan) Bill, 2014 (By Shri Om Prakash Yadav)	681
(xiv)	Farmers (Old Age Pension) Bill, 2014 (By Shri Om Prakash Yadav)	681
(xv)	Flood Control Bill, 2014 (By Shri Om Prakash Yadav)	682
(xvi)	Armed Forces Covenant Bill, 2014 (By Maj. Gen. (Retd.) B.C. Khanduri AVSM)	682-683

12.12.2014 5

(XV11)	High Court of Jharkhand (Establishment of a Permanent Bench at Dumka) Bill, 2014 (By Shri Nishikant Dubey)	683
(xviii)	Farmers (Protection, Prevention of Suicides and Welfare) Bill, 2014 (By Shri Nishikant Dubey)	683-684
(xix)	Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2014 (Omission of section 353) (By Shri Nishikant Dubey)	684
(xx)	Constitution (Amendment) Bill, 2014 (Amendment of the Seventh Schedule) (By Shri P.P. Chaudhary)	684-685
(xxi)	Constitution (Amendment) Bill, 2014 (Amendment of the Seventh Schedule) (By Shri P.P. Chaudhary)	685
(xxii)	Constitution (Amendment) Bill, 2014 (Amendment of the Seventh Schedule) (By Shri P.P. Chaudhary)	685
(xxiii)	Vegetable Products (Remunerative Support Price and Insurance) Bill, 2014 (By Shri Devji M. Patel)	685-686
(xxiv)	Farmers (Protection from Natural Calamities and Other Welfare Measures) Bill, 2014 (By Shri Devji M. Patel)	686
(xxv)	Fruit and Vegetable Board Bill, 2014 (By Shri Devji M. Patel)	686-687
(xxvi)	Compulsory Medical Preparedness in Schools Bill, 2014 (By Dr. Kirit P. Solanki)	687
(xxvii)	Constitution (Amendment) Bill, 2014 (Amendment of article 243C) (By Maj. Gen. (Retd.) B.C. Khanduri AVSM)	687

(xxviii) Prohibition on Use of Coercive Methods for Recovery of Bank Loans Bill, 2014 (By Dr. Kirit P. Solanki)	688
(xxix) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2014 (Insertion of new section 304AA) (By Dr. Kirit P. Solanki)	688
(xxx) Euthanasia (Regulation) Bill, 2014 (By Shri Bhartruhari Mahtab)	689
(xxxi) Public Records (Amendment) Bill, 2014 (Amendment of section 2, etc.) (By Dr. Shashi Tharoor)	689
(xxxii) Establishment of Permanent Benches of High Courts at State Capitals Bill, 2014 (By Dr. Shashi Tharoor)	689-690
(xxxiii) Good Samaritan (Protection from Civil and Criminal Liabilities) and Miscellaneous Provisions Bill, 2014 (By Shrimati Kirron Kher)	690
(xxxiv) Indian Forest (Amendment) Bill, 2014 (Amendment of section 2) (By Shri Prem Das Rai)	691
(xxxv) Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Abuse (Survey) Bill, 2014 (By Shri Prem Das Rai)	691
(xxxvi) States Reorganisation Commission Bill, 2014 (By Shri Chandrakant Khaire)	692
(xxxvii) Compulsory Voting Bill, 2014 (By Shri Chandrakant Khaire)	692
(xxxviii) Commission for the Formation of the State of Vidarbha Bill, 2014 (By Shri Ashok Mahadeorao Nete)	693

(xxxix) Forest (Conservation) Amendment Bill, 2014 (Insertion of new section 3C) (By Shri Ashok Mahadeorao Nete)	693
(xxxx) Unemployment Allowance Bill, 2014 (By Shri Ashok Mahadeorao Nete)	694
(xxxxi) Civilian Awards (Recommendation Committee) Bill, 2014 (By Shri Ashok Mahadeorao Nete)	695
(xxxxii) Constitution (Amendment) Bill, 2014 (Insertion of new articles 21B, 21C and 21D) (By Shri C.R. Patil)	695
(xxxxiii) Special Financial Assistance to the State of Gujarat Bill, 2014 (By Shri C.R. Patil)	696
(xxxxiv) Abolition of Begging Bill, 2014 (By Shri C.R. Patil)	696
(xxxxv) Electricity (Amendment) Bill, 2014 (Substitution of new section for section 4, etc.) (By Shri Arjun Ram Meghwal)	697
(xxxxvi) Cow Protection Authority Bill, 2014 (By Shri Arjun Ram Meghwal)	697
(xxxxvii) Tourism Promotion Authority Bill, 2014 (By Shri Arjun Ram Meghwal)	698
(xxxxviii) Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Amendment Bill, 2014 (Insertion of new section 16B, etc.) (By Shri Arjun Ram Meghwal)	698
ACID CONTROL BILL, 2014	699-736
Dr. Kirit P. Solanki	699-703

Shrimati Anupriya Patel	704-705
Shri Rajesh Ranjan	706-707
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	708-710
Shri Jagdambika Pal	711-713
Prof. Saugata Roy	714-716
Shrimati Jayshreeben Patel	717-718
Shri Prahlad Singh Patel	719-720
Shri Bhartruhari Mahtab	721-723
Shrimati Meenakshi Lekhi	724-726
Shri Hukmdeo Narayan Yadav	727-728
Shri Bhagwant Mann	729-730
Shri Bhairo Prasad Mishra	731-734
Shri Om Prakash Yadav	732
Shri Rattan Lal Kataria	733
Shri Haribhai Chaudhary	734-736
Dr. Kirit P. Solanki	736
Bill withdrawn	736
SENIOR CITIZENS (PROVISION OF GERIATRIC AND DEMENTIA CARE) BILL, 2014	737-739
Motion to Consider	737
Shri Bhartruhari Mahtab	737-739
ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	760
Member-wise Index to Unstarred Questions	761-765
ANNEXURE – II	766
Ministry-wise Index to Starred Questions	766
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	767

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi
Shri Hukmdeo Narayan Yadav
Shri Anandrao Adsul
Shri Prahlad Joshi
Dr. Ratna De (Nag)
Shri Ramen Deka
Shri Konakalla Narayana Rao
Shri Hukum Singh
Shri K.H. Muniyappa
Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, December 12, 2014/Agrahayana 21, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

REFERENCE BY THE SPEAKER

Anniversary of terrorist attack on Parliament House on 13th December, 2001

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 13 वर्ष पूर्व 13 दिसंबर 2001 को हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के गौरव भारत की संसद को एक कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले का निशाना बनाया गया था। इस हमले को संसद परिसर में ड्युटी पर तैनात हमारे बहादुर एवं सतर्क सुरक्षाबलों ने असफल कर दिया था। दिल्ली पुलिस के पांच सुरक्षाकर्मी सर्वश्री नानकचंद, रामपाल, ओमप्रकाश, विजेंद्र सिंह और घनश्याम, केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल की एक महिला कांस्टेबल श्रीमती कमलेश कुमारी और संसद सुरक्षा सेवा के दो सुरक्षा सहायक सर्वश्री जगदीश प्रसाद यादव और मातबर सिंह नेगी इस हमले का बहादुरी से सामना करते हुए शहीद हो गए थे। इस आतंकवादी हमले में एक कर्मचारी श्री देशराज भी मारे गए थे।

यह सभा 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमले के दौरान संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजिल अर्पित करती है तथा उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। आइए इस अवसर पर, हम सभी प्रकार के आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए नए सिरे से प्रयास करने के अपने संकल्प को दोहराएं और अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अपनी वचनबद्धता को दृढ़ता से व्यक्त करें। अब यह सभा इस अवसर पर शहीदों की पृण्यस्मृति में कुछ देर के लिए मौन खड़ी रहेगी।

11.02 hrs.

The Members then stood in silence for short while.

HON. SPEAKER: Question Hour.

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: There is no rule for suspension of Question Hour. Q.No.281.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: रोज़-रोज़ ऐसा नहीं होता है।

...(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, I have given a notice of Adjournment Motion.... (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Madam, what is your ruling on the Adjournment Motion?... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: There is no suspension of Question Hour. There is no rule.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Suspension of Question Hour and Adjournment Motion from Shri Kaushalendra Kumar and Shri Venugopal. The matters, though important enough, do not warrant interruption of business of the day. The matters can be raised through other opportunities. I have, therefore, disallowed the notices of Adjournment Motion. Under Rule there is no suspension of Question Hour also. So, I am disallowing it.

... (Interruptions)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, they want to politicize everything. The issue has been clarified.... (*Interruptions*)



11.04 hrs.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q.No.281 - Shri Pralhad Joshi.

(Q.281)

SHRI PRALHAD JOSHI: Madam, I have gone through the reply given by the hon. Minister.... (*Interruptions*)

Madam, I have gone through the written reply given by the hon. Minister. I feel whatever has been done in the last few years is quite inadequate... (*Interruptions*).

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन ऑवर के बाद अगर आप कोई विषय उठाना चाहें, तो उठा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। यह रोज-रोज नहीं चलेगा। आई ऐम सॉरी।

...(व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI: The World Health Organisation has predicted that about 20 per cent of India's population would suffer from some form of mental illness by 2020 and by 2025, it would catch up with heart disease or may even overtake it as the biggest health problem... (*Interruptions*)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: गाँधी जी के हत्यारे को अगर आप एक पेट्रिऑट बोलकर सम्मान करते हैं तो यह देश का ही नहीं, सारी जनता का, सभी का अपमान है और इस सदन का भी अपमान है। ...(व्यवधान)

11.06 hrs.

At this stage Shri Rajesh Ranjan, Shri Jyotiraditya M. Scindia, Shrimati Aparupa Poddar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

SHRI PRALHAD JOSHI: If you look at the gravity of the problem, I feel whatever has been done so far is quite inadequate. Only one in 50 people suffering from this problem has access to hospitals for the expert treatment...

(*Interruptions*). Recently, the Human Rights Commission visited Pune and found out that for 1900 patients only 25 toilets were there... (*Interruptions*)

According to me, nuclear families, strained relations, change of working atmosphere among young professionals, circumstances leading to early divorce of young couples and unemployment problem among educated mothers are some of the main causes for depression and mental illness... (*Interruptions*)

So, I would like to know from the Minister whether the Government is going to take measures to create a congenial atmosphere to reduce mental stress among the young professionals. I would also like to know whether the Government is planning to solve the infrastructural problems and look into the non-availability of doctors. What specific measures the Government is going to take in this regard?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: The question is important... (*Interruptions*). Let me first say that the number of persons who are required to treat the patients is absolutely inadequate. In fact, over all we have about 87.12 per cent inadequacy of trained-manpower. However, the figure of 20 per cent population as indicated by the Member is probably not correct. The studies indicate that around 1 to 2 per cent of our population suffers from severe mental disorder and around 5 per cent population suffers from common mental disorder. The main problem is trained manpower for which under the 12th Plan, we have taken 10 centres for excellence and 93 PG training departments which will create a manpower strength of 560 and 1258, totaling to about 1818 new manpower. We are also considering skill training for some of these requirements... (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: Madam, to make infrastructure available to the mental health patients, during the 12th Plan, for the 40 institutions in the country, Rs.30 crore for each institution have been allocated or have been earmarked across the country. But it was not made available to 20 institutions, out of which one is DIMHANS which is in my Constituency. That is in my constituency. The Dharwad Institute of Mental Health and Neuro Science is located in my

constituency. This is the only mental health institution after NIMHANS in Bengaluru in Karnataka... (*Interruptions*) The Government was supposed to allocate funds to DHIMANS under the 12th Five Year Plan but was not made available to this institute. ... (*Interruptions*) I would like to know from the Minister whether the Government is going to allocate funds for DHIMANS during the current Plan period so that the infrastructure of the institute -- in the North Karnataka this is the only of its kind in the region—can be developed and can be made into a centre of excellence for mental health... (*Interruptions*)

SHRI MANOHAR PARRIKAR: During the year 2013-14, a sum of Rs. 83,20,000 has been allocated for Dharwad. ... (*Interruptions*) So far, in the current year, we have released a sum of Rs. 33,28,000. ... (*Interruptions*) We need utilization certificate as well as a request from the State Government concerned for releasing more money. If those come, then we will release more money... (*Interruptions*)

श्री राजेश कुमार दिवाकर : मैडम स्पीकर, जैसा कि विदित है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सन् 2020 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोग अवसाद होगा। अगर अवसाद पर काबू करने के उपाय नहीं किए गए तो हालात इतने बिगड़ जाएँगे कि बड़ी संख्या में मानसिक रोगियों का उपचार विकासशील देश ही नहीं, विकसित देशों की क्षमताओं से भी परे होगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या मानसिक रोगों के बढ़ते हुए मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त श्रम शक्ति और स्वास्थ्य अवसंरचना विद्यमान है? यदि हाँ, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्री मनोहर पर्रिकर: मैडम स्पीकर, पहली बार देश में 10 अक्तूबर को इस सरकार ने मैंटल हैल्थ पॉलिसी 10 अक्तूबर को रिलीज़ की है और मैंटल हैल्थ एक्शन प्लान 365 उसके तहत रिलीज़ किया है। मैं मानता हूँ कि यह काफी सीरियस प्राबलम है क्योंकि इसके बारे में लोग ओपन में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन मैंटल हैल्थ एक्शन प्लान के तहत हम उसके उपाय निकालेंगे। इसमें कुछ देर लगेगी लेकिन काम चालू हो गया है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1125 hours.

11.13 hrs

The Lok Sabha then adjourned till twenty five minutes past Eleven of the Clock.

11. 25 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Twenty Five Minutes past Eleven of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND **URBAN POVERTY** ALLEVIATION **AND** MINISTER PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam Speaker, I have a submission in the matter. Some of our friends wanted to raise an issue and then got the House adjourned. Nobody in this country can accept enticing the people or the person who is responsible for the assassination of Mahatma Gandhi. The Government totally condemns such a statement. That has been conveyed and the hon. Member has clarified it outside the House also. He has also expressed his regrets. ... (Interruptions) आप मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान) कृपया आप बैठ कर मेरी बात स्निए। As far as the Government is concerned and as far as my Party is concerned, we do not agree with that proposition at all. Secondly, the same thing ... (*Interruptions*)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : अध्यक्ष जी, रोज़ एक-एक करके ऐसे बयान आ रहे हैं।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : दीपेन्द्र जी, यह कोई तरीका नहीं है। आप पहले मंत्री जी की बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दीपेन्द्र जी, यह तरीका नहीं है। No, I am sorry. You have to sit down.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभी लोग कहते हैं कि एक के बाद एक बहुत लोग बोलते हैं।

...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैया नायडू: किसकी क्या नीयत है, यह सारे देशवासियों को मालूम है, आप इसकी चिंता मत कीजिए।...(व्यवधान) हर दिन महात्मा गांधी जी की विचारधारा की हत्या करने वाले कौन लोग हैं, यह पूरे देश को मालूम है।...(व्यवधान) The entire country knows as to who are the people who are killing Mahatma Gandhi ideologically everyday. So, do not rake it up....

(Interruptions) I have no problem in asking the hon. Member to express regret. If the Speaker wants, I can also ask the hon. Member to express regret. वे पश्चाताप व्यक्त करेंगे। माननीय सदस्य पहले ही सदन के बाहर पश्चाताप व्यक्त कर चुके हैं।...(व्यवधान) ये लोग इसे राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। ये लोग ऐसा कितने दिनों तक करेंगे? हर रोज़ सदन को नहीं चलने देना, यह अच्छा नहीं है।...(व्यवधान) आपके पास मुद्दा नहीं है। आपको रोज़ ऐसा करना शोभा नहीं देता है।...(व्यवधान) आप लोगों की विचारधारा क्या है, यह सभी को मालूम है इसलिए रोज़ हंगामा करना उचित नहीं है।...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, अगर आप उन्हें मौका देंगी, तो माननीय सदस्य सदन में पश्चाताप व्यक्त करेंगे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी बीच में क्यों बोलते हैं?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या मैं कल से ऐसा करूं कि पहले पांच मिनट माफी के लिए बना दूं। हर कोई कुछ न कुछ बोल रहा है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...*

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज: अध्यक्ष जी, मैं बापू का बहुत सम्मान करता हूं और पूरे सदन का भी सम्मान करता हूं। कल जो बात बाहर हुई थी, मैंने तत्काल उसे वापस ले लिया था। मीडिया में और सारे अखबारों में वह बात आ गई। मेरे मित्रों के पास कोई मुद्दा नहीं है इसिलए ख्वामख्वाह का मुद्दा उठाते हैं। मुझे लगता है कि "हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करो तो चर्चा नहीं होती।" मैंने वहीं के वहीं अपनी बात वापिस ले ली थी।...(व्यवधान) मेरे मित्रो, आपको मेरी बात को सुनना पड़ेगा। महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने तब की होगी, पर महात्मा गांधी की हत्या 1984 में तब हुई, जब आपने सिखों का कत्लेआम हिंदुस्तान में किया था। मैं अपने शब्दों को वापिस लेता हूं।...(व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: This is not fair at all.... (Interruptions)

11.29 hrs

At this stage, Shri K.C. Venugopal, Shri Bhagwant Mann and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (Interruptions)

_

^{*} Not recorded.

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: अध्यक्ष जी, ये तय करके आए हैं कि हाउस नहीं चलने देना है।...(व्यवधान)

11.30 hrs

At this stage, Shri K.C. Venugopal, Shri Bhagwant Mann and some other hon. Members went back to their seats.

माननीय अध्यक्ष : दीपेन्द्र जी, बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: पहले सभी माननीय सदस्य शांति से बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं खुद नहीं कुछ सुन पा रही हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे किसी का एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा है। यह क्या है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप सभी लोग बोलेंगे?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हम सभी लोग महात्मा गांधी का उतना ही सम्मान करते हैं, जितना सभी, मगर मुझे सुनाई तो दे कि वे क्या बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, या तो आप यहां बैठ कर चर्चा कीजिए या चुप रहिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़, प्लीज़, कुछ नहीं बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : साक्षी जी, एक मिनट।

...(व्यवधान)

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज : अध्यक्ष जी, मैंने जाने-अनजाने में जो कुछ कहा था, उसे कल ही वापस ले लिया था और आज फिर मैं वापस लेता हूं..(व्यवधान) मैं सदन का सम्मान करता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, एक मिनट। अगर आप लोग बैठेंगे तो मैं उन से कुछ संवाद करूं। आप लोग ही शोर करेंगे तो मैं कैसे सुनूंगी? मैं उन से बात ही नहीं कर पा रही हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: साक्षी जी, जो बात मैंने चार दिनों पहले कही थी, मैं फिर दोहराती हूं। आप तो बड़े सम्माननीय हैं। अगर किसी को कुछ चोट पहुंची हो या अगर हमारे मुंह से कुछ गलत संदेश जाता है तो ठीक है, इसमें खेद प्रकट करने में कुछ नहीं होता है। प्लीज़, हम एक ही वाक्य में उसे करें और बैठ जाएं। डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज (उन्नाव): अध्यक्ष जी, मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले, उन्हें वापस लेता हूं। कुछ लोगों को कष्ट हुआ है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं।...(व्यवधान)

11.32 hrs.

At this stage Shri Jyotiraditya M. Scindia and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(व्यवधान)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS...Contd.

HON. SPEAKER: Q. 282 – Shri B. Vinod Kumar

(Q. 282)

SHRI B. VINOD KUMAR: Madam Speaker, I have read the written reply. It is commonly known that the journey of Indian sound recording started from the era of phonograms way back in 1900. It is commonly understood that recordings began in the year 1902 after the advent of the disc that is played on the gramophone. They have found that wax cylinders date back to 1899. ... (*Interruptions*) The collection also includes 'Vande Mataram' in the voice of Rabindranath Tagore, which was recorded by Tagore's friend Hemendra Bose in the year 1905. ... (*Interruptions*)

In the reply, the hon. Minister has stated that the All India Radio as well as Doordarshan have digitized recordings to the extent of 19,000 hours and 20,139 hours respectively. But his predecessor, Shri Prakash Javadekar, while speaking at the launch of a book, 'The Wonder That Was The Cylinder' in Mumbai has stated that AIR has 4,00,000 hours of collection and that Doordarshan has 3,00,000 hours of collection of recordings. ... (*Interruptions*)

The digitized recordings pertaining to AIR and Doordarshan are very minimal. ... (*Interruptions*)

I would like to know from the hon. Minister by what time the Ministry can digitize the collections of AIR and Doordarshan which totals to nearly 5,00,000 hours.

COL. RAJYAVARDHAN RATHORE: Madam, I thank the hon. Member for taking up this subject. ... (*Interruptions*) There is indeed a very large amount of treasure which is there with AIR and Doordarshan. AIR was started in 1927 and the Archives began in 1954. Doordarshan began in 1959 and the archives started in 2002. ... (*Interruptions*) I would like to just correct the hon. Member on this. The total amount of AIR recordings is up to four lakh hours and the Doordarshan

digitized 1,50,000 hours. The digitization that has taken place already in respect of AIR is 1,40,000 hours and in respect of Doordarshan it is 20,000 hours. ... (*Interruptions*)

I would like to bring to the notice of the House that a very detailed tagging is required for digitizing this.... (*Interruptions*) Therefore, it is taking a lot of time. This has been done internally till now.... (*Interruptions*) It has taken 10 years. We would now like to outsource it. Therefore, we have asked for Expression of Interest from other professional companies who would like to take charge of this huge amount of treasure, digitize it, tag it and convert it into monetisation.... (*Interruptions*) Therefore, we are doing our best to do it at the earliest. I would again thank the hon. Member for taking up this subject.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, अभी साक्षी महाराज जी ने जो अपना बयान दिया है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह क्या है? आप थोड़ा सा पीछे तो हटिये।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: उन्होंने माफी माँगी। ऐसे माफी माँगी कि अगर कुछ लोगों को इसके बारे में आपित है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, बात वापस लेता हूँ।...(व्यवधान) सारे राष्ट्र को और आपको भी इस बारे में चिन्ता है।...(व्यवधान) सारा देश यह चाहता है कि वे अनकंडीशनल माफी माँगें।...(व्यवधान) सारे देश को यह मालूम होना चाहिए कि अगर कोई राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी के विरोध में है, और कातिल की तारीफ करे और गाँधी जी का अपमान करे, यह कोई सहन नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा कि हमको मेजोरिटी है, हम कुछ भी करेंगे तो यह बात चलने वाली नहीं है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, ऐसा नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: और हम चलने नहीं देंगे।...(व्यवधान) मैं यह कहता हूँ।...(व्यवधान) इसिलए वे इस बारे में स्पष्ट करें।...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: अध्यक्ष जी, खड़गे जी ...(व्यवधान) मालूम है, मैं उन्हीं को बता रहा हूं। ...(व्यवधान) आप शांत बैठिए। ...(व्यवधान)

12.12.2014 24

माननीय अध्यक्ष: वेल में खड़े होकर जो बोलेंगे, उसका जवाब मंत्री जी नहीं देंगे।

...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We are in the Government. We have a responsibility. The Government said that we totally dissociate with and condemn such statement by anybody.... (*Interruptions*) आप सुनिए। ...(व्यवधान) क्या यह गांधी जी का तरीका है? ...(व्यवधान) हम कर रहे हैं। ...(व्यवधान) Please follow Gandhiji. गांधी जी नियम के आधार पर काम करते थे, गांधी जी श्रद्धा के अनुसार काम करते थे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: फिर से वही बात, पहले शांति हो जाए।

...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकेंग्या नायडू: गांधी जी नियम के अनुसार काम करते थे। ...(व्यवधान) गांधी जी कभी धमकी नहीं देते थे। ...(व्यवधान) गांधी जी ने कभी धमकी नहीं दी। ...(व्यवधान) नियम के आधार पर, नीयत के आधार पर महात्मा गांधी जी ने काम किया, इसीलिए हम सब उनकी सराहना करते हैं और आदर भी करते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहले शांति हो जाने दीजिए, क्योंकि मैं ही नहीं सुन पाती हूं, फिर आप गड़बड़ करते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वह कर तो रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज खड़गे जी, क्यों रोज-रोज ऐसा कर रहे हैं? मैंने पहले बोला न कि मैं ही सबके लिए माफी मांगती जाऊंगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: साक्षी जी, एक ही वाक्य में बोलिए। खेद प्रकट करिए, बहुत हो गया।

...(व्यवधान)

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज : अध्यक्ष जी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। सदन और देश के सामने खेद व्यक्त करता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: खेद व्यक्त करना एक ही बात होती है। I am sorry. Nothing doing.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं होता है।



...(व्यवधान)

11.40 hrs

At this stage, Shri Anto Antony, Shri Jyotiradity M. Scindia, Prof. Saugata Roy and some other hon. Members went back to their seats.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, the other day, we heard Shri Kalyan Banerjee. He had taken back the words and expressed regret. What else do they want?... (*Interruptions*) Is it the Gandhian way? I do not understand it.

माननीय अध्यक्ष: प्लीज आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने खेद व्यक्त किया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिल्कुल खेद व्यक्त हो गया है और ऐसे ही होता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब आपको क्या चाहिए?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको साष्टांग नमस्कार चाहिए, क्या चाहिए?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने खेद व्यक्त किया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: परसों भी यही हुआ था।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सक्षम है। आपको उन पर विश्वास है तो आप चुप रहिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: बार-बार ऐसा क्यों बोलते हैं?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने खेद प्रकट कर दिया।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जून खड़गे: हर सदस्य ऐसा बोल रहा है और लगातार माफी मांग रहा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं क्या करूं?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने खेद व्यक्त किया है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry. You have to accept it.

Now, second supplementary by Shri Vinod Kumar.

माननीय अध्यक्ष: मुनियप्पा जी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इनको भी नमस्कार करवाऊं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मुझे गुस्सा नहीं दिलाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने भी खेद व्यक्त किया था।

...(व्यवधान)

SHRI B. VINOD KUMAR: Madam, this is with regard to Transmitters' Digitalization... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What do you mean? What is this?

... (*Interruptions*)

SHRI B. VINOD KUMAR: Madam, technological innovation is a never-ending phenomenon. Developments made just 10 years ago seem antique.... (*Interruptions*) Countries all over the world are migrating from analog to digital

terrestrial broadcasting in view of the advantages offered by digital systems.... (*Interruptions*) The outlay to Prasar Bharati in the Twelfth Plan amounts to Rs.4,375 crore. But three or four years have already elapsed. Nothing is done in this sector.... (*Interruptions*)

I would like to know from the hon. Minister what steps they are taking with regard to digitization of the transmitters.

COL. RAJYAVARDHAN RATHORE: Madam, 63 high-power transmitters have been sanctioned out of which work has already started in construction and installation of the 19 transmitters.... (*Interruptions*) In terms of the studios, we have 67 Doordarshan studios out of which 22 have already been digitized and 39 are half-digitised. The transmission is entirely digital as of now. We are in the process of installing the remaining transmission towers.

(Q.283)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की विकासप्रद दृष्टि से हम सभी परिचित हैं। 'मेक इन इंडिया' संकल्प से यह विकास दृष्टि परिलक्षित होती है। देश के विभिन्न राज्यों में औद्योगिक विकास तथा पिछड़ापन एवं आर्थिक असंतुलन दूर करने के लिए, वह दिन-रात अथक परिश्रम कर रहे हैं।

प्रश्न के 'ख' भाग में औद्योगिक विकास की दृष्टि से जो राज्य हैं उनमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का उल्लेख किया गया है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश और ओडिशा, इन राज्यों का जितना औद्योगिक विकास होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है। वे विकास की दृष्टि से पीछे रह गये हैं। इन राज्यों में आज बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार देश के विभिन्न राज्यों में वहां की प्राकृतिक संपदा तथा प्रमुख उत्पादों को ध्यान में रख कर, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को चिन्हित करके औद्योगिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की स्थिति पर विचार करेगी? मैं टीकमगढ़, छतरपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हो कर आया हूं, उसके पास में पन्ना में हीरा पहले से पाया जाता था और अभी छतरपुर में आस्ट्रेलिया की एक कम्पनी डायमंड खनन का काम कर रही है। अभी टीकमगढ़ में जो सर्वे हुए हैं उसके अनुसार वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में डायमंड निकलने की संभावना है।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि टीकमगढ़, छतरपुर में जहां बहुत बड़ी मात्रा में डायमंड निकलने की संभावना व्यक्त की गई है, क्या सरकार वहां पर खनिज विभाग द्वारा, वहां पर उसके लिए प्लांट लगा कर, वहां के स्थानीय नौजवनों को रोजगार देने की दिशा में कदम उठाएगी तथा जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी उन किसानों के लिए भी आर्थिक रूप से उस प्रक्रिया में जोड़ने के लिए विचार करेंगे?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: The present approach of the Government is not based on the identification of industrially backward States or districts but to rather address the issue of regional imbalances through the usage of the Backward Region Grant Fund. Under that Fund, presently 272 districts of the country are being covered under the 11th Five Yerar Plan. The special package of industrial incentive includes the North East States with Sikkim – eights States; Jammu & Kashmir, Uttarakhand, and Himachal Pradesh under the hill States. The Industrial Investment Promotion of the North East States, which I have mentioned

about, and a Freight Subsidy Scheme are applicable for Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu & Kashmir, Darjeeling of West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, and Laskwadweep, and eight North Eastern states.

खॉ. वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के बारे में है। वहां सागर जिले के हीरापुर से लेकर छतरपुर के किशनगढ़ तक जो पहाड़ हैं, उनमें व्यापक मात्रा में आयरन पाया जाता है। वहां सैंकड़ों साल पहले लोहा बनाने की प्रक्रिया का उपयोग होता रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वहां पर, अभी एनटीपीसी के कारखाने की आधारशिला भी रखी गई है, स्टील कारखाना लगाने की दिशा में कदम बढ़ाएगी? इसके साथ ही लगभग पिछले बीस वर्षों से छतरपुर से ग्रेनाइट निकालकर पानी के जहाजों द्वारा कांडला बंदरगाह से कटिंग, पॉलिशिंग होकर विदेशों को निर्यात किया जाता है। छतरपुर में जो ग्रेनाइट उपलब्ध होता है, क्या सरकार उसके आधार पर वहां उद्योग की आधारशिला रखकर, वहीं उसकी कटिंग, पॉलिशिंग और पैकिंग की व्यवस्था करके वहां के नौजवानों को इस प्रक्रिया के साथ जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाएगी?

NIRMALA SITHARAMAN: SHRIMATI The Industrial Infrastructure Upgradation Scheme or the Integrated Leather Development Programme are some examples of how industrial activities and promotion of such activities happen in some clusters within some States. Other than that, presently, the Industrial Corridor Projects which are happening between Delhi-Mumbai Industrial Corridor, or Chennai-Bengaluru-Chitradurga Industrial Corridor, or the Amritsar-Kolkata Industrial Corridor are such examples where through the Corridor, on either side of the corridors, if there is potential for industrial clusters to come through, the Government is open and ready to receive proposals from the State Governments. I am sure if the hon. Member, through his State Government, approaches, some proposals can be considered, but that is the way in which the larger development of particular regions which have certain imbalances is being addressed.

KUMARI SUSHMITA DEV: Recently, we saw a circular from the Ministry dated 1st December, 2014, which is suspending operation of the new registration under the New North East Investment and Industrial Policy. Can the Government clarify this? What does this Government feel about clearing earlier dues under the head of 'subsidy' by the Finance Minister?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am glad that the hon. Member has raised this question. In fact, I will place it on the record of the House that the Member has also written to me on this issue of overdues. Yes, there are overdues pending; and we have only from the Ministry tried saying that newer commitments may be temporarily halted because we have to clear the overdues. Once moneys start coming in, we will be able to take on the commitments. This Government is committed for the development of the North-East, and I am sure the Member must have seen the reply which was sent to her earlier. I wish to assure you that we are considering the North-East as a particular case of industrial development requiring area, and I am conscious of what the Member has raised.

SHRI T.G. VENKATESH BABU: As regards industrial development, through you, Madam, I would like to submit that Chennai-Bengaluru Industrial Corridor project was intended to benefit seven districts of Tamil Nadu, seven districts of Karnataka, and two districts of Andhra Pradesh.

The corridor influence area on NH-46 has been extended on both sides to accommodate some more areas. It will adversely affect the long term interest of the public sector ports of Chennai and Ennore because of the inclusion of private sector ports. Therefore, I would like to reiterate the request made by our hon. beloved leader *Puratchi Thalaivi Amma* and would like to know from the hon. Minister whether this project can be taken up based only on the earlier concept and alignment agreed to by the Government of Tamil Nadu.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam, first of all, the corridor project has been very well established and spoken about. The letter if anything, which has come from the former Chief Minister of Tamil Nadu, we will certainly have a look

into it. But the description of the corridor and the extensions are going along with the States' requirements and the States are being actively consulted on this.

(Q.284)

श्री भगवंत मान: हमारे देश में जो टेलीकॉम कंपनी हैं, उनके पास 2जी, 3जी और कुछ कंपनियों के पास 4जी के लाइसेंस भी हैं, लेकिन उनके लिए टैक्सेशन पॉलिसी अलग-अलग हैं। 2जी का टैक्स अलग है, 3जी का अलग है, 4जी का अलग है, कई बार कंपनियों के पास दो या तीन लाइसेंस होते हैं। जिसमें सबसे कम टैक्स देना पड़े, वह उस स्कीम के अंदर टैक्स देती हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री ने नोटिस दिया है कि आप कम टैक्स देते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि I would like to know whether the Securities and Exchange Board of India (SEBI) has received complaints against some listed telecom operators for fudging of accounts and under-reporting of revenue to the Government. अगर ऐसा है तो इसका ब्योरा क्या है? इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है, मैं सरकार से जानना चाहता हूं?

श्री अरुण जेटली : महोदया, भगवंत मान जी ने जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न के एक तथ्य को बता दूं, तािक कोई कन्फ्यूजन न रहे। टैक्सेशन पॉलिसी टेलीकॉम विभाग की नहीं होती है। टैक्सेशन पॉलिसी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग की होती है। वह टैक्सेशन पॉलिसी सामान्य होती है। जो व्यवसाय करता, मैन्यूफैक्चरिंग करता है, उस पर एक्साइज लगता है, जो बाहर से सामान मंगवाता है, उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, अलग-अलग इक्विपमेंट के लिए ड्यूटी अलग हो सकती हैं। जहां तक टेलीकॉम विभाग का प्रश्न है, मैं उनके प्रश्न की भावना को समझने के बाद इंटरप्रेट कर रहा हूं। टेलीकॉम कंपनीज पहले लाइसेंस फीस देती थीं, अब सरकार के साथ रेवेन्यू शेयर करती हैं। जहां तक अंडर रिपोर्टिंग का संबंध है, अकाऊंट्स सही न देना, उसका उस रेवेन्यू शेयरिंग के साथ संबंध होता है। इसको देखने के लिए सेबी कम्पीटेंट ऑथरिटी नहीं है। माननीय सदस्य का प्रश्न है कि सेबी के पास कोई शिकायत आई है तो यह उत्तर दे दिया गया कि सेबी के पास कोई शिकायत आई नहीं है, क्योंकि सेबी इसको डील नहीं करती। इसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डील करता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास अंडर रिपोर्टिंग की शिकायतें आई हैं। अलग-अलग कंपनियों में इसको लेकर उन्होंने कार्रवाई की है। जो अमाऊंट तय होता है, उसे हर कंपनी को देना पड़ेगा, चाहे वह जितनी भी बड़ी टेलीकॉम कंपनी हो। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन ने अंडर रिपोर्टिंग के आधार पर अपना आर्डर पास करके क्लेम पूट-अप किए है जिसे उन कंपनियों ने टीडी-सैट और हाई कोर्ट में चुनौती दी है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन उन क्लेम्स को उनके खिलाफ इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहा है।

श्री भगवंत मान: महोदया, मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। टैक्सेशन तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अगर वे अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कम टैक्स दे रहे हैं तो घाटा सरकार का ही हो रहा है। I would like to know the details of the fudging, mis-appropriation, under-reporting of revenue and money laundering reported during each of the last three years.

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष महोदया, इसका जो डाटा है, जो रेवन्यू अंडर स्टेट किया गया, वह अलग-अलग कम्पनीज का मिलाकर, नवम्बर 2012 में जिन कम्पनीज के खिलाफ क्लेम दिये गये हैं, टोटल क्लेम 10 हजार 826 करोड़ और 69 लाख रुपये था। वह क्लेम उन कम्पनियों के खिलाफ डिपार्टमैंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर रिपोर्टिंग की वजह से इनफोर्स कर रहा है।

डॉ. किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदया, वास्तव में भगवंत मान जी का यह बहुत अच्युक्त है। मैं माननीय वित्त जी को प्रश्न के साथ सुझाव ज्यादा देना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि whenever there is a provision for revenue sharing or PPP, now the Supreme Court has also come out with the guideline and order along with the Delhi High Court that there should be special audit, CAG audit. My question and suggestion is that जहां रेवन्यू शेयरिंग करने में गवर्नमेंट का कुछ न कुछ इंटरेस्ट है, वहां पर इस प्रकार का प्रोविजन न हो तो क्या सरकार विचार करेगी कि इन्बिल्ट सेफ्टी नेट का प्रोविजन, may be through special audit, CAG audit. जैसे आप जानते हैं कि जहां पर बड़ा पीई इन्वेस्टर होता है, they make a provision for special audit. इस संबंध में सरकार क्या सोचेगी?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष महोदया, टेलीकॉम कम्पनीज के केस में इनका जो लाइसेंस एग्रीमैंट है, उसमें एक आर्टिकल क्लाज 22.5 है, जिसके तहत स्पेशल ऑडिट का प्रावधान है। वह स्पेशल ऑडिट, जो अंडर रिपोर्टिंग के केसेज रिपोर्ट हुए हैं, उसके बाद डिपार्टमैंट ऑफ टेलीकॉम सीएजी के थ्रू करवा रहा है। (इति)

HON. SPEAKER: Shri Babulal Choudhary – not present.

Shri Vijay Kumar Hansdak – not present. माननीय मंत्री जी, आप अपना कथन सभापटल पर रखें।

(Q.285)

HON. SPEAKER: Shri Laxmi Narayan Yadav

श्री लक्ष्मी नारायण यादव: अध्यक्ष महोदया, भारत की विशाल सेना में सभी वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व समुचित रूप से होना चाहिए, परन्तु मैं देखता हूं और सदन भी इससे सहमत होगा कि पिछड़े प्रदेशों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस दिशा में कोई ध्यान देंगे? जैसे मध्य प्रदेश के बहुत कम नौजवान सेना में पाये जाते हैं। क्या मंत्री जी इस दिशा में कोई विशेष ध्यान देंगे, तािक वहां का प्रतिनिधित्व भी पर्याप्त हो सके?

श्री मनोहर परिंकर: अध्यक्ष महोदया, सेना में जो जवान भर्ती होते हैं, उनके लिए रिक्रूटेबल मेल पापुलेशन, आरएमपी हर स्टेट के लिए लगाया जाता है। स्टेट में जो पापुलेशन रहती है, उस हिसाब से यह भर्ती होती है। इसमें रिक्रूटेबल मेल पापुलेशन जितनी एलॉट हुई है, अगर उतनी भर्ती नहीं हुई तो हर छः महीने में जो कैम्प लगते हैं, उसमें भर्ती की डेफीशेंसी भर ली जाती है। अगर उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो उसे अगले दो वर्ष के साइकल में एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसा कहीं नहीं पाया गया कि कोटा पूरा नहीं हुआ। यह कोटा 95 से 96 प्रतिशत तक भर जाता है। कई जगह इसके लिए ज्यादा डिमांड है, इसलिए वहां कोटा रहने की संभावना नहीं है। वैसे यह कोटा पापुलेशन के हिसाब से है। पूरे देश के पापुलेशन के हिसाब से साधारणतया 10 परसेंट आरएमपी के लिए फिगर ली होती है और वह पापुलेशन के बेस पर सबके लिए समान होता है।

DR. SHASHI THAROOR: Madam Speaker, the issue of recruitment and the shortage of officers in our country is now widely known. But the Army appears to be addressing this by extending the duration of Short Service Commissions in a way, that is doing an injustice to the officers concerned. In the old days, you would have a five-year commission. You would then leave and you would still be in the prime of your life; you would be able to find a job and move on. Today, they are making these officers stay for 10 years, 11 years, even 14 years. These are people who have no pension; they have no benefits. They leave the Army late and, as a result, they are not in a position thereafter to actually resume life in the civilian sector.

I would like the Defence Minister to explain what the policy is now on Short Service Commissions. I would like to know whether the Government has begun extending these unobtrusively at the expense of the civil rights of the officers concerned. If they are going to do so, whether it would not be fairer to give them all the benefits that a normal officer would be entitled to, pensions included. Thank you, Madam, Speaker.

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam, I entirely agree with the hon. Member. Whatever was the original concept of the Short Service Commission is being totally put upside down by extending it to 14 years. In fact, I had a discussion on this issue. We are trying to address this issue very shortly. We will definitely take care of this concept. There was 17 per cent shortage of officers by the year 2012. As of now, we are recruiting more officers. Every year, we are addressing one per cent. So, we are coming down by one per cent every year. I expect that by another ten years, we should be able to ultimately fill up the vacant posts.

As far as the Short Service Commission is concerned, I will definitely address this issue because I am also concerned with the same issue. I have asked for more details. There is some reasoning given by them. Give me some time. I think, in a couple of months, I should be able to address this issue. I understand your concern. The same concern was expressed by me. You are virtually suggesting to convert them into a regular Commission by taking it to 14 years. The original idea was different.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि सेनाओं में रिक्रूटेबल मेल पापुलेशन फार्मुले के आधार पर भर्ती होती है और हर प्रदेश को प्रतिनिधित्व मिलता है। पहले कुछ पारंपरिक प्रदेश थे, जैसे उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, नार्थ-ईस्ट प्रदेश सेना में ज्यादा सैनिक भर्ती के लिए देते थे। आज भी सेना में 10 से 12 प्रतिशत सैनिक हरियाणा से हैं। लेकिन अब यह प्रतिशत कम हो रहा है। कई प्रदेशों के रिक्त स्थान रह जाते हैं, सेना में 12000 से ज्यादा रिक्त स्थान हैं। क्या सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी कि जो रिक्त स्थान रह जाते हैं, उसे भरने के लिए इन प्रदेशों की तरफ ध्यान दे, क्योंकि आज भी ये प्रदेश युवा सेना में सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं?

श्री मनोहर परिकर: माननीय अध्यक्ष जी, रिक्त स्थान ज्यादा नहीं रहते हैं। रिक्त स्थान जो रहते हैं, उसे उसी प्रदेश के लिए दो वा के राउंड में लेते हैं। If the hon. Member has any suggestion, he can send it to me. The issue raised by him is worth considering but he will have to come out with some reasonable solutions.

12.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid. Item No. 2 – Shri Arun Jaitley. THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam Speaker, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949:-
 - (i) The Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. 1-CA(7)/154/2014 in Gazette of India dated 22nd July, 2014.
 - (ii) G.S.R. 569(E) published in Gazette of India dated 7th August, 2014, making certain amendments in the Notification No. G.S.R. 38(E) dated 19th January, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 1197/16/14)

(2) A copy of the Notification No. G.S.R.645(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 15th September, 2014, making certain amendments in the Notification No. G.S.R. 1693(E) dated 3rd October, 2007 under Section 40 of the Cost and Works Accountants Act, 1959.

(Placed in Library, See No. LT 1198/16/14)

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MANOHAR PARRIKAR): On behalf of my colleague Shri Jagat Prakash Nadda, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1199/16/14)

(2) A copy of the Notification No. S.O. 2198(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 1st September, 2014, electing two Members of Parliament, mentioned therein, as Members of Institute body of Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry issued sub-section 5(1)(k) read with sub-section 6(2) of the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry Act, 2008.

(Placed in Library, See No. LT 1200/16/14)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI RAO INDERJIT SINGH): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (1) (i) Review by the Government of the working of the Goa Shipyard Limited, Goa, for the year 2013-2014.
 - (ii) Annual Report of the Goa Shipyard Limited, Goa, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1201/16/14)

(2) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Dynamics Limited, Hyderabad, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Bharat Dynamics Limited, Hyderabad, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1202/16/14)

- (3) (i) Review by the Government of the working of the BEML Limited, Bangalore, for the year 2013-2014.
 - (ii) Annual Report of the BEML Limited, Bangalore, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1203/16/14)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): On behalf of my colleague Shri Shripad Yesso Naik, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Post Graduate Teaching and Research in Ayurveda (Gujarat Ayurved University), Jamnagar, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
- A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Post Graduate Teaching and Research in Ayurveda (Gujarat Ayurved University), Jamnagar, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1204/16/14)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-
- (a) (i) Review by the Government of the working of the STCL Limited, Bengaluru, for the year 2013-2014.
 - (ii) Annual Report of the STCL Limited, Bengaluru, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1205/16/14)

- (b) (i) Review by the Government of the working of the PEC Limited, New Delhi, for the year 2013-2014.
 - (ii) Annual Report of the PEC Limited, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 1206/16/14)

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the India Trade Promotion Organisation, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the India Trade Promotion Organisation, New Delhi, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1207/16/14)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the M/s Marathwada Auto Cluster, Aurangabad, Maharashtra, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the M/s Marathwada Auto Cluster, Aurangabad, Maharashtra, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1208/16/14)

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the M/s South Asia Rubber and Polymers Park, Kolkata, West Bengal, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the M/s South Asia Rubber and Polymers Park, Kolkata, West Bengal, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1209/16/14)

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the M/s Bamboo Technology Park, Guwahati, Assam, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the M/s Bamboo Technology Park, Guwahati, Assam, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1210/16/14)

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the M/s Jabalpur Garment and Fashion Design Cluster Association, Jabalpur, Madhya Pradesh, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the M/s Jabalpur Garment and Fashion Design Cluster Association, Jabalpur, Madhya Pradesh, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1211/16/14)

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Marine Products Export Development Authority, Kochi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Marine Products Export Development Authority, Kochi, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1212/16/14)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-
 - (i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways) (No. 23 of 2014)-Performance Audit of Environment Management in Workshops, Sheds and Production Units of Indian Railways for the year ended March, 2013.

(Placed in Library, See No. LT 1213/16/14)

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (Autonomous Bodies) (No. 30 of 2014)-Performance Audit of Employees' State Insurance Corporation, Ministry of Labour and Employment, for the year ended March, 2013.

(Placed in Library, See No. LT 1214/16/14)

(iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways) (No. 28 of 2014)-Performance Audit of Hospital Management in Indian Railways for the year ended March, 2013.

(Placed in Library, See No. LT 1215/16/14)

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1216/16/14)

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 38 of the Central Excise Act, 1944:-
 - (i) G.S.R.791(E) published in Gazette of India dated 11th November, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Central Excise dated 17th March, 2012.
 - (ii) G.S.R.795(E) published in Gazette of India dated 12th November, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Central Excise dated 17th March, 2012.

(iii) G.S.R.836(E) published in Gazette of India dated 21st November, 2014, together with an explanatory memorandum exempting Central Excise duty leviable on drugs, diagnostics and medical products required for the Intensified Malaria Control Project-Phase II funded by the Global Fund to fight AIDS, TB and Malaria, subject to certain conditions, valid upto 30th September, 2015.

(iv) The CENVAT Credit (Eighth Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.619(E) in Gazette of India dated 27th August, 2014, together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library, See No. LT 1217/16/14)

- (4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 159 of the Customs Act, 1962:-
 - (i)G.S.R.792(E) published in Gazette of India dated 11th November, 2014, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012- Customs dated 17th March, 2012.
 - (ii) G.S.R.833(E) published in Gazette of India dated 21st November, 2014, seeking to exempt basic Customs Duty as well as additional duty of customs leviable on drugs, diagnostics and medical products required for the Intensified Malaria Control Project-Phase II funded by the Global Fund to fight AIDS, TB and Malaria, subject to certain conditions, valid upto 30th September, 2015.

(Placed in Library, See No. LT 1218/16/14)

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 159 of the Customs Act, 1962, Section 38 of the Central Excise Act, 1944 and Section 94 of the Finance Act, 1994:-

(i) The Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback (Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.813(E) in Gazette of India dated 17th November, 2014, together with an explanatory memorandum.

(ii) G.S.R.814(E) published in Gazette of India dated 17th November,
 2014, together with an explanatory memorandum notifying the All
 Industry Rates of Duty Drawback with effect from 22.11.2014.

(Placed in Library, See No. LT 1219/16/14)

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Goods and Services Tax Network, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Goods and Services Tax Network, New Delhi, for the year 2013-2014.

(Placed in Library, See No. LT 1220/16/14)

- (7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975:-
 - (i) G.S.R.834(E) published in Gazette of India dated 21st November, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Diclofenac Sodium', originating in, or exported from the People's Republic of China for a period of five years, pursuant to the final findings in sunset review investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.
 - (ii) G.S.R.835(E) published in Gazette of India dated 21st November, 2014, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive antidumping duty on imports of Digital Versatile Discs-Recordable, originating

in, or exported from the People's Republic of China, Hong Kong and Chinese Taipei for a period of five years, pursuant to the final findings in sunset review investigations conducted by the Directorate General of Antidumping and Allied Duties.

(Placed in Library, See No. LT 1221/16/14)

(8) A copy of the 23rd Progress Report (Hindi and English versions) on the Action Taken pursuant to the Recommendations of the Joint Parliamentary Committee on Stock Market Scam and matters relating thereto –December, 2014.

(Placed in Library, See No. LT 1222/16/14)

12.04 hrs

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER Nominations to Panel of Chairpersons

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have to inform the House that under Rule 9 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I have nominated Shri K.H. Muniyappa and Dr. P. Venugopal, MPs as members on the panel of Chairpersons, Lok Sabha in place of Prof. K.V. Thomas and the vacancy caused on appointment of Dr. M. Thambidurai as Deputy Speaker respectively.

12.05 hrs.

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE 214th to 216th Reports

SHRI RAJESH PANDEY (KUSHINAGAR): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture:-

- (1) The Two Hundred Fourteenth Report on the Action taken by the Government on the Recommendations/Observations of the Committee contained in its Two Hundred First Report on Functioning of National Akademies and other Cultural Institutions Issues and Challenges.
- (2) The Two Hundred Fifteenth Report on the Action taken by the Government on the Recommendations/Observations of the Committee contained in its Two Hundred Third Report on Privatization of Services at Airports.
- (3) The Two Hundred Sixteenth Report on the Action Taken by the Government on the Recommendations/Observations of the Committee contained in its Two Hundred Eleventh Report on Upkeep of various Monuments in Delhi, National Museum and other important issues pertaining to the Ministry of Culture.

12.05 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): With your permission, Madam, I rise to announce the Government Business for the remaining part of the current Session will consist of:-

- 1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order paper.
- 2. Consideration and passing of the following Bills:-
 - (a) The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2014.
 - (b) The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Amendment Bill, 2014.
 - (c) The Companies (Amendment) Bill, 2014.
 - (d) The Regional Rural Bank (Amendment) Bill, 2014.
 - (e) The Lokpal and Lokayuktas (Amendment) Bill, 2014.
 - (f) The Warehousing Corporations (Amendment) Bill, 2014.
- 3. Consideration and passing of the Insurance Laws (Amendment) Bill, 2008, as reported by the Select Committee of Rajya Sabha and after it is passed by Rajya Sabha.
- 4. Consideration and passing of Anti Hijacking (Amendment) Bill, 2014, after it is passed by Rajya Sabha.

श्री कोशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय अध्यक्ष महोदया, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए:-

- मेरे संसदीय क्षेत्र नालन्दा अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत में सिंचाई के लिए पाँच-पाँच ट्यूबवैल की व्यवस्था कराई जाए।
- 2. देश में प्रत्येक वृद्ध, मजदूर-किसान, जिसकी उम्र 60 साल से अधिक हो, उसे वृद्धावस्था पेंशन दिया जाए।

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): Madam, I would request to include the following subjects in the agenda for the next week's Business of the Lok Sabha.

- 1. Decline in price of natural rubber due to import of rubber from abroad.
- 2. Fall in price of crude oil in international market and the price of petroleum products in the domestic market.

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले): माननीय अध्यक्ष महोदया, समूचे भारत में मिल्क पाउडर के मूल्य में काफी गिरावट आने और मिल्क पाउडर का निर्माण करने वाली फैक्टिरियों ने एवं शहरी संस्थाओं ने दूध की खरीददारी बंद की है। इसके कारण बाजार में अतिरिक्त दूध का निर्माण हो रहा है। महाराष्ट्र में प्रतिदिन लगभग 30 लाख लीटर दूध अतिरिक्त हो रहा है। महाराष्ट्र जैसी ही स्थिति कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिरयाणा में भी उत्पन्न हो गयी है। इसलिए केन्द्र सरकार को मिल्क पाउडर के निर्माण के लिए अनुदान देना और आगे के दो माह में मिल्क पाउडर के निर्माण के लिए अनुदान देकर इन्हें प्रोत्साहित करने का निर्णय तुरन्त लेना आवश्यक है, क्योंकि दूध के उत्पादन पर देश भर के सीमांत किसान, भूमिहीन किसान, मजदूर का पेट निर्भर है। उनको आधार देने के लिए शीघ्र अनुदान देने का निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसलिए आने वाले अगले सप्ताह के कामकाज में यह विषय सम्मिल किये जाने की विनती है।

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, कृपया निम्न दो विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में जोड़ लिया जाए:-

1. विभिन्न गंभीर बीमारियों के निःशुल्क उपचार के लिए आर्थिक रूप से अपना इलाज कराने में असमर्थ व्यक्तियों को इलाज का पूर्ण खर्च अनुदान राशि के रूप में दिये जाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग का गठन किये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

2. भागलपुर में मक्का का उत्पादन बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन मक्के का खाद्य प्रसंस्करण स्थानीय स्तर पर नहीं हो पाता है। अतः भागलपुर में मक्का के लिये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता है जिससे किसानों को मक्के के उत्पादन में आई लागत के अनुरूप उचित लाभ दिलाया जा सके।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए।

- स्वास्थ्य का अधिकार अनिवार्यता के तहत आम गरीब, मजबूर लोगों को संक्रमण जैसी बीमारी का निःशुल्क इलाज एवं चिकित्सक द्वारा आर्थिक शारीरिक शोषण रोकने हेतु सख्त विधि नियम बनाए जाने के संबंध में।
- 2. शिक्षा का अधिकार अनिवार्यता के तहत् गरीब छात्रों के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को निःशुल्क करने हेत् सख्त विधि नियम बनाए जाने के संबंध में।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): माननीय अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:-

- बारहवीं लोक सभा 2003 में पारित गौ वंश की रक्षा के लिए संसद द्वारा ध्विनमत से पारित निजी संकल्प के आलोक में गौ एवं गौ वंश की रक्षा के लिए सरकार तत्काल विधेयक प्रस्तुत करें।
- 2. मेरे चुनाव क्षेत्र दमोह के किसानों की लगातार चार फसलों के नष्ट हो जाने से दमोह जिले के तेंदूखेड़ा, जबेरा एवं दमोह तहसील में गंभीर संकट पैदा हो गया है। अतः इन क्षेत्रों के किसानों की रक्षा के लिए बुन्देलखण्ड पैकेज में प्रावधान करें।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल): महोदया, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:

- यू.जी.सी. सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय में पी.एच.डी. तथा नेट अर्हता वाले छात्रों को खाली पड़े पदों में अविलम्ब नियुक्ति हेतु सख्त विधि नियम के संबंध में।
- 2. देशभर में किसानों के द्वारा की जा रही आत्महत्या, जिसका मुख्य कारण आर्थिक तंगी है, को रोकने हेतु सशक्त कृषक आर्थिक नीति बनाने के संबंध में।

माननीय अध्यक्ष: आपने एक ही विषय की नोटिस दी है। यहां एक ही विषय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में है। एक ही विषय है।

श्री रत्न लाल कटारिया ।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला): मैडम, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में यह विषय शामिल कराना चाहता हूं कि देश में दोहरी शिक्षा प्रणाली के परिणामस्वरूप गरीबों के बच्चे क्वालिटी एजुकेशन से वंचित हो रहे हैं। परिणामस्वरूप ये बच्चे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ जाते हैं जिससे उनमें डिप्रेशन का माहौल बनने लगता है। मैं मांग करता हूं कि गरीबों के बच्चों, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए उच्चस्तर की क्वालिटी शिक्षा प्रदान कराने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान प्रदान कराए जाएं।

मेरा दूसरा विषय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास की योजनाओं से संबंधित विषयों को संसद की कार्यसूची में शामिल करने का अनुरोध करता हूं। वैसे तो भारत का महिला समाज देश की आबादी का लगभग पचास प्रतिशत है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बस, हो गया। आपका विषय आ गया है। पूरा नहीं बोलना है, केवल विषय बोलना है। आपका विषय आ जाएगा। आप बैठिए।

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर): अध्यक्ष महोदया, संसद की आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मलित किया जाए :

- 1. केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जयपुर-सवाईमाधोपुर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत कर शीघ्र चालू कराया जाए।
- 3. जयपुर रेलवे स्टेशन बहुत ही कम हैं, इनकी संख्या बढ़ाई जाए।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में लोक महत्व के निम्न विषयों को शामिल करते हुए चर्चा कराने की कृपा करें -

1. देश के प्रमुख तीर्थस्थल चित्रकूट से निकलने वाली पवित्र मंदािकनी नदी, जिसका गंगा नदी के समान ही आदर किया जाता है, प्रदूषित हो रही है। उसमें सूखे के कारण जलस्तर में भी काफी कमी आ गयी है। अस्तु, उसे भी सरकार की नमािम गंगे योजना में शािमल करते हुए प्रदूषण से मुक्त कर जलस्तर बढाने की योजना बनाई जाए।

2. देश के प्रमुख तीर्थस्थल एवं पर्यटन स्थल चित्रकूट धाम, महाकाव्य रामायण के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर, रानी दुर्गावती आदि वीरों की भूमि कालिंजर दुर्ग व आदिशंकर की विशाल मूर्ति के लिए विख्यात मड़फा किले को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में लाने व वहां का समग्र विकास करने हेतु कारगर योजना बनाई जाए।

12.13 hrs

REFERENCE BY THE SPEAKER

Declaration of 21st June as International Day of Yoga by United Nations General Assembly at their 69th Session

HON. SPEAKER: Hon. Members, as you are all aware, on 11th December, 2014, the United Nations General Assembly at their 69th Session under the agenda of 'Global Health and Foreign Policy', has adopted an India led resolution proposed by the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modiji declaring 21st June as 'International Day of Yoga'. Through this resolution, it has been acknowledged that Yoga provides a holistic approach to health and well being.

It is a matter of immense pride for all of us that this recognition has come barely in a period less than three months after the hon. Prime Minister had first mooted this idea in his Address to the UN General Assembly on 27th September, 2014. He had desired, the world leaders to adopt an International Yoga Day, stating that by changing lifestyle and creating consciousness, it can help us to deal with climate change.

This is also for the first time that such an initiative has been proposed and implemented by support of 177 countries in the UN Body in less than 90 days.

This resolution is a fitting recognition of power and benefits of Yoga and its global appeal and India's age old rich cultural heritage.

12.15 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE

Court of Aligarh Muslim University

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया): श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी की ओर से, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं -

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 14 के खंड 1 और खंड 2 के उप-खंड (चौबीस) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त परिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of sub-clause (xxiv) of clause 1 and clause 2 of Statute 14 of the Statutes of Aligarh Muslim University, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, six members from amongst themselves to serve as members of the Court of the Aligarh Muslim University, subject to the other provisions of the said Statutes."

The motion was adopted.

12.16 hrs

COMPANIES (AMENDMENT) BILL, 2014*

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam Speaker, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Companies Act, 2013.

HON. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Companies Act, 2013."

The motion was adopted.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam Speaker, I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.2014.

12.17 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF COAL MINES (SPECIAL PROVISIONS) ORDINANCE, 2014 AND

COAL MINES (SPECIAL PROVISIONS) BILL, 2014—Contd.

HON. SPEAKER: Now the House will take up Items 12 and 13. जीरो-आवर आप शाम को ले लेना, अभी जीरो-आवर नहीं होगा, so, we will go to Items 12 and 13—Shri Jyotiraditya Scindia.

1217 hours

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Madam Speaker, thank you for giving me the opportunity to speak on the Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2014 that has been introduced.

Madam Speaker, the Supreme Court had, on 24th September of this year, quashed the mining licences of 204 captive coal blocks with the proclamation that they had been illegally and arbitrarily allotted over the last two decades by successive Governments. Now the power for granting captive coal blocks, Madam Speaker, is enshrined in Section 3(3)(a) of the Coal Mines (Nationalization) Act. According to the Coal Mines (Nationalization) Act, the captive coal blocks can only be given to two types of entities, (a) either Central Government Undertakings or Corporations that are owned by the Government of India, or (b) companies that have end use plants in iron, steel, power or cement. So, first, what is very clear from the Coal Mines (Nationalization) Act is that no private sector joint venture company without a specific end use can be allotted a captive coal block. And, second, no State Government company that does not have a specific end use can be allotted a coal block under the captive regime.

Now the current situation is that out of the 204 coal blocks, 37 are ready for production and five will be, very shortly, ready for production, that is, about 42 are ready. What has the Government's response to the Supreme Court order? They have said that they have reacted with great alacrity and come out with an

Ordinance so that there is no disruption to coal production and to the economic development of the country. Madam Speaker, these 204 coal blocks are divided into three schedules. Schedule-1 includes all the 204; Schedule-2 is a sub-sect of Schedule-1 which includes the 42 coal blocks that are ready for production; and Schedule-3 includes 32 coal blocks that are determined only specifically for specific end use plants.

A key feature in this Bill is that from now on coal blocks will be auctioned rather than allotted. Secondly, Government companies can be given an allotment without an auction. But the two changes that are being contemplated are (1) that the State Government entities and joint venture entities between corporations can also be allotted blocks, that means, joint venture entities between Government and private sector can be allotted blocks and (2) the requirement of being an end user has been removed. These are the two new dimensions of the Coal Act. I will deal with these two dimensions separately. But I have seven issues which I would like to pose in front of the Minister, through you, and to the Government and would respectfully require a response on these seven issues.

The first issue has to do with the current coal crisis in the country. India has coal reserves of close to 293 billion tonnes. Out of that the recoverable reserves are only about 18 onlion tonnes. We are today importing coal of 160 million tonnes, which will probably go up to 240 million tonnes by 2016. Today foreign exchange outgo is of about 16 billion dollars.

Today our power needs are 250 GW. That in the next ten years by 2022 will go to 400 GW. Power demand by 2032 will go to 800 GW. Of this power requirement 60 per cent has to come from thermal, which means 150 GW today, 240 GW by 2022 and close to 480 GW by 2032. How are we going to meet this gap in demand? This means that roughly 800 million tonnes of coal capacity is required today and about 1.3 billion by 2022.

Coal production today, Madam Speaker, has increased in the last 10 to 15 years only at a very low compounded annual growth rate of one and a half to two per cent per annum. The target for the Government, as has been specified, is to reach one billion tonnes of coal production by 2019. My question was how this was going to be achieved. The Minister in his reply to my question in Parliament last week, very clearly outlined the three routes by which an additional 500 million tonnes of coal production will come into place. I would like to rebut all of those three assumptions through three points that I would like to succinctly make.

The first, he said very articulately that 200 million tonnes will come of excess production through this first round of auction. This first round of production includes 74 mines – Scheduled II and Scheduled III. Ninety million tonnes is ready for production. For 120 million tonnes there is no scope of production starting from tomorrow. In any case if production starts, the ramp up to a steady state of 210 million tonnes will take seven to eight years for every single mine. So, that is not going to bear fruit.

His second assumption was that an additional 200 million tonnes of production will come into place through efficiency gains of Coal India. My question on that issue is that when Coal India's production has grown itself, which is 460 million tonnes today out of 560 million tonnes of total coal production in the country, only at roughly of one and a half per cent to two per cent per year, if you are going to produce an additional 200 million tonnes, CIL will have to increase its production rate by 400 per cent to a compounded annual growth rate of close to 8 per cent as opposed to 2 per cent this year. How is that going to be possible is a question that the Minister must answer this House.

The third assumption he made was that 100 million tonnes will come from opening up of the sector. Even if you open up the sector, a hundred million tonnes of coal capacity is not going to be possible before 2019. Gestation period of coal mines is close to about seven to eight years. You have to take environment clearances; you have to take land clearances and that certainly is not going to be

possible. Therefore, this Government must realize that we cannot build castles in the air without our feet being firmly planted on the ground.

There are two types of governments that this country can get. One, that undercommits and overdelivers and the other, that overcommits but underdelivers. Through you, Madam Speaker, I would like to caution this Government as to what kind of government would they like to be remembered as, one, that overcommits and underdelivers or, one, that undercommits but overdelivers.

My second issue is to do directly with Coal India. 'The elephant in the coal mine needs reform' as one of the prolific writers in one of the articles has said a couple of weeks ago.

This Bill talks about Coal India also being allotted blocks. Now, looking at the inefficiency of production of Coal India, are you going to allot blocks to them without expecting productivity returns? Coal India today produces 80 per cent of India's capacity of coal. The productivity in the coal sector is judged by output per man-shift. If you look at the open cast mines, Coal India's output per man-shift is close to eleven and a half tonnes, whereas Government companies in Australia produce close to 75 tonnes.

Similar is the case of underground mines. So, the key issue is to boost CIL's productivity, and that can only be done if we have a production roadmap and if we monitor efficiency, which is the need of the hour.

The second issue is that we must restructure CIL. We must make sure that their smaller subsidiaries compete with the parent subsidiary, and that restructuring is a need of the hour.

Finally, on the issue of CIL, the Government is thinking of doing a disinvestment of the company. The Government wants to go ahead on an embarkation of production roadmap and all of this without having a CMD in place in CIL for the last seven months. Since May of this year there is no CMD in CIL. The Minister has tried very hard. He has put out an advertisement in the Press for Rs. 1 ½ crore to attract people from the private sector, but there has been no

response and you are thinking of going for a disinvestment of a company in the public market without having a CMD in place. What kind of valuation will you get for that company? I think that you must put in place a CMD as soon as possible so that the importance of CIL -- from an efficiency point of view -- also gets put in place.

The third issue that I have with regard to this Bill is the changes that are being contemplated in The Coal Mines (Nationalisation) Amendment Act and The MMDR Act. The reason for this Bill is to be able to auction the national blocks. The changes that are proposed are removal of end-user requirement, and allowing Central and State Governments to form JVs within them and get blocks allotted. Now, both of these reasons were the reasons for which the Supreme Court cancelled the blocks allotted. It makes a mockery of the Supreme Court order and in effect this Bill seeks not only to auction these coal mines, but also seeks to amend The Coal Mines (Nationalisation) Amendment Act, 1976 and The MMDR Act, 1957 without a full-fledged debate on the floor of this House. If you are intending to auction the 74 blocks of Schedule 2 and Schedule 3, you do not need these amendments in The Coal Mines (Nationalisation) Amendment Act and The MMDR Act. Therefore, I would urge this Government that if you are thinking of privatisation of the coal area and you want to create commercial gains and private profiteering in this sector, then that is not going to be in the national interest over a long-term.

I would also like to respectfully ask the Minister that under the new norms it is not clear whether companies bidding under coal or cement and steel can use this coal for their own captive power facility or not. This point must be elucidated on.

The fourth area is the issue of coal block swapping. We all understand economics. Efficiency gains through lower transport cost are very very important. But please understand that through this caveat you are allowing two companies to sell and purchase coal with each other. Therefore, there could be difference in

grades; in volume requirements; and it is not clear if only equal volumes of coal will be allowed to be swapped between two companies or are the two parties going to be allowed to mutually negotiate compensation to adjust for grades and swapping of different quantity of coal. This point must be clarified.

Chapter V Section 21 also of your Bill states that certain arrangements with other successful bidders can lead to selling of coal in open market for profit. This must be amended. There is no reason for this clause.

The fifth issue is to do with the prevention of oligopolies. The previous coal policy, which has been followed by successive Governments -- on that side; on this side; and on every side -- has concentrated ownership of coal reserves in a few business groups. The top 10 allotees bagged close to 22 per cent of the reserves. It has also been noted that this Government might introduce certain other filters during the auctions, which will further concentrate ownership in a few hands.

The rules restrict the ownership of coal blocks to a certain group. But we all know that companies form different joint ventures; company forms different subsidiaries, and under the garb of joint ventures and subsidiaries try to grab many more of the blocks.

My question to the Minister is, what are the policies that you are thinking of in this Bill because it is unclear of how to plug this loophole?

The sixth issue is the effect on the power sector because the power sector takes 80 per cent of the coal of this country. The Coal Secretary himself on record has said that out of the Schedule II blocks, which are 42, there are not many at all that have been allocated for the power sector. How can we ensure that sufficient blocks will be there for power and there will be no disruption to the power sector?

The economics of each coal block is very, very different. The NPV analysis is very, very different. The distance from the power plant differs. Therefore, you will have many of these power companies that will have to go back and renegotiate tariffs with their State Discoms. Would it not be better, and this is my suggestion that in a regulated sector like power where the end product is regulated,

if a lot of these mines were handed over to a PSU? The PSU then does an MDO to be able to extract coal on a cost-plus basis and is given back to that PSU, and then that coal is sold at CIL rates to the power companies thereby making sure that the power sector gets the lowest tariff for the end consumer. If this is not done, I am apprehensive that when companies will bid for captive use, they will get a nod for commercial mining which will follow later, and it will only result in more crony capitalism going forward.

The seventh issue has to do with many unresolved factors in this Bill. The first, it is not clear in this Bill whether there will be any restriction on sale or transferring of assets of the acquired coal block by the winning bidder in the future. If the Government puts in this enabling provision and allows coal block sale in the future, then you could see companies bidding today and selling the assets in the future when commercial mining is allowed to make supernormal profits.

The second issue is that it is very clearly articulated in the Bill that the block will vest with the bidder only after the land issues are resolved. This seems to me another instance of putting the cart before the horse. There is a wonderful opportunity here to recast the coal sector. We must make sure that all permissions are vested in every block – environment permissions, land permissions, and every single permission must be vested in every block before the auction takes place. Otherwise, like in the past, all your bidders, whether Government companies or end use plants, will be running around for the next seven years trying to get land permission and environment permission before starting production in their coal blocks.

The third has to do with the timeline that has been talked about by the Ministry. The pricing was supposed to be completed by the 5th of December; the RFP (Request for Proposals) was supposed to be out by the 8th of December; and the sale was supposed to start by the 9th of December. We are already today on the 12th of December and we have no idea as to what the progress is with regard to

this timeline. Therefore, we would request the Minister to elucidate on that front as well.

Finally, there are no details about the auction as well. Members in this House are unaware which blocks are going to be put up for auction, how many blocks will be put up for auction, how many blocks are going to be allotted to Government companies, and how many blocks are going to be allotted to State Government companies. We would like to be enlightened by the Minister on that issue as well.

In conclusion, I would like to say that it is necessary, that an amendment is required in the coal sector. But it must meet four objectives – objective No. 1, we must reduce the coal deficit; objective No. 2, we must make the mining process much more scientific and cost efficient; objective No. 3, we must make sure that the input prices are the lowest for the regulated sectors. We must make sure that there is not a cascading effect on the end consumers, on the poor of this country. Poor people must get electricity prices at the lowest possible rate so that they can prosper in our country.

Finally also, we must talk about improving the standards for the workers in our coal mines. There is not a single line in this Bill about the workers of our coal mines. Their blood, their toil, their sweat takes out this black gold with which our country is progressing economically. But there is not a single line in this Bill about thousands and lakes of our coal workers in our coal mines and their development and their progress.

So, I would like to say that in this coal policy, it is very clear that we must have one policy for the regulated sector and another policy for the unregulated sector. For the regulated sector, we must set a ceiling price with a reverse auction. For the unregulated sector, it must be a full-fledged auction with the revenue maximising auction process. According to me, there is no reason even to give Government Companies blocks on allotment which do not have specific end-user requirements.

Therefore, at this point of time, Madam Speaker, there should be no amendments to the Coal Mine Nationalisation Act, there should be no amendments to the MMDR Act because the auction allotment of Schedules II and III blocks can proceed without any amendments to both the Acts. The amendment, according to me, should be acceptable for the inclusion of State Government companies, should be acceptable for joint ventures between two Government Companies but certainly is not acceptable for the removal of end-user requirement and for the inclusion of joint ventures of Private Companies that will lead to profiteering and privatisation of the Coal Sector.

This Bill, according to us, must be sent to the Standing Committee for their opinion/views before it is passed in this House.

Madam Speaker, it has always been the policy with regard to any Bill. It must go to the related Standing Committee before it is brought to the House for passing.

So, at the end, Madam Speaker, this Bill needs to pay respect also to the Supreme Court Order, not only to the Legislature. I cannot see how we are going to reach a capacity of one billion tonnes per annum by 2019. It is very clear that we must set up separate markets, build capacity in Government to make sure that they contract, regulate and supervise the coal. It must be a well-thought out process and not a simple leap of faith as thought of in this Bill.

SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN (CUDDALORE): Madam Speaker, I thank the Chair for giving me an opportunity to speak on this important Bill which seeks to protect the national interest in utilizing coal resources. I am a humble soldier of AIADMK Party led by our beloved leader, Puratchi Thalaivi Amma, who has taken keen interest to protect the welfare of the workers in the Nevyeli Coal Mines in Tamil Nadu, making it clear that the workforce is the more important resource of the country.

This Bill is aimed at saving a situation that has arisen due to the directions of the Supreme Court that had found allocation of coal blocks from 1993 to be arbitrary and illegal in many cases. It would not be out of place to point out here the largest scam, the coalgate scam, which again drew the attention of the hon. Supreme Court like 2G Scam. Here also, some political figures were involved. As far as Tamil Nadu is concerned, a former Union Minister belongs to DMK Party is found to be involved in the arbitrary allocation of coal mines. As a joint venture with a company, this Minister got allotted coal block and sold it away to another firm making a big money. The hon. Supreme Court has also condemned this kind of corrupt practices. That is why, the hon. Supreme court cancelled the allocation of 204 coal blocks. Here, I would like to urge upon the Government to plead for restoring the allocation made to public sector undertakings of the State Governments like Tamil Nadu Electricity Board.

Both our natural resources and our workforce must get adequate protection from the fallout of the closure of some mines in the light of the Supreme Court's Order. So, the Government had to make some interim arrangements to keep the production going on. An Ordinance was passed in this regard.

Now hon. Coal Minister, Shri Piyush Goyal, has introduced the Bill that seeks to replace the Ordinance. He explained that the Government is keen to overcome the challenges arising out of the cancellation of allocation. He stated that the disruption in the employment opportunities created by the coal mining industries must be attended to. I welcome that part of the observation of the

Minister that workers' interest will be taken care of. This must be followed all over the country in every mine, be it in the public sector or in the private sector.

The Supreme Court has observed that the natural resources are the public property and must be utilised rationally. Mining activities especially in the coal sector must be proportionate to the coal requirements of various industrial sectors like power generation, steel and cement production. With the passing of the Bill, the Central Government will be granting explorative permit, perspective licence or mining lease in respect of any area containing coal or lignite. Coordinated and scientific development and utilisation of resources consistent with the growing requirements of the country will rationalise coal and lignite mines and prescribe the details of mines and other conditions. The Bill becomes necessary to overcome the legal hurdles that may crop up later after the expiry of lease period. The Bill proposes to give permits to a government company or corporation or a joint venture company to carry on coal mining operations in India.

At this point of time, I would like to lay stress that the Government must ensure that either the Central Government or State Governments are the party in such joint venture companies when private players are also allowed to apply for allocation of coal mines.

Either the Central Government or the State Government must have a hand in the operation of coal mines. The shares of public sector undertakings especially the coal units profitably performing as Navaratna companies must not be sold to private players. That is why during the previous regime at the Centre led by the Congress Party, the shares of profit-making Neyveli Lignite Corporation (NLC) were about to be sold to private people. Many attempts were made by the previous government to sell the shares to private companies which may affect the interests of workers.

Our beloved leader, Makkal Mudhalvar, Puratchi Thalaivi, Amma then positively intervened. In order to protect the interests of the working class, our beloved and kind-hearted leader Puratchi Thalaivi Amma made the Centre to yield

to and to sell five per cent of the total shares which are about to be shed by the Union Government then. The Government of Tamil Nadu led by our dynamic leader Amma purchased those five per cent of shares thereby claiming a stake in the efficient running of NLC. I would like to say in Tamil that Suyanalavadhigalidamirundhu NLCyai kappatriyavar Puratchi Thalaivi Amma. That means, Puratchi Thalaivi Amma has saved the NLC from selfish people.

At this point of time, I urge upon the Centre, especially the Ministry of Coal, to go in for compensatory measures to benefit the local population in areas where coal mining activities go on. NLC is in my Constituency Cuddalore. In Cuddalore and its surrounding areas the water table has drastically fallen down giving rise to acute drinking water crisis. Since this had occurred due to the extensive mining activity carried out by NLC, this profit-making public sector company itself must come forward on its own to make efforts to expand water resources in these areas. If need be, necessary funds may be set apart. People whose lands have been acquired for mining purposes by NLC have to be duly compensated with alternative sites and employment opportunities. Suitable compensation may be paid without undue delay.

I urge upon the Coal Minister to see that the contract labourers who are working with the NLC for a number of years have job security and their just demands must meet with justice at the hands of the Central Government.

I urge upon the Government to be careful in dealing with natural resources. They should not needlessly fall into the hands of private players.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Today, we are discussing about the Coal Mines Special Provisions Bill 2014. This is going to be legislated because of the order of the hon. Supreme Court on 25th of August, 2014 whereby the hon. Supreme Court quashed allotment of all coal blocks because the Screening Committee from 1993 to 2009 allotted coal blocks in an arbitrary manner. Sir, I was the Chairman of the coal related Standing Committee in the 15th Lok Sabha and I remember some of the Members of that Committee are also here in this Lok Sabha. That Committee, at least one and a half year before the delivery of this judgment, had said before the hon. Supreme Court that all allotments from 1993 to 2009 were illegal and arbitrary. The Committee also made recommendation that so far the mines where coal extractions have not yet been started, that coal blocks should be cancelled and immediately a policy should be formulated by the Government as regards distribution of the coal blocks. Unfortunately, the then Government did not adhere to such recommendation and naturally the judgment of the hon. Supreme Court came on 25th August 2014.

Sir, we were all the time in favour of distribution of State largesse on a transparent system and no doubt auction is one of the transparent system. But in 2G scam, when it came before the hon. Supreme Court, the Supreme Court said that auction is not the only criteria for distribution of natural resources. Why I am saying this is because today we are mostly concerned about the power sector. Power sector consumes 80 per cent of the coal for supply of energy and we get the electricity all over the country from there. Now, the Government should have formulated a policy, even without going into the auction, for distribution of coal to the core sectors, namely power, steel, cement etc.

However, the Government has chosen to go for auction for all the sectors; auction is the most transparent system and I fully support this. But the object of the Act is to keep supply to the core sectors which are said to be the specified enduse under section 3 (v). I do not find that really under the scheme of this Bill, these



sectors are benefitted. Micro and mini are there; micro is specified end-use, but if I go for mini, like cement, electricity, washing of coal, etc. they are no clear policies laid down, except in section 5. I will come to section 5 later. Section 4 is a general section – whoever comes for action, if he bids and successful in the auction, then he will get it.

Now, the question is how a cement industry can compete with a power industry when it comes under section 4? How can a cement industry compete with an iron industry under section 4, leave alone section 5? If I take section 5, through you, I want to place before the Government that section 5 gives discretionary power and section 4 gives mandatory power. So, a power industry will get coal supply solely on the basis of discretion of the Central Government. Only if the Central Government exercises its discretion, it will get it, and not as a matter of right the core industries will get coal automatically. So, this is my first objection. Why am I objecting to it? Where are you ensuring supply of coal to all the power industries? That is the most predominant question which the country is passing through today. How will the power industry get coal? Where is the scheme of the Act, which ensures supply of coal to all the power industries for generation of power, that has not been specified? That is my first objection. Why is it so? If electricity is not there, then everybody has to suffer. Where is the scheme of the Act? I could not understand that you are having a PSU like steel industry like SAIL. Where have you ensured that your PSUs will get supply of coal without any hindrance, without depending upon anybody? Where is that?

The Central PSUs like SAIL have to stand like all other private steel industries. Why are you equating the CPSUs with the private ones? After all, it is a nationalized company, a Government company. They must get priority; they must get privilege in supply of coal. That is my second objection. Why are you not doing it?

Our beloved later Prime Minister, Smt. Indira Gandhi nationalized coal. That is how, coal has come here. From 1972 to 2014, for decades after decades,

after putting hard labour, the coal miners today have built up the coal industries. There may be some stray incidents of some faults. But I must say that the Coal India and its subsidiaries have delivered good result in the country itself. They have built it; they have run the country for long years. Why are you going in for privatization? This is your company. Why are you not giving coal to the Coal India and its subsidiaries? It is a Central Government company. formulate a policy. The Supreme Court has not said that in future all coal blocks will have to be allocated through auction. Why have you not formulated a policy? Why are you not strengthening the Coal India and its subsidiaries? Why are you not giving coal blocks to the Coal <u>India</u> and its subsidiaries? You should formulate a policy to supply coal to the core companies from where others can get There is the uncertainty of getting coal for the iron and steel their supply. company, power and cement industry. This is the grave concern so far as my Party is concerned.

I was talking to the Minister of coal just a few minutes back. He asked me as to why we are opposing it as our State will get the money. I may tell the hon. Minister through you, Sir, that mines are the properties of the States. So far as coal is concerned, this Parliament is enacting the law which gives power to the Central Government otherwise mines are the properties of the States. You are not giving any charity. I would like to remind the hon. Minister that he is not giving any charity to the State Government. He is rather making money from the State Governments' property and is trying to be benevolent to the State Governments.

The Centre should create a positive situation by ensuring uninterrupted supply of coal which will instil confidence in the core industries. This Government has no scheme of supplying uninterrupted coal. This confidence must be there. Today, all the industrialists of the core industries are thinking whether they will get the coal or not. This confidence is lacking because of the policies of the Government. The Government has to ensure that the Indian core industries get the coal. You cannot gain anything from FDI. This will have a

disastrous impact in future. You may get some gains from some industrialists but this will be at the cost of the poor people of this country. FDI will bring disastrous effects in our country.

Why did you not consult associations like CII, FICCI or Bengal Chamber of Commerce, Kolkata Chamber of Commerce, Bihar Chamber of Commerce, UP Chamber of Commerce and Odisha Chamber of Commerce? I remember when the Indian Mines and Minerals Bill came before the House, it was sent to the Standing Committee which considered it for long one year. We, in the Committee, gave a chance of hearing to everyone. You are bringing such a big legislation without consulting those who will be the real sufferers. The attempts made through this legislation will destroy our economy.

You are only interested in FDI. You do not want to protect the interest of our Indian industrialists. The attempt to bring FDI in all spheres of life is having disastrous effect in our country. You do not have any scheme to monitor supply of coal. You have brought the legislation. I would like to know from the hon. Minister, through you, where is the scheme or provision to monitor coal supply. I must thank Shri Scindia who has also made this point. If the existing companies do not get coal where is the scope to monitor it? Why are you not giving coal blocks to Coal India and its subsidiaries? I have already said that the Supreme Court did not say that all coal blocks should be allocated by auction. It is the Government's wisdom.

13.00 hrs.

I appreciate that but why only auction? You could have framed a policy, at least, for the coal-based companies for giving coal through the Central Government Companies. If it had been done, it would have ensured coal to them.

There is no security or facility for the workers in this entire Act. It does not speak anything about the workers. The owners mint money at the cost of poor labourers. What is their security in this Act?

The Coal India and other industries are having JBCCI (Joint Bipartite Committee). They entered into an agreement which speaks about the conditions of service and improvement in service of all the coal workers. What is your intention about this? Will you try to bring all the workers of coal blocks which will be allotted to other industries under JBCCI? Will you extend the benefit of JBCCI to those workers also? Will you kindly tell us what will be their fate? Are they going to be governed only by the State laws?

Then, within the specified end-use, another industry should have been included. I would request the Minister to kindly include gas sector also. As regards production of gas through coal, in other countries like Australia, gas is one of the products which is being produced through coal. You kindly include it and also give some concession to such industries.

So far as monetary benefit is concerned, I have already said that the Central Government is not doing any charity. At the end, I would say that unless the core industries are secured, this legislation cannot get its life in future days. One day, it would create suspicion among all the industrialists of our country.

With this, I would make a request that this Bill should be referred to the Standing Committee. It is a very important Bill and it needs a thorough discussion.

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, there would not be any lunch break today and we would continue this debate.

1304 hour

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, I thank you for this opportunity.

As you are aware, I come from the State of Odisha and this State alone holds 26 per cent of the total coal reserves of the subcontinent of India.

At the outset, I would like to start by quoting the former Comptroller and Auditor General of India, Shri Vinod Rai, from his book *Not Just an Accountant*

page 157 wherein, this very able and honest executive has written a very interesting line:

"The coal mining saga is a remarkable case study of people in power who, when provided the mantle to lead, faltered the moment a challenge arose."

This itself is self-explanatory. I would assume that it is not speaking about the past, about what dirty linen has been washed in public in recent years and about what these people did. It just does not apply to the UPA. It could very well apply to the NDA also if they are not careful because what the UPA did we only came to know about it during their second term. If this gentleman and an able Minister again becomes a Minister in the next term, then probably we will also hear things that will not be so savoury for all of us.

The recent controversies about the coal block allocations have been a great help in shedding light not only on the wrong doings of certain political bosses but also on very serious deficiencies that have been an integral part of this extremely important and core sector of any economy for that matter. I feel more and more convinced listening to everybody talk that the present discourse has not really tried to identify any of the fundamental challenges that the coal sector faces in India and how these challenges could be overcome. We all know that 70 per cent of our power is coal-fired and so 70 per cent of the electricity produced in this country is from coal. Coal is a natural resource which, let us not for a moment forget, belongs to the people of India collectively. The nation's natural resources should and must subscribe to the theory of public good.

Sir, I would like to rush through a few points because everybody in the House had not had lunch and I would not like to be an impediment in that. The first point is that there is an organisation called the CMPDI about which the hon. Minister would be well aware. The interesting point is that the CMPDI is our sole assessor of how much coal reserves are lying underground, whether it is surface mining or deep mining does not matter, whether it is Meghalaya or Odisha does

12.12.2014 74

not matter, CMPDI is the only organisation. That organisation till today, till the moment we are discussing this Bill, has not even bothered to adopt international standards by which countries all over the world assess their coal reserves. There is this United Nations Framework Classification and CMPDI is not adopting that method to assess the coal reserves. It is funny to know that while we are being informed of what reserves a certain coal block contains, the fact is that suppose that coal block has been mined earlier and a certain portion of that block has been taken out, CMPDI does not renew and update its records. Therefore, we are going in for a bidding process or an allotment process basing on records and data of reserves provided by CMPDI which are not really updated and which are not even correct according to international standards. What we are really doing is waiving a stick in the dark not knowing what we are really dealing with. It is also an injustice towards the person who would bid and who would eventually get the block.

The second point is that there is belligerence with which a thought is being pushed forward that all the regional Parties and the regional politicians should keep quiet primarily because the proceeds of the bids will go to the State Governments. It is a very good move. I am not decrying that. I am not deriding that move.

But, Sir, the fact is that the mine in totality is huge. The bid will be for a certain amount now. They are not going in for millions of tonnes to be bid at one-go. It will be a certain percentage. Later on, it is expected or it is being told that it is not a part of this Bill. It will be an administrative order saying that the State Governments will be the beneficiaries of the accrual of all funds that will become part of the State Exchequer because the Centre will not ask for a share out of it. Therefore, the States will get a lot of money which is not true. We all know how India operates. We all know that if this Government does something and if this hon. Minister takes a decision, it is possible that, in this very Government also, another Minister who may become a Home Minister tomorrow and another

Minister comes here, this thing will change. Therefore, there is no guarantee that this belligerence with which this thought is being pushed like "Shut up! Take this, it is coming your way." is not acceptable. It is not the truth. This will only be a time bound thing and something to keep us quiet. In other words, like how we talk to kids, it is a lolly pop.

I would go one step further. I would request the Government through the hon. Minister that they should consider making this a part of the Bill, a part of the law, so that in case somebody else tries to play mischief with this aspect later on, they will have to come back to Parliament or this House to amend the law. Then, whoever is there in the House can take a wise decision on the matter.

The third point which I would like to make is like this. Suppose a person 'X' or company 'X' was allotted land on a discretionary mode by the previous Government which we find that the honourable Supreme Court has cancelled and has given it back to the Government saying to use their brains, be judicious, properly re-allocate through tender or bids or through a transparent process and give it to the new player.

Suppose Company 'X' had got it and now, it will go to company 'Y'. We have to take into account that company 'X' was allocated a certain piece of land which the State Government's Revenue Department had pointed out that the land was given from 'X' to 'Y' and this is the plot of land. That entity or company had bought the land and the registered sale deeds are in the name of company 'X'. Now, afresh, you are going to re-allocate those 200 and odd coal blocks to somebody else. Let us assume for a moment that it does not go back to company 'X' saying that they have a fall-out in their negotiations and that they do not manage to get what they want and so, you may not give it to 'X' and you give it to 'Y'.

Now, there is no mention of this point in the Bill. What happens to the land of which company 'X' is the legal owner? It is because the registered deeds are in the name of company 'X'. The Bill does not address this aspect.

Acquisition was made according to the old Land Acquisition Act. Now this august House has passed a new Land Acquisition Act. If you want the land back, then you have to go according to the new Land Acquisition Act. Then the question will come up as to whether the original owner from whom you had acquired the land earlier will have a role in this or you are going to throw him to the wolves and not bother about it.

These up-for-grab mines – this is how I am trying to label them as – have been divided into three Schedules. Schedule I consists of all mines whose licences have been cancelled and Schedule II has 42 mines that are producing or were close to producing coal. Schedule III consists of mines in which the end use is already specified.

It is interesting to note the end use definitions. What is the end use definition? The first is the production of iron and steel. It is fine and accepted.

Second is regarding generation of power. That also is acceptable. Third and the fourth are very interesting. Third is regarding washing of coal obtained from a mine. What does that mean? That company 'X' takes a block, puts up a washeries where coal goes, water is injected at high speed and all the mud is washed away and the good coal comes out. You must have seen coal washeries, Mr. Deputy-Speaker. I have so many of those washeries in my constituency. We have a block which is adjoining my constituency called Chendipadha where two State Governments, Maharashtra and Gujarat, have been allotted coal block. The company that they have registered is called Mahagui. The coal extraction and washing for Mahagui has been given to a not so well-known company, called Adani. So, what will happen now? You do not know Adani. We know a lot many more things. ... (Interruptions) Nobody knows Adani. We know only Birla and Tata. We do not know anybody else. They are out. Because it has a coal washery now, this third thing – very surreptitiously and innocuously – has been put in such a way that washery owner becomes an end user. It means, in simpler terms, when you give your shirt or trousers to your laundry man, he washes it and then he

wears it. So, when you come next time to Parliament, you will see your *dhobi* walking wearing your clothes and you cannot object because he is the rightful owner because the law says that the 'owner of a washery' is an end user. So, somebody who washes the coal becomes the end user.

Then, there is cement, which is also acceptable. We have no problems on that.

Final 'end use' definition is again suspicious. It is said, 'any other use as specified by the Central Government'. So, what you are doing is that you are keeping a huge door open for your discretionary practices, where you will decide what will be the 'end use'. It is only for five years that they can decide. Six months have gone, so they are left with only four and half years. But this property, this wealth, etc. belongs to the nation.

So, I would suggest to the hon. Minister and the Government that they should be very clear as to what they think is the 'end use' in all its definitions. There should be no ambiguity left.

It is true that the Supreme Court judgement of canceling all coal block allocations since 1993 has hit the Government hard and we do need immediate reforms in this sector. There is no denying that factor. The question is, whether this new Bill that the Government has put forward is a long-term solution or it is just a Band Aid to tide over this particular difficulty of taking the wealth from 'X' and giving it to 'Y'. Like the earlier Textiles Bill, in this Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2014 too, the Government has tried to thwart the very essence of the judgement of the hon. Supreme Court.

The recent coal scam only proves that a lot of people have been eyeing this huge wealth for their private benefit and to control the prices of this resource in the market.

I have a few questions for the Government. ... (*Interruptions*) HON. DEPUTY-SPEAKER: Put the questions.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: In what manner will the coal block be allocated? Will all mines of all the three groups go on auction or will some of them be allocated by the Government? Who will they go to? In other words, the plot of this whole movie is to limit the eligibility of the bidders. So, instead of not knowing who it goes to, you limit it at this end as to who all can bid. The powers that be will certainly decide who gets the cake and sadly who eats it too. They will control which players will win the bids or allocations and corner the huge profits that will accrue.

After being allocated, what can the allottee do with it? There is a great ambiguity in this respect. Most recent developments indicate China's decade-old coal boom seems to be over. Offering new hopes for global climate protection. The hon. Minister is very well aware that the *Bhagavad Gita*, which we thought was the great scripture, could only get international recognition or could only become a super-star as a literature when our hon. Prime Minister gifted it to the hon. President of the United States Frederick Barack Obama. Once Mr. Obama got that book, the real worth of the *Gita* was obviously known to everybody and we also decided that it should be the national scripture, it should be the national book of the country.

If that be so, we will also have to take into account that the White House under Mr. Obama has recently sent strong signals to the world that it is more committed than ever to reducing carbon emission which is a huge change in the U.S. Policy. They were also hedging about this. If that be so, will our Coal Policy not follow the example of the *Bhagavad Gita* being gifted to Mr. Obama and thereby gain international stature? Observed in this light, our coal reserves may not get time enough to be used for long in view of the fragile global environmental situation.

So, Sir, again coming back to the State issue whether the funds would go to the States, it may so happen that we will have enough coal reserves but the

global pressure would be so much that the thermal power plants may not have a very long life, not even the 30 years that are being predicted now.

What is the objective of auctioning coal blocks? Sir, the questioning is continuing. This is a very basic question and people may ask about it.

HON. DEPUTY-SPEAKER: There must be an end to your speech. You cannot go on continuing with this. Somewhere, you must end.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: I have only a few points to make. The Government is proposing e-auction as if e-auction is the only panacea to all evils of corruption. E-auction is something which the whole country and all these ladies and gentlemen have had the great opportunity to sit here basing on one e-auction of the 2G spectrum. Let us not tom tom e-auction. It is not the panacea to all the evils. It will not clear us of corruption charges. How do we also ensure that the person who is bidding, the intentions are legitimate of that person? The companies that wish to participate in this auction will need to comply with the numerous conditions put forward by the Government. By simple logic, the eligible candidates will be far and few. That does not really sound fair. If the Government wants to privatize coal, then, why micro-manage the auction? They are getting into so many details with their micro managing the whole auction process. The goal is to privatize. But they are going about it in such a way that it will be privatized but only to those select few whom they wish to give it to.... (Interruptions) I will not specify who "they" mean? But it may be Delhi; it could be Jhandewalan; it could be Kolkata and it will be anywhere, it could even be Chennai. Is the Government keeping a watch on bidding companies and their subsidiaries to ensure that oligopoly is not formed in the coal sector? The captive coal block allocation policy of the previous Government concentrated the ownership of coal reserves among a few business groups, skewing industry dynamics in their favour. Interestingly, the top 10 allottees bagged 22 per cent of national coal reserves. The Ordinance has retained that captive policy. There is no qualitative change. So, we will again go from "X" into the pockets of "Y". It will not be for the people.

Sir, I will wind up now. In the interest of the companies whose coal blocks have been cancelled, I would say that many of them have bought land. For example, in Odisha, we have a Government organization called the Industrial Infrastructure Development Corporation of Odisha. It behaves as a middleman or as a facilitator – that is a better word – between a company wanting to operate a coal mine and the land owners. It buys the land, it gives them the demarcation, and does everything, and hands over the parcel of land. In the process, it charges 12 per cent service charges. Suppose the company loses this, the Bill does not address such problems as to who will pay that money which had been paid to an intermediary or interlocutor like IIDCO. Many companies have done this. Suppose the Government fixes the price of Rs.10 lakh per acre; they have paid ex-gratia payment of another Rs.10 lakh. So, it comes to Rs.20 lakh per acre. That also the Bill does not address.

I would think that this Bill should not be hurried through. I would also support the hon. Minister, and if he so likes, I would like that this Bill be referred to the Standing Committee. Let us not put in any ego problem with this. It is for the nation's well-being. The Minister has all good intentions. I am sure of it. He is a young person. May God bless him! Let him please think about this; let it not be partisan. ... (*Interruptions*)

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमित दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं कि कोल घोटाले के बाद एक कोल ब्लाक को देने पर काफी मंत्रणाएं होती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इसका ई-ऑक्शन करने का निश्चय किया। मुझे उम्मीद है कि इस बिल के माध्यम से देश में कोल की सप्लाई जल्द से जल्द चालू होगी।

आज कोयला देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 80 परसेंट कोयला बिजली के उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। अगर बिजली का उत्पादन न हो तो हमारे यहां अनाज भी पैदा नहीं हो सकता। आज अगर खेती में बिजली होगी तो खेती में पानी दिया जाता है जिससे अनाज उगता है। मैं काफी सालों से देख रहा हूं कि मेरा लोक सभा संसदीय क्षेत्र रामटेक लगभग 80 परसेंट कोल बैल्ट पर स्थित है। वहां डब्ल्यूसीएल भी है। हम उनकी कार्य पद्धति से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं।

में माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो कोल ब्लाक्स हैं और सीआईएल कम्पनी के जो भी कोल ब्लाक्स हैं, जिनकी सब्सिडिएरीज चल रही हैं, उनके लिए फार्मर्स की लैंड ली जाती है, यानी लैंड एक्वीजिशन होता है, उस समय भी हमारे किसानों के साथ अन्याय होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए आपको इसे भी ध्यान में रखना चाहिए।

आज हम जानते हैं कि जब कोल ब्लाक की नीलामी होगी तो उसमें सरकार जरूर सरकारी कम्पनियों को प्रायरिटी देगी और देनी भी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि हमारे एमएसईबी, यानी महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को कोयला चाहिए तो वह किसी और राज्य जैसे ओडिशा, रांची से दिया जाता है। मध्य प्रदेश को कोयला देना है, तो ओडिशा से दिया जाता है। उनके पास खुद का कोल ब्लाक न होने से आज यह परिस्थिति है।

में सरकार से मांग करूंगा कि अभी जो कोल ब्लाक्स दिये जाने हैं, उन्हें हम डायरेक्टली इंडीविजुअल को देने की बात कर रहे हैं। इंडीविजुअल को देते समय सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि पावर प्रोजैक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, जिसका एनटीपीसी है या स्टेट गवर्नमेंट के जो पीएसयूज के होने चाहिए, जिन्हें आज इस कठिनाई से गुजरना पड़ता है। कोयला न मिलने के कारण उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता। आज महाराष्ट्र के साथ-साथ देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हमें 16-16 घंटे लोड शैडिंग का सामना करना पड़ता है।

अगर सरकार इस विषय पर ध्यान दे और सबसे पहली प्रियारिटभ् सैंट्रल गवर्नमेंट पीएसयूज़ को दे उसके बाद स्टेट पीएसयूज़ को दे जो हमारे देश में पावर का प्रोडक्शन करते हैं। पहली प्रियारिटी पावर



12.12.2014 82

इंडस्ट्री को देनी चाहिए और उसके बाद स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री को देनी चाहिए। स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री बिजनैस करती है लेकिन पावर इंडस्ट्री जनता, किसानों के लिए है। इस देश में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।

महोदय, कोल ब्लॉक्स और माइन्स द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है। प्रदूषण के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। अगर हम किसी भी कोल इंडिया के माइन एरिया जाकर देखें तो पता चलेगा कि कैसे वहां रहने वाले लोग बदतर जिंदगी बिता रहे हैं। उनके लिए सरकार द्वारा किसी अस्पताल का इंतजाम नहीं है। मैं डब्ल्यूसीएल की बात कहना चाहता हूं, वह 250-300 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, लेकिन डब्ल्यूसीएल का स्वयं का कोई अस्पताल नहीं है। यहां काम करने वाले कर्मचारी, लेबर और अफसरों को टीबी जैसी भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कोल इंडिया के माध्यम से नागपुर शहर में फाइव स्टार अस्पताल खुल गए हैं, ये अस्पताल कोल इंडिया द्वारा चलाई जा रही सब्सिडरी से अमीर बनते जा रहे हैं। वहां जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वे नहीं मिल पा रही हैं। सरकार इस तरफ ध्यान दे, चाहे डब्ल्यूसीएल, एसीसीएल आदि के खुद के अस्पताल लेबर से लेकर अफसर तक के लिए चालू होने चाहिए।

अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to speak in this august House on the very important Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2014.

I understand that over 6,185 million tonnes of hard coal is currently produced worldwide. Coal with a proven reserve of 860 billion tonnes is mined throughout the world. There are five largest coal producing countries in the world namely, China, USA, India, Australia and South Africa.

India is the third largest producer of coal in the world. However, the country's domestic consumption is large and as a result, India imports coal to meet the needs of power companies, steel mills and cement producers. Furthermore, non-coking coal reserves make up about 85 per cent while coking coal reserves make up for the remaining 15 per cent.

Coal plays a pivotal role in the economic development of the nation. In recent years, we have witnessed significant economic growth and growing industrial development. Coal continues to play an important role in supplying energy to the power generation sector and a large number of other industries. Over the past three decades, both coal production and consumption have increased dramatically.

Sir, I would like to fully support the Bill introduced by the hon. Minister. We have seen during the tenure of the past Government how the allocation of coal mines has lead to huge amount of corruption ultimately forcing the Supreme Court to come in and cancel the allocations. The coal scam was so serious that there were allegations of the Prime Minister's Office being involved during the past Government. That is why it is important to clean up the mess left by the previous Government.

I am happy that the present Government led by Shri Narendra Modi *ji* is going in that direction. This Bill is a bold step by the NDA Government and I, on behalf of myself, our Telugu Desam Party and our leader Shri Nara Chandra Babu Naidu, offer our support.



While we pass this Bill, I would also like to express some concerns regarding this Bill. Through this Ordinance, coal would be mined for commercial use and sold for profit. Once 130 of the mines listed in the First Schedule are allotted to companies – not into power, cement, steel or industries – with the Government retaining the captive dispensation, the risk of coal reserves concentrated among a few groups remains. The Ordinance says the Government might introduce other filters during auctions like the quantum of investment made.

I would like to mention that the Government is expressing its intention to auction all 204 cancelled coal blocks in the immediate future; the threat of avoidable environment damage remains. According to the Coal Controller's Provisional Coal Statistics (2009-10), the peak rated capacity of all captive blocks allotted by March 2010, which should come into production by 2015, was 705.8 million metric tonnes per year.

I would also like to draw the kind attention of the august House towards the environmental pollution. India imported 110 MT of coal in 2013-14. In other words, India could end up opening many more mines than it needs. Also, the Ordinance says that companies will be allowed to supply coal from their mines to multiple end-use plants, which is likely to lead to an intensification of mining in these areas.

As I conclude, I would like to say that this Bill has brought to auction coal blocks through competitive bidding as a measure to boost production and introduce transparency in coal mining. This will also generate additional revenue to the Government, improving the economic activity in the country. The power deficit of the country would be addressed thereby lighting up the homes of millions of Indians. I also hope that the Bill would go a long way in generating employment to the vast sections of youth in the country.

There is one 800 MW thermal plant in Vijayawada which was proposed in 2012. This plant is built with super critical technology which is highly efficient

and environment friendly. Coal linkage is still awaited. I hope the Coal Minister considers this request as early as possible.

With these words, I support the Bill. Thank you very much, Sir.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Thank you very much, Sir, for the opportunity to put forth my views on the Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2014.

At the outset, I would like to say that the coal sector in India, in the past few years, has been subject to various controversies and issues which raise the uneasy questions on overall governance of this sector. So, in this view, I am sure, this Bill is a welcome move. We all knew about the murkiness that had happened with the coalgate scam and it is termed as mother of all scams in India today, unfortunately, and it brought a very bad name to our country internationally.

Now, through this Coal Bill and through the intervention of the hon. Supreme Court, the Government is trying to make some corrections to the image of the country as well as to address the energy crisis of the country. But, I am really afraid, in the guise of following the Supreme Court Order and in the guise of making sure that the energy crisis in India ends, the Government is also attempting to denationalize coal. This is not only my concern; this is the concern of the country today. The labour at large, the workers in the coal mines at large are also worried about this particular factor.

Particularly, if we want to allocate the coal mines that were cancelled by the Supreme Court, we could have directly done it without amending either the Coal Mines Act or the Mines and Minerals Development Act. We need not touch these two Acts to actually allocate whichever are cancelled by the Supreme Court. But, today the Government has come here to the Lok Sabha with huge mandate.

They do not have to do things like that. In the guise of doing something, they are trying to attempt something else. Particularly, in my area, there is Singareni coal collieries. We have 70,000 workers in the coal fields. I am very proud today that they are the most efficient workers in the entire country. Our coal output, compared to international coal output, is definitely less but in the entire country, Singareni's coal output is much better.

If we have to talk about the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, if you would have amended that Act, the mother Act, directly, then we would have discussed about the miners' welfare and the various benefits and schemes that they should get. But now, it seems that we are only talking about these 204 mines and their allocation. Unfortunately, there is not even a single line about the miners and their welfare. I am really afraid, as a daughter of this soil and as a citizen of this country, that if we are going to privatise these mines, we have always seen that private companies weaken the unions. They do not talk about the welfare of the workers. If we will denationalise them, then who is going to take care of the welfare of miners?

Even today, in companies like Singareni and Coal India where the OB contract is taken by the private people, they do not adhere to the Wage Board or the wages given by Coal India. We are not able to do anything to them because they have many rules and regulations. But tomorrow if we open the flood gates to denationalise coal, how are we going to face that situation? There is a lot of coal across the country especially in North India, Tamil Nadu and Telangana. Lakhs of miners are dependant on this. How are we going to take care of this? I would like to request the hon. Minister to address this issue.

I know that today our country is facing acute shortage of coal. We have an installed capacity of 250 gigawatts and we are only meeting 160 gigawatts. I understand that. We need to mine about 776 million tones of coal and we are not able to do that. I also understand that. We know that today the thermal power plants, installed in our country, are to have reserves of about 10 to 15 days. But they are not able to maintain that. They only have six days' capacity. We understand the crisis and the emergency. We want the Government to go ahead and bring reforms instead of selling Coal India. It is a profit making company. Why do you want to disinvest that? This Bill does not talk about any of that. That is the concern and the main worry.

Sir, with the popular mandate काशी से कन्याकुमारी तक लोगों ने मोदी जी पर विश्वास किया। काशी से कन्याकुमारी तक, we have trusted him and gave him the mandate. Not only that, coal and other natural resources are not ours. There is a saying that natural resources of any country are not given to us by our parents but they are given to us by our children. We are supposed to take care of our future generations.

I would like to bring the attention of the hon. Minister to Schedule IV. It says;

"a company or a joint venture company formed by two or more companies, may carry on coal mining operations in India, in any form either for own consumption, sale or for any other purpose in accordance with the prospecting licence..."

What does this mean? Why do we have to be so open-ended? Are we opening doors for exports because coal exports, till now, were very marginal? Now, today, when we do not define as to what is the end use, as Satpathy ji was saying, tomorrow if these companies are going to start exporting, how are we going to fact that situation? Please think about it. This is not my issue. I have coal mines in my State but I have no politics to do in this because when the iron ore was mined, you do remember the border between Andhra and Karnataka was wiped out because of some private interests. Until the hon. Supreme Court came in and banned the iron exports, our local steel industry did not have iron to get steel. Tomorrow, if you do not put a ban on export, then how are we going to face the crisis? This is a serious concern. This is a grave concern. Today, whatever we do, we say हम अमेरिका को आदर्श मानते हैं, हम चीन को आदर्श मानते हैं। But today, both the countries are saving their natural resources. They are importing. हमारी जितनी जनता है, जितनी जनसंख्या है, हम शायद इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन जो भी कोयला भारत की कोख से निकलता है, उस पर इस धरती के बेटे का अधिकार है। अगर इस कोयले को देश के बाहर जाने देंगे तो this is not right. We will not be justifying this. मोदी जी पर हम सभी को विश्वास है। हम मानते हैं कि उनका बहुत बड़ा सीना है, बहुत बड़ा दिल है, लेकिन

इतना बड़ा दिल रखने वाली गवर्नमेंट जब सीधे-सीधे बात बोलती है तो अच्छा लगता है।...(व्यवधान) मुझे मोदी जी पर विश्वास है और मैं केवल इतना ही पूछना चाहती हूं कि एक बिल आप अमेंड कर रहे हो, लेकिन इसमें बेस-बिल्स दोनों आप अमेंड मत कीजिए। अगर करना है तो अलग से लेकर आइये, कोल माइन्स नेशनलाइजेशन एक्ट अलग से लेकर आइये, क्योंकि उसमें कर्मचारियों और लेबर के बारे में डिस्कशन करने का मौका मिलता है। हम बार-बार आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि, kindly ban exports as a part of this Bill. The welfare of the workers has to be the pipe concern. Kindly think about it.

I have to make one last point. हमारे क्षेत्र के बारे में मुझे एक बात बोलनी है कि सिंगरेनी जो तेलंगाना में है, आप जब कोल-इंडिया को एलोकेशन में प्रीओरिटाइज कर रहे हो, kindly do consider Singareni. Also allocate mines to Singareni on a priority basis.

Thank you so much. Jai Telangana.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Hon. Chairperson, Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity.

I am hailing from that part of the country where we do not have coal but definitely we are very much concerned about coal because coal contributes to the economy of our country and thousands of workers are associated with coal.

Sir, to raise the concern of our economy and also our workers, I would like to supplement the discussion with certain points. The previous four speakers, Shri Scindia, Shri Banerjee, Shri Satpathy and just now, my colleague, Shrimati Kavita have made very important points. I think, the hon. Minister has definitely noted down all these points. This has facilitated me. I will not repeat those points but I will have to just mention some other points.

Let us go back to pre-nationalization of coal mines, that is, before 1973. Why was it necessitated to nationalize coal mines? It was because that before 1973, coal was extracted in different ways. The assets were not taken care of for a longer run, and very particularly, the plight of thousands of workers was treated very slavishly. In those days, other industries like power generation, steel, etc. were suffering due to the dearth of supply of coal. That is why, coal mines were nationalized, broadly disciplined and the welfare of the workers, though not in all respects, improved through certain steps. Since then it was doing well.

Of course, there are weaknesses. Many data have been mentioned here to prove that still there is deficit for our steel, power generation, etc. The solution may be that the Coal India Limited may be restructured in such a way by inducting more technology, skill, etc. to improve the working condition of the miners but we have not seen to that extent. Rather, the plight of the workers got deteriorated.

Now, as it has been rightly said, under the guise of this Bill, actually through this PPP route and Foreign Direct Investment, scope has been given to the private players and indiscriminate looters.

Again I will like to mention that in 1999 there was an amendment for captive plants unit. Why is it? It is because we are suffering from the energy

deficit and we shall have to generate more power. That is why some captive plants were given power. Simultaneously, about 246 coal blocks were allotted. If I go by the facts, what happened to that? Those who were there with the objective of indiscriminate loading have done something. But in most of the cases, the hon. Supreme Court had to intervene, as the coal scam happened. So many things have been talked about. It has been seen that in most of the blocks which were allotted, no production has started yet and they are lying idle.

That is why, Sir, instead of strengthening the CIL, a public sector undertaking, they are thinking of denationalisation of these mines, which are our assets. We cannot be in agreement with that.

There is another very important aspect. The black gold is lying in about 32 districts of our country. It is in West Bengal, Jharkhand, Telangana, Chhattisgarh. These 32 districts are the districts, where a majority of people living is tribal community. But in this proposed Amendment, there is not a single line or a word about them. If these blocks are leased out, hundreds and thousands of families will have to be rehabilitated. What would be their fate? What kind of compensation or rehabilitation would be provided to them? Everything is absent in this Amendment Bill. Then, it would clash with the Forest Rights Act also, which was enacted by this very august House. But in this regard, this Amendment is mum.

Sir, in the year 2002, during the regime of NDA Government, Respected Atal Behari Vajpayee was the Prime Minister of India. In those days also, there was an attempt to totally privatise the coal sector. But that move was opposed by all the trade unions including the BMS, which belongs to the present Ruling Party. The BMS was opposed to that. Though there were some manipulations going on outside, they were opposed to this Amendment that it could not be done. It is because the private players, the private companies would not take care of the welfare of workers; they would not take care of the plight of our environment and also economy. Then, hon. Atal Behari Vajpayee himself called all the five trade union leaders, held discussion at length and arrived at a decision that 'in any kind

of such move for amendment or whatever, the trade unions would be brought into confidence and their concerns would be addressed.' Their concerns were addressed.

But here, in this proposed Amendment Bill, there is nothing mentioned about the trade unions and workers. There is also nothing mentioned about their grade leader, Shri Atal Behari Vajpayee as to what decision had been arrived at in 2002.

I would like to mention that in 1972, if we go by the references, when the then Coal Minister of India, Shri Kumaramangalam was there, while it was nationalised, a lot of discussion was made in this House and there, this will or wish had been expressed in this House that coal shall never be de-nationalised. It is the national property. It is the property for our generations, and this kind of assets cannot be leased out. But today, definitely, that kind of magnanimity we can expect from our present Coal Minister also. Though not in a big way, I have heard some lectures where he was talking about so many things. I think these aspirations of our forefathers or our previous leaders should be heard.

Again, I would like to mention another thing. From the end of the trade unions, not only from the trade unions but also from the common citizens of our country, by observing or by seeing the plight of the coal-gate scam and so many other things, we cannot allow those things to be repeated again. What happened in our country? So, I would like to specifically draw the attention of the hon. Minister and the Government that if these 10 points that I am going to mention could be considered and brought into the proposed amendment, then we may have some discussion.

They are: first, to scrap the enabling clause in Ordinance No.5 of 2014 to allow commercial mining to private sector. Second, before auctioning coal blocks, Coal India Limited and its subsidiaries be given first preferential choice. Third, stop further dis-investment in Coal India Limited. Four, restore sale of coal through E-auction to generate additional funds for development. You are

attempting to privatise it. Five, rationalise coal pricing mechanism linked with cost of production and associate trade unions in coal pricing. What Mr. Atal Bihari Vajpayee assured in 2002, you follow it and follow your great leader. Six, extend benefits of NCWA to workers of captive coal mines in India. Even coal mines have to be given to the captive units. They are accruing huge profits but nothing is going for the welfare of the workers. Then, stop outsourcing contractual agency work in coal industry. Enforce SPCCIL Board's enhanced wages, perks, bonus to contract workers engaged in mining activities from 1st January, 2013. Then, lift ban on recruitment in coal industry. Even today Coal India is the largest player. It is producing almost 50 million tonnes. My figure may be wrong or right because I am not aware of it. So, it is the biggest player but by weakening the SECIL, by weakening its workforce, how can the Corporation be run? As Shri Scindia said, there is no CMD. How can this Corporation run? Then, enforce the provision of revised Land Acquisition Act, 2013 to enhance land compensation, employment of land oustees and proper R&R to PAPs. Unless this is done, it cannot be accepted.

I propose that either this Bill may be withdrawn or it may be sent to the Standing Committee. Either step may be accepted. Thank you.

12.12.2014 94

14.00 hrs.

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Thank you hon. Deputy Speaker, Sir for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2014.

The Bill allows the Government to take over the cancelled coal blocks. The first of blocks would be allotted to Government entities such as NTPC, Sate Electricity Boards and mining companies of State Governments. This would protect the interests of electricity consumers.

For private companies, the coal blocks would be put in a central pool for bidding through e-auction. The entire proceeds from the auction would go to the States where these mines are located and lakhs of labourers would get employment. Coal worth 20 billion US Dollars, which is being imported annually, would be domestically substituted through this measure.

Estimated coal reserves in India is 300 billion tonnes. In India, coal based power projects generate the highest energy. All other sources like wind, solar and hydro have their limitations because of low plant load factors. Coal based power projects account for 60 per cent of the total capacity; it contributes 75 per cent of the energy generated.

Unfortunately, during the last five years, while the domestic coal production grew only at 1.5 per cent per annum, the coal based power generating capacity has increased by about 15 per cent per annum. The result is, we are increasingly dependent on import of coal. As estimated 185 million tonnes of coal has to be imported this year, if we have to meet complete gap. If we are importing a product that can be produced within the country, we are importing unemployment that is started of employment.

For example, Singareni Collieries Company Limited with an annual coal production of 50 million tonnes, provides direct employment to 70,000 persons and an indirect employment to as many people. If we are importing 185 million tonnes, it only means that we are depriving 5 lakh people of employment.

It is shocking that while India and China have the same level of proven coal reserves, India's production of coal has stagnated at 500 million tonnes per annum against China's 3500 million tonnes per annum.

At least now the Government has to urgently complete process of reallocation of blocks and start increasing production on a war footing. The biggest problem will be the forest and environment clearances and providing infrastructure for evacuation of coal produced. The Government should take special interest in providing inter-department coordination for the newly allotted coal blocks to start producing coal.

I suggest that the Government should revisit the report of B.K. Chaturvedi Committee, which has gone in depth on the issue of environment for coal blocks. They opined that:

"In respect of forests, what really should matter is forest cover loss due to projects as proportion of total forest cover available. For instance, all the coal reserves, particularly those classified as no-go-areas by MoEF, constitute just about 0.75 per cent of the total forest cover loss but can power about 2,00,000 MW additional power plants in the country."

The Government may impose a tax for the loss of the forest cover and afforest 100 more degraded forests in the country besides improving the lives of tribal. So, the need of the hour is not just to allot coal blocks and leave it to the private companies to do the legwork relating to obtaining clearances. The Government has to shoulder this responsibility. Otherwise, we will be back to square one.

With these words, I conclude and support the Bill on behalf of my party, YSR Congress Party. Thank you, Sir.

श्री हुकुम सिंह (कैराना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा। मैं इस अध्यादेश का समर्थन करता हूं और जो इसका रिप्लेसिंग बिल आया है, उसका भी समर्थन करता हूं। उसके कुछ कारण हैं, आखिर यह अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पर प्रश्न उठाये कि एक्ट क्यों आया, आने वाला बिल क्यों आने वाला है, इसकी क्या जरूरत थी, यह क्यों आया? इसकी जरूरत पैदा किसने की, हम थोड़ा इस पर भी विचार कर लें। राष्ट्रीयकरण के बाद एक व्यवस्था चल रही थी और सबको जानकारी है, यहां हमारे कई माननीय सदस्यों ने भी कहा कि 80 प्रतिशत कोयले की आपूर्ति से विद्युत की आवश्यकता की पूर्ति होती है। अगर कोयले का इतना महत्व है और कोयले के बारे में कोई व्यवस्था न हो या कल कोयले की आपूर्ति बंद हो जाए तो पूरा देश अंधेरे में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? सरकार के पास कोई और विकल्प ही नहीं था सिवाय इसके कि तुरंत अध्यादेश जारी करे और कोयले की आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहे। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि इसके ऊपर भी प्रश्न क्यों उठाए जा रहे हैं? सबसे पहले वक्ता थे कांग्रेस के सम्मानित सदस्य, जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। वे अपने भाषण में कह रहे थे कि आप अपने लक्ष्य को कैं में प्यप्त करेंगे? कोयले का उत्पादन आप ऐसे कैसे कर पाएंगे? सामाजिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र का एक छोटा सा विद्यार्थी होने के नाते मेरी समझ में यह नहीं आया कि क्या इसकी व्यवस्था भी हमें एक्ट में करनी पड़ेगी कि हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कैसे करेंगे या कैसे नहीं करेंगे। उसके लिए तो एक सिस्टम बनेगा, सारी व्यवस्था होगी। ऑक्शन होने के बाद जब विभिन्न क्षेत्रों में यह कोयला जाएगा, वे लोग कोयला निकालेंगे, इस बात की जिम्मेदारी उनकी होगी। हम तो एक व्यवस्था दे रहे हैं, व्यवस्था देने में भी यह श्रेय हमें कम है। यह भी मैं मानता हूँ, श्रेय उन्हें ही ज्यादा है। राष्ट्रीयकरण हो गया, व्यवस्था चलती रही, लेकिन उस व्यवस्था को समाप्त करने वाले, बर्बाद करने वाले कौन थे?

आज सर्वोच्च न्यायालय में यह प्रकरण क्यों गया? कुछ दलों को महास्थ हासिल हो गई थी कि चाहे साधन प्राकृतिक हों या दूसरे हों, जब तक उनका पूरा शोषण अपने व्यक्तिगत हित के लिए या दूसरे हित के लिए न कर लें, राष्ट्र हित से उसको अलग न हटा लें, तब तक उनको संतोष नहीं होता था। हम दस साल के कुशासन की बात करें। सरकारें तो उससे पहले भी रही हैं। राष्ट्रीकरण तो बहुत पहले हो गया था। उस दस साल में ही आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आखिर एक के बाद एक स्कैम हुए। कोई क्षेत्र ही नहीं बचा, जो स्कैम से खाली रह गया हो। वैसे तो हमारे यहां कहावत है कि कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। लोगों ने इस कोयले को भी नहीं छोड़ा। इसमें भी इतना बड़ा घोटाला कर के रख दिया कि सारे देश में उसकी चर्चा हो गई। पत्र-पत्रिकाएं उसकी चर्चा से भर गईं। अंततोगत्वा सारा प्रकरण सर्वोच्च

12.12.2014 97

न्यायालय में गया और सर्वोच्च न्यायालय ने भारी मन से यह किया होगा कि पूरे राष्ट्र के हित का प्रश्न यह था कि तमाम आवंटन रद्द कर दिए। आवंटन रद्द होने के बाद क्या व्यवस्था बने, सिवाय इसके कि सरकार एक सुविचारित कानून बना कर लाए यहां पर ला कर पेश करे और उस कानून के माध्यम से फिर आगे कार्यवाही चले, इसके अलावा और क्या विकल्प हमारे पास था?

मुझे आश्चर्य यह हुआ कि माननीय सदस्य, बड़े विष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि फलां-फलां व्यापारी संगठन हैं, उनसे सलाह-मशविरा क्यों नहीं किया। मान्यवर, हमारी पार्लियामेंट से बड़ी कोई व्यवस्था है क्या? क्या उससे बड़ी भी कोई संस्था ऐसी होगी, जहां विचार कर के आएगा? आज यह प्रश्न सारे सदन के सामने है और मुझे खुशी है कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने एवं अन्य दलों के माननीय सदस्यों ने बड़े विस्तार से अपने विचार रखे हैं। सुझाव भी दिए हैं। हमें भी अपनी बात कहने का अवसर मिला है। इसलिए मैं तो मंत्री जी को भी इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि इतना विचार करने के बाद कम से कम एक व्यवस्था बनाने का एक रास्ता उहोंने निकाला है और इस पर विचार आज हो रहा है। अभी होना क्या चाहिए? होना तो यह चाहिए कि इस बिल को हम सर्वसम्मित से एक्ट के रूप में पास करें, अध्यादेश का हम अनुमोदन करें और अनुमोदन करने के बाद एक व्यवस्था इस देश में बन कर आए।

मान्यवर, मैं चंद शब्दों में कुछ बातें और कहना चाहता हूँ। ठीक है कोयला है और कोयले के रूप में शक्ति के सबसे बड़े स्त्रोत हमारे पास में है। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जल विद्युत का स्त्रोत बहुत कम है। बाकी स्त्रोत बहुत कम। लेकिन विचार तो हमें यह भी करना चाहिए कि प्रकृतिक ने हमें और भी तो सुविधा दी हैं। यह देश इतना बड़ा है, इस देश का इतना बड़ा भौगोलिक आकार है कि सारी सुविधाएं हमें मिली हुई हैं। मान्यवर, सूर्य की शक्ति क्या थोड़ी है इस देश में? लेकिन किसी ने इस बात पर विचार नहीं किया कि हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। आज विश्व में ऐसे कई देश हैं, जो अपनी ऊर्जा शक्ति, बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा से करते हैं। एक देश तो ऐसा है, जो अपना 60 प्रतिशत उत्पादन सौर ऊर्जा से करता है। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि जहाँ उन्होंने इतना कष्ट किया है, इतने बार विचार करने के बाद वे इसे लाए हैं, वे इस पक्ष पर भी विचार करें कि जो हमारे पास वैकल्पिक स्रोत हैं, उनका भी हम उत्पादन करना शुरू करें।

आज जल की कमी होती जा रही है। चीन जैसे देश में, जल विद्युत से ही इतना बड़ा उत्पादन उन लोगों ने कर लिया कि आज उनके पास सरप्लस बिजली है। हमारे पास क्योंकि उसकी कमी है, हमारे पास वह स्रोत उतना नहीं हैं, तो हमारे पास जो प्राकृतिक स्रोत बचते हैं, उनकी तरफ हमें जाना चाहिए।

में एक साधारण सा सदस्य हूँ, लेकिन आपको इतना विश्वास जरूर दिला सकता हूँ कि 6 महीने की सरकार में आप लोगों ने देख लिया होगा, क्या कहीं करप्शन का जिक्र है, कहीं जरा सा भी जिक्र है

कि किसी भी व्यवस्था का हम शोषण कर पाएंगे या करना चाहेंगे? हमने 6 महीने में एक व्यवस्था करके और चलाकर दिखाई। पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नाम कमाकर दिखाया, इस देश की पहचान करके दिखाई। मैं आगे भी आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि आप इन पेचीदिगियों में मत उलझिए। मैं भी जानता हूँ कि जब हम कानून पर बहस करेंगे तो पक्ष-विपक्ष में न जाने कितनी तकनीकी बातें उठायी जा सकती हैं।

मान्यवर, भारत के संविधान से बड़ा संविधान किसी और देश में नहीं है। जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ था तो तमाम विश्व में उसकी प्रशंसा हुई थी। मैं भी राजनीति शास्त्र का छात्र रहा हूँ। लेकिन जब हमें कानून का दुरूपयोग करना होता है तो हम संविधान को ही कहाँ छोड़ देते हैं? एक समय ऐसा भी आया कि संविधान भी सस्पेंड हो गया, मौलिक अधिकार भी सस्पेंड हो गए, न्यायपालिका के अधिकार भी सस्पेंड हो गए, तो यह मानसिकता की बात है। पालन कराने वाला जो शासक बैठा हुआ है, उसकी नीयत अगर ठीक है, उसकी सोच अगर ठीक है, देशहित और राष्ट्रहित की उसकी सोच है तो कानून उसके रास्ते में रूकावट नहीं बनेगा। अगर सोच गलत है, नकारात्मक सोच है तो संविधान भी उस नकारात्मक सोच को रोक नहीं पाएगा।

में आग्रह करता हूँ कि आप नरेन्द्र मोदी जी के ऊपर विश्वास कीजिए, इस सरकार पर विश्वास कीजिए। इनको काम करने अवसर दीजिए और अवसर मिलने के बाद आप देखिए कि पाँच साल में इस देश की हालत क्या होती है। कोयला भी वहीं रहेगा। आपने श्रमिकों की चिन्ता की है, आज तो हम कानून लाए हैं और बहुत संक्षेप में इस पर बात हुई है। श्रमिकों की चिन्ता भी की जाएगी, उनके रहने की सुविधा भी की जाएगी, उनके वेतन की चिन्ता भी की जाएगी, उसमें कोई भी आपको अविश्वास करने की बात नहीं है। मैंने केवल इशारा किया है और इशारा इस बात के लिए किया है कि अब हम बदलें, अपनी सोच को बदलें, अपनी व्यवस्था के बारे में पुनर्विचार करें कि हम मिलकर इस देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आज इसी बात की आवश्यकता है।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

14.43 hrs.

(Shri Hukum Singh in the Chair)

*SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR): I thank you, Hon'ble Deputy Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak on an important bill – 'The Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2014'.

Sir, power generation is the need of the hour for our country. Coal has been making headlines for the last several years in the Parliament and outside for all the wrong reasons. Coal-scam rocked the erstwhile UPA Government and several ministers of the previous regime were involved in it. Charge-sheets were filed against them. Even the Supreme Court had to intervene in this matter and the tainted were exposed.

Hon'ble Deputy Speaker Sir, the rate of coal has increased by leaps and bounds since 2001. One year it would be Rs.1000 per tonne, the very next year, it would sky-rocket to Rs.3000 per tonne. The small-scale industries were badly affected by this inordinate price-rise. Coal is an essential ingredient in the production of power. The erstwhile UPA Government distributed coal-blocks arbitrarily like pea-nuts. It resulted in a massive coal-scam. The coal-production was adversely affected. The price of coal went through the roof. The whole country suffered due to the acts of the previous Government. As a result, the Congress Government lost at the hustings.

Hon'ble Deputy Speaker Sir, I do not want to dwell at length on this issue. Punjab has always purchased coal at an expensive rate from the coal-producing states. However, now, the people of the country are hopeful that the Government of Prime Minister Modi ji will surely help boost the economy and industry of the country. Trade and commerce will get a fillip. Scams will become a thing of the past and the agenda of development will be pursued with vigour. This bill is a step in this direction. Hon'ble Deputy Speaker Sir, a new and transparent coal-block auctioning system will now be followed. We must ensure

^{*} English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

ample production of coal now. It must be ensured that the coal-block allottees produce a minimum amount of coal in a fixed time-frame so that there is no artificial shortage of coal.

Also, sir, we must have the data regarding the coal production in all the states. The states must be made responsible for the proper functioning of their thermal power-plants. A law should be made in this regard.

Sir, labour is very cheap in our country. However, we had to import coal in recent years as our coal production dipped. Good quality coal at cheaper rate was imported by the erstwhile UPA Government. It ruined our coal industry. We must avoid this scenario.

In the end, I thank the Hon'ble Minister for bringing this bill in the Parliament. I whole-heartedly support this bill. A coal policy friendly to the states should be framed so that there is no dearth of coal in our country.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): सभापित जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मंत्री जी अच्छे इंसान तो हैं, अच्छी जगह बैठे हुए भी हैं लेकिन लगता है कि अच्छी पार्टी में नहीं हैं। ...(व्यवधान) "मुँह में राम बगल में छुरी, निहयों कम तो थोड़मथोड़ी।" कथनी और करनी में इतना फर्क, खाने के दाँत कुछ और, तथा दिखाने के कुछ और। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह आपको किसी और ने बताया है।

श्री राजेश रंजन: हाँ। कोयला जितना काला, उतना ही काला धन, उतना ही काला मन, उतना ही काला माफिया। यह कोयला अध्यादेश लाना - इस सरकार से क्या राष्ट्रहित की कल्पना की जाए? अध्यादेश पूँजीपितयों के हित में है, अडानी और अंबानी के हित में यह अध्यादेश है। मान्यवर, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आप प्रकृति को नष्ट करके इस देश को कैसे बचाना चाहते हैं। क्या प्रकृति को बचाने के लिए आपके पास कोई सुझाव आ पाता है या नहीं?

में माननीय मंत्री जी से दो-तीन बिंदु जानना चाहता हूं कि के.पी.एम.जी. द्वारा चालीस प्लांट्स और माइन्स की दूरी के हिसाब से अदला-बदली करना चाहते हैं। अगर "ए" के नजदीक "बी "है और उसे "ए" से लिंक कर दिया जाए तो सामने से तो यह ठीक लगता है, लेकिन इसके भीतर जाने पर आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि आप क्या करने जा रहे हैं? आपने कहा है कि किसी माइन की लाइफ दस साल बाकी है तो किसी माइन की बीस साल बाकी है। जो माइन अच्छी है, आपकी क्या मंशा है कि उसे सरकार से हटा कर पुंजीपतियों को दे दिया जाए? जिस माइन की मात्र तीन साल की आयु बची है, जिसकी आयु बह्त कम है उसे सरकार में लाकर घाटे का सौदा दिखा दिया जाए। इन चालीस प्लांटों में सरकारी और प्राइवेट दोनों होंगे। यह न हो कि सरकार की अच्छी क्वालिटी की माइन्स प्राइवेट को दे दें और सारी खराब क्वालिटी की माइन्स सरकार रख ले। आप इस मामले में पारदर्शी हैं या नहीं? वैसे तो यह सरकार कहीं से पारदर्शी नहीं है। इस सरकार की स्थिति छः महीने में दिखायी दे रही है कि सोशल जस्टिस और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। आप छः महीने में केवल पूंजीपतियों के लिए बिल पर बिल ला रहे हैं। मुझे लगता है कि पिछले 68 सालों में यह देश बिचौलियों, दलालों, पूंजीपतियों और ब्यूरोक्रेट्स के तालमेल और घालमेल से ही चला है। ये बिचौलिये हमारे देश के गरीब और आम आदमी को क्या बचने देगें, इस पर चर्चा कभी अलग से होनी चाहिए। लेकिन यह स्पष्ट है कि पूरे देश और दुनिया को पता है कि ये कोयला माइन्स हैं। इनमें बिचौलियों, माफियाओं और पूंजीपतियों की पूरी मिलीभगत है। आप की सरकार और आप जैसे बेहतर मंत्री इस देश को लूटने के लिए बिचौलियों और पूंजीपतियों का जो यह घालमेल है, क्या आप उनकी इस संस्कृति को रोकेंगे? जिस तरीके से आप विदेशों में जाकर छः हजार करोड़ रुपये के लिए

अडानी को देने के लिए परेशान होते हैं और आप यह अध्यादेश पूंजीपतियों के लिए ला रहे हैं, इस पर आपको जवाब देना चाहिए। इस बारे में आपको बताना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं।

तीसरी बात यह है कि आप टोटल लाभ वाली माइंस का प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं और जो माइन्स घाटे में हैं, उन्हें सरकार के पास रखने जा रहे हैं। इसके साथ मैं मंत्री जी का ध्यान बिहार की तरफ दिलाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि बिहार गरीब प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, बेरोजगारों का प्रदेश है। मंत्री जी आप बिहार गए थे। बिहार आपसे बिजली के लिए जितने कोयले की मांग करता है, आप उसे आबंटित नहीं करते हैं और जो कुछ आबंटित करते भी हैं, वे भी आप समय पर नहीं करते हैं। हमारे यहां जमुई, बांका, मुंगेर, सासाराम, नवादा, गया आदि माइन्स के इलाके हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है, मैं यह जानता भी हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मुझे पता नहीं है कि बोलने के बाद आप क्यों यू टर्न ले लेते हैं। यदि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, तो बिजली की पूर्ति के लिए आप बिहार को पूर्ण रूप से कोयला, जिससे कि कोयले की कमी न हो और समय पर इतना कोयला दें कि हम अपने गांवों में बिजली दे सकें। मैं आपके माध्यम से अंत में कहना चाहता हूं कि मंत्री जी पूरे मंत्रालय को पारदर्शी करने का काम करें और यह सरकार जो पूंजीपतियों की सरकार है, उन पूंजीपतियों से देश को बचाएं तथा इस विभाग को आम आदमी का बनाएं।

श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग): सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत कोयला खनन से संबंधित संशोधन विधेयक पर चर्चा हेतु खड़ा हुआ हूं।

महोदय, कोल माइन्स का नेशनलाइजेशन वर्ष 1973 में स्वर्गीय इंदिरा जी की सरकार ने किया था। इसके पीछे प्राइवेट कोल कंपनियों के द्वारा असुरक्षित और केवल अपने लाभ के उद्देश्य से की जा रही अवैज्ञानिक माइनिंग प्रमुख कारण था। इससे पर्यावरण, मज़दूरों और देश में सभी को नुकसान हो रहा था। वर्तमान विधेयक कहने को तो माननीय उच्चतम न्यायालय के कोल ब्लॉक रद्द करने के फैसले को अमल में लाने के उद्देश्य से लाया गया है, परंतु इसकी आड़ में यह सरकार पूरे कोयला खनन उद्योग को निजीकरण के रास्ते पर डाल रही है। ऐसा करना देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए घातक है, जो कि आज भी 65% कोयले पर निर्भर करती है। निजी क्षेत्र अपने फायदे के लिए सोचेंगे, फायदे के लिए करेंगे। वे देश के लिए नहीं सोचेंगे और देश के मज़दूरों का हित नहीं करेंगे। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जो कोयले का राष्ट्रीयकरण किया, उसका ही परिणाम है कि भारत ने कोल इंडिया लिमिटेड जैसी बड़ी और शक्तिशाली कंपनी खड़ी की। वर्ष 2013-2014 में कोल इंडिया ने 465 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया और 22,000 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। इसके अलावा, 9,000 करोड़ रुपये का अंशदान भी भारत सरकार को दिया है।

वर्ष 1993 में कांग्रेस की सरकार ने बदली अर्थव्यवस्था में कोयला खनन के लिए उन निजी कंपनियों को अनुमित दी जो कि स्वयं के उपयोग जैसे स्टील, पावर, सीमेंट बनाने के लिए कोयले का खनन कर सकती हैं, अर्थात् किसी भी निजी कंपनी को खुले बाजार में कोयला बेचने की अनुमित नहीं दी। इसके विपरीत आज जो विधेयक लाया गया है, उसमें धारा 4 में निजी कंपनियों को खुले बाजार में कोयला बेचने, यहां तक कि निर्यात करने की भी छूट दी गयी है। ऐसा करना कोयला राष्ट्रीयकरण मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ फैसले के खिलाफ है। यह कदम वर्तमान में कोल ब्लॉक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है। वस्तुततः निजी कंपनियों को खुले बाजार में कोयला बेचने की छूट देना कोयला राष्ट्रीयकरण कानून में संशोधन नहीं है, वरन इससे पूरे कानून को पलटा जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि कोई भी संशोधन मूल कानून की भावना के विपरीत नहीं हो सकता, परन्तु इस विधेयक की धारा 4 व धारा 30 मूल कानून के एकदम विपरीत है।

प्रस्तुत विधेयक की धारा 4 व धारा 5 में सरकारी कंपनियों के साथ बने निजी कंपनियों के संयुक्त उपक्रमों को भी कोल ब्लॉक दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का कोल ब्लॉक मामले में जो फैसला आया है, उसमें इस संयुक्त उपक्रम मॉडल को पूरी तरह अव्यावहारिक बताया गया है।

दो अलग-अलग कंपनियों की कोयले की आवश्यकता एक ही समय में समान नहीं हो सकती। इस बात की पूरी आशंका रहती है कि कोयले के आवंटन का दुरुपयोग हो सकता है।

सम्माननीय सभापित जी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोयला ब्लॉक रद्द होने के फैसले के बाद सरकार के पास अवसर था कि वह पूरे कोल ब्लॉक को नए सिरे से आवंटित करने के पहले यह जांच करती कि अत्यधिक घने जंगल वाले ब्लॉक, जो कि कुल ब्लॉकों में महज 15-20 प्रतिशत हैं, और अत्यधिक विस्थापन वाले ब्लॉकों को छोड़ देती, परन्तु सरकार ऐसा नहीं कर रही है।

महोदय, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि तारा कोल ब्लॉक, सरगुजा अत्यधिक घने जंगल में स्थित है और यह क्षेत्र हाथी-आदमी का क्षेत्रीय संघर्ष स्थल बन गया है। अगर यहां कोयला खनन हुआ तो यह संघर्ष और बढ़ेगा, परन्तु फिर भी सरकार इस ब्लॉक को पुनः आवंटित करना चाह रही है।

इसी तरह, धर्मजयगढ़ का दुर्गापुर, तराईमार, सरया कोल ब्लॉक लगभग आधे धर्मजयगढ़ शहर को उजाड़ देगा। इस कारण इस क्षेत्र की जनता इस कोल ब्लॉक के भारी विरोध में है, परन्तु फिर भी सरकार इन्हें आवंटित करना चाहती है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि इस विधेयक में कोल माइन्स (नेशनलाइजेशन) कानून में सम्पूर्ण कोल ब्लॉकों की एक बृहद् योजना के तहत माइनिंग प्लान बनाने का प्रावधान है। यह प्रावधान होते हुए पुनः घने जंगल वाले या बड़ी संख्या में विस्थापन वाले ब्लॉकों का आवंटन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। सरकार कोयले की कमी और बिजली की कमी को बहाना बनाकर निजीकरण करना चाहती है। यह तथ्य भी सामने आना आवश्यक है। वर्तमान में देश में 2.5 लाख मेगावाट क्षमता की विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित है। इसमें लगभग 1.5 लाख मेगावाट कोयले पर आधारित है। वर्तमान में हमारी अधिकतम विद्युत की माँग केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण रिपोर्ट के आधार पर 1.45 लाख मेगावाट है अर्थात् क्षमता हमारे पास अधिक है, कमी हमारे पास ट्रांसिमशन व वितरण नेटवर्क की है। यह कहा गया कि 37 प्रतिशत कोयला कि महमारित पावर प्लांट कोयले की कमी के कारण बन्द हैं, यह सर्वथा गलत है। वस्तुतः अधिकांश प्लांट या तो महंगी बिजली बेचना चाहते हैं या फिर तकनीकी खराबी के कारण बन्द हैं। कोयले की कमी को बहाना बनाकर सरकार कुछ बड़ी निजी कम्पनियों को लाभ दिलाना चाहती है, इसलिए वह कामर्शियल माइनिंग को खोलना चाह रही है। इससे सीधा नुकसान मजदूरों और कर्मचारियों को होगा। इसलिए सारी यूनियनें, यहाँ तक कि आरएसएस की बीएमएस भी इसके विरोध में है।

महोदय, स्वयं के उपयोग के लिए सीमेंट, पावर व स्टील क्षेत्र पहले से ही निजी क्षेत्र के लिए खुला है। ये तीनों क्षेत्र 85 प्रतिशत कोयले की खपत करते हैं। इस विधेयक में कामर्शियल माइनिंग को इन क्षेत्रों

के अलावा अन्य क्षेत्रों को कारण बताकर खोला जा रहा है, जो कि महज 15 प्रतिशत है, जबकि इतना तो कोल इन्डिया का उत्पादन बढ़ाकर पूरा हो सकता है। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): महोदय, कोयला घोटाला देश के सबसे बड़े घोटाले की शक्ल में हम सबके सामने आया। सर्वोच्च न्यायालय को विवश होकर हस्तक्षेप करना पड़ा और 2004 कोल ब्लाकों के आबंटन रद्द किये गये, क्योंकि, इन आबंटनों से प्राकृतिक संशाधनों का दोहन करके व्यक्तिगत हित को साधा गया और राष्ट्रहित की अनदेखी की गई।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया, वह निश्चित रूप से राष्ट्रीय हित में रहा, लेकिन उससे देश के समक्ष तमाम चुनौतियाँ आकर खड़ी हो गईं। उन्हीं चुनौतियों से निबटने के लिए आज हमारी सरकार ने इस विधेयक को लाने का काम किया है। हमारे देश की अधिकांश ऊर्जा पूर्ति का एकमात्र स्रोत कोयला है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त कोल माइनिंग आपरेशंस को बन्द किया जाए तो निश्चित रूप से ऊर्जा का बहुत भारी संकट हमारे देश में खड़ा होने की संभावना है। इसके साथ ही बहुत सारा निवेश जो बैंकों से लोन के रूप में लिया गया है, उसके भी नॉन परफार्मिंग एसेट्स बनने की एक बड़ी चुनौती देश के सामने है, इसलिए यह अनिवार्य था कि इस बिल को लाया जाए।

में इस बिल का समर्थन और स्वागत करती हूं। हमारे कुछ विपक्ष के साथियों ने राष्ट्रीयकरण के सवाल को खड़ा किया है। मैंने भी इस बिल के प्रावधानों को पढ़ा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि एक बहुत बड़ी चिंता जो डीनेशनलाइजेशन के संबंध में बहुत सारे सम्मानित साथियों द्वारा व्यक्त की गयी, उस पर आप एक विस्तृत वक्तव्य जरूर दें और इस चिंता से हम सबको, पूरे सदन को मुक्त करें कि जो डीनेशनलाइजेशन की प्रक्रिया है, इससे आप कैसे बचाव करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कोयला खदानों वाले क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी जनजाति समुदाय की ओर भी ले जाना चाहती हूं। अगर इन कोल ब्लॉक वाले तमाम इलाकों का भौगोलिक अध्ययन किया जाए तो इसमें सबसे ज्यादा जो आबादी रहती है, वह आदिवासी और जनजाति समुदाय की है। ये क्षेत्र सामाजिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। विकास के मानदंडों पर देश में सबसे ज्यादा अफसोसजनक एच.डी.आई. के आंकड़े अगर कहीं देखने को मिलते हैं तो इन इलाकों में मिलते हैं।

सभापित महोदय, ये वे इलाके हैं जहां पर मानव तस्करी के सबसे बड़े आंकड़े हमारे सामने आते हैं। ये हमारे आदिवासी जनजाति समुदाय के बेटे-बेटियां हैं, जिनको देश और दुनिया में मजदूरों और घरेलू कामगारों के रूप में सप्लाई किया जाता है। खनिज संपदा भी यहीं से देश और दुनिया में भेजी जाती है। अगर हम आजादी के समय की कल्पना करें, उस वक्त के आंकड़े निकाल कर देखें तो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इन आदिवासी जनजाति समुदायों की आबादी लगभग 70 से 80 प्रतिशत हुआ करती थी, लेकिन आज आजादी के बाद लगभग 68 वर्षों में जिस तरीके

से इन लोगों का स्थानीय माफियाओं द्वारा शोषण हुआ है, बड़ी-बड़ी कंपनियों और उद्योगपितयों के गठजोड़ के द्वारा, रोजी-रोटी के लिए इनका जो पलायन हुआ है, उससे इनकी आबादी घटकर 10 से 20 प्रतिशत हो गयी है। आज वह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस बिल को तो सरकार लाने जा रही है लेकिन इन कोयला खादान वाले क्षेत्रों में जो शोषित तबके के लोग रहते हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या व्यवस्थाएं बनाई है?

सभापित महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि ये वही क्षेत्र हैं जो प्रशासिनक और सरकारी तंत्र की विफलता के कारण नक्सलवाद के प्रभाव और उसके दंश को भी झेल रहे हैं। मैं सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि वाल जब आप बिल ला रहे हैं तो उसमें ऐसा प्रावधान जरूर होना चाहिए कि बीडिंग के जिए जिन कम्पनियों को कोयला खादानों का आवंटन करने जा रहे हैं उनकी अनिवार्य रूप से यह जिम्मेदारी हो कि उन इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, वह अपने सी.एस.आर. फण्ड को उन खादानों के दो किलोमीटर के दायरे में स्वास्थ्य-शिक्षा जैसी तमाम बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए जिम्मेदारी उठाने का काम करे। ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि हमारे पिछले अनुभव यह साबित करते हैं कि जब कोयला खदानें बड़ी-बड़ी कम्पनियों को अवंटित की गईं तो उन्होंने व्यक्ति हित के लिए उनका दोहन किया लेकिन उन इलाकों में रहने वाले आदिवासी जनजाति समुदाय के लोगों के जीवन स्तर को बढाने के लिए किसी भी प्रकार के प्रयास नहीं किए हैं।

मैं पुनः सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस बिल में ऐसे प्रावधानों को निश्चित रूप से सम्मिलित किया जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय सभापित महोदय, आपने मुझे कोयला, संशोधन विधेयक - 2014 पर विचार रखने के लिए मौका दिया है, इसके मैं आपका लिए आभार व्यक्त करता हूं। सरकार अक्टूबर, 2014 में कोयला खान विशेष प्रावधान अध्यादेश को कानूनी रूप देने के लिए, इस बिल को सदन में लेकर आई है जिसका सरकार समर्थक, ट्रेड यूनियन और भारतीय मजदूर संघ भी विरोध कर रहे हैं। माननीय सदस्यों की जो राय आई है, निश्चित रूप से इस बिल को स्थायी समिति में जाना चाहिए। अभी अनुप्रिया पटेल जी ने भी चिंता व्यक्त की है कि जहां पर पहाड़ी इलाका होता है, वहीं पर खदान होती हैं, वहां पर आदिवासियों की बड़ी आबादी होती है। आज उनके खाने, रहने और स्वास्थ की चिंता है। आखिर वह कौन करेगा? बड़े-बड़े उद्योगपित आएंगे और कोयला ब्लॉक्स लेंगे, कोयला निकालेंगे, मजदूरों को काम देंगे, लेकिन उनके स्वास्थ्य की चिंता उनको नहीं है, उनके घर की चिंता उनको नहीं है। इस तरह की चिंता पर भी विचार होना चाहिए। वह भी हमारे देश के अंग हैं उनके प्रति भी हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। अभी कई ट्रेड यूनियन, इंटक के लोग, वामपंथी पार्टियां भी बिल का विरोध कर रहे थे। कई तरह की विरोध की खबर पेपर में भी आई है उसके बावजूद भी आपने इस विधेयक को लाया है। इस विधेयक को जल्दीबाजी में पारित करना ठीक नहीं होगा।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2014 कोल ब्लॉक्स आवंटन को रद्द करने के कारण, न्यायालय के आदेश से जो संकट उत्पन्न हुआ है उसी की आड़ में सरकार उसे बदलना चाहती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया तभी सरकार ने भी उसे अवैध आवंटन माना, नहीं तो पीछे से चली आ रही बंदरबांट को कोई सरकार अवैध मानने को तैयार नहीं थी। अब सभी तथ्य सामने आए हैं। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि नीलामी प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी हो और कहीं से कोई भी संदेह न हो। सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे कानूनी प्रक्रिया में नीलामी प्रक्रिया एवं आवंटन सही हो, जिससे आवंटियों को जो अभी परेशानी हो रही है, वह उन्हें फिर न हो। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि जिन-जिन कम्पनियों के कोल ब्लॉक्स रद हुए हैं, वे भी काफी परेशानी में हैं, उस के कारण कई कम्पनियों की बहुत बड़ी पूंजी हुई फंसी है। उन्हें परेशानी होना स्वाभाविक है। साथ ही बैंक, संस्थाएं आदि के बड़े लोन भी इसमें फंस चुके हैं। सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। कोल ब्लॉक आवंटन में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि बिजली कम्पनियों को देने वाले कोयले से बिजली महंगी न हो। ग्रामीण इलाकों के बिजली उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखना चाहिए।

मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि खदान में जो आवंटन रद्द हुआ है, इससे निजी हो स्वास्ता खनन ठप्प कर दिया गया है। केन्द्र सरकार निजी खनन को मंजूरी देने के लिए जो पॉलिसी लॉई है,

निश्चित रूप से यह स्थायी समिति में जाने लायक है। मैं सदन व मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि इसे वापिस किया जाए और सब लोगों की सलाह ली जाए।

SHRI RATTAN LAL KATARIA (AMBALA): Sir, Nepoleon used to say, 'give me a General for a day, I will change the history. In the same way आज आदरणीय पीयूष गोयल जी नरेन्द्र मोदी जी के उस जनरल के तौर पर उभरकर आए हैं।

14.41 hrs. (Hon. Deputy Speaker in the Chair)

एक क्रान्तिकारी कदम भारत में रिफॉर्म की दृष्टि से लाए हैं। मैं इस असवर पर कहना चाहूंगा कि इस बिल के माध्यम से भारत को विश्व पटल पर जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी grab all those opportunities. यूपीए सरकार की पॉलिसी पैरालाइसिस के समय से आज हमारी सरकार पॉलिसी प्रोनाउंसमैंट की ओर बढ़ रही है। एक के बाद एक क्रान्तिकारी कदम सुधारों के बारे में हो रहे हैं।

मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूं। हरियाणा में कोयला नहीं होता, लेकिन वहां इस देश का सबसे बड़ा कोयला ... था जो पिछली बार इस संसद में भी था। ... (व्यवधान) मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं। जनता ने उन्हें बहुत बुरी तरह से हरा दिया है। वे तीसरे, चौथे नम्बर पर गए हैं। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कुरुक्षेत्र की गीता की उस पवित्र भूमि का सांसद इस देश का सबसे बड़ा कोयला ... * निकलेगा। इस प्रकार जब देश में इस सम्पदा को लूटा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया और सारे कोल आवंटनों को रह कर दिया।

मुझे वर्ष 1991 का समय याद आ रहा है। हमारे शैंडयूल्ड कास्ट मोर्चे की एक बैठक कुरुक्षेत्र में थी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी वह बैठक करने गए थे। मैं वंचित समाज से भी आता हूं। मैंने नैचुरल रिसोर्सेज के बारे में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से उस समय प्रश्न किया था कि जब आप इस देश के प्रधान मंत्री बनेंगे तो what will be your policy regarding distribution of means of production and natural resources? तब उन्होंने उसका उचित उत्तर देते हुए कहा था कि कभी वक्त आया तो नैचुरल रिसोर्सेज के बारे में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम एक पारदर्शी योजना बनाएंगे। आज वही काम पूर्यीष गोयल जी लेकर आए हैं, आज वही काम हमारे नेता आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी लेकर आए हैं। इस बिल के माध्यम से सभी कोयला उत्पादनों में लगी कम्पनियों को अधिकार मिलेंगे, कोयला निकालने की पूरी छूट मिलेगी। देश उन हालतों से कैसे बचेगा, हमने देखा कि वर्ष 2012 में हिन्दुस्तान का सारा उत्तरी ग्रिंड फेल हो गया, उत्तरी भारत के 60 करोड़ लोग 24 घंटे बिना बिजली के रहे। हरियाणा के अंदर राजीव गांधी धर्मल पाँवर प्लांट खेदड़ में है, वहां भी बहुत बुरी हालत हुई, वह किस तरह से ठप हुआ, हरियाणा प्रदेश के अंदर इस प्रकार के कोयले से चलने वाले बिजली घर थे। उन सभी में काम बंद रहा। देश



^{*} Not recorded.

के 100 तापघरों में एक समय ऐसा आया, जब 50 से भी ज्यादा में मात्र 6-7 दिन का कोयला शेष रह गया था। जिस तरह से यह कदम उठाया गया है।

HON. DEPUTY-SPEAKER: There are four more speakers to speak and the hon. Minister also has to reply. Please wind up.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला):...* कितनी विडंबना की बात है कि दुनिया के मामले में पांचवा देश होने के पश्चात् भी 20 लाख डॉलर का कोयला दूसरे देशों से मंगवा रहे हैं। हम कोयले के थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर बन गए हैं। आज देश में सुपर क्वालिटी का कोयला उत्पादन करने की अतिआवश्यकता है। सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, हिन्दुस्तान के सात लाख गांव में बिजली पहुंचाने का, हमारी सरकार इसे अवश्य पूरा करेगी।

(इति)

* Not recorded.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): महोदय, आपने कोयले की खदानों के इस अह्म बिल पर बोलने का मौका दिया। पिछले दो साल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बराबर दलीलों के बाद कोल ब्लॉक्स के आवंटन को रद्द किया गया, वह रद्द इसलिए किया गया क्योंकि पिछली यूपीए सरकार द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण उसमें बहुत बड़े स्केल पर कोल के आवंटन में करप्शन हुआ। मैं सरकार के इस बिल का स्वागत करता हूं। आज हमारे देश की क्षमता ढाई सौ गीगावाट यूनिट बिजली प्रोडक्शन की है। अगर हम अपने देश की बात करें तो कोयले की कमी के कारण मात्र 156 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। नुकसान चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर का हो रहा है, चाहे डोमेस्टिक क्षेत्र का हो रहा है। यह उस कमी के कारण है जो यूपीए-1 और यूपीए-2 के कोल ऑक्शन के दौरान हुई थी। मेरे से पहले रत्न लाल कटारिया जी ने कहा कि हम कोल के इंपोर्टर में तीसरे नंबर पर हैं। हमें बड़े पैमाने पर कोल इम्पोर्ट करना पड़ता है, चाहे वह मलेशिया हो या अन्य कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री, उनसे इम्पोर्ट करना पड़ता है, इससे देश का अधिकतम पैसा दूसरे देशों की इकोनॉमी में जा रहा है। मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूं। पॉवर सेक्टर को आगे ले जाने के लिए, सरकार द्वारा जो कोल ऑक्शन के एलोकेशन का बिल लाया गया है, मैं सरकार से यही मांग करना चाहूंगा कि पिछले दो सालों के अंदर हमने 15 बिलियन यूनिट बिजली के लूज किए, क्योंकि हमारे पास कोयले की खपत नहीं थी। हरियाणा में बिजली के 12 यूनिट हैं, जो थर्मल पर आधारित है, कोयले पर आधारित है। उसमें से डेढ़ साल तक चार यूनिट और छह महीने तक 5 यूनिट बंद रहे क्योंकि हमारे प्रदेश में कोयले की कमी थी। एक समय तो ऐसा आया कि प्रदेश के अंदर तीन यूनिट में केवल पांच से सात दिन का कोयला बचा था। केन्द्र सरकार ने कदम उठाया, कोयला भेजा गया, दुबारा प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे यहां अब 11 प्रोडक्शन यूनिट चल रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां कोयले के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, उस संबंध में मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि पूरे आबंटन का 80 प्रतिशत कोयला पावर सैक्टर के लिए एलोकेट करना चाहिए, जिससे हमारे यहां बिजली की किल्लत न आये। जहां तक बिल की बात है, तो उसका क्लाज 8, सैक्शन 5 कहता है कि माइन्स को फ्लोर प्राइज पर ऑक्शन किया जायेगा। मगर माननीय मंत्री ने वह फ्लोर प्राइज कहीं भी डिसक्राइब करने का कार्य नहीं किया। मैं अपील करूंगा कि वे सदन में बताने का काम करें कि फ्लोर प्राइज क्या है? क्लाज 4, सैक्शन 5 में लिखा है कि पिछले कोल आबंटन के अंदर जिन्हें तीन साल से ज्यादा की सजा हुई, वे इसके अंदर पार्टीसिपेट नहीं कर पायेंगे। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि तीन साल नहीं, जो भी दागी है, चाहे उसे एक दिन की सजा हुई हो, उसे इस ऑक्शन से बैन करना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसे लुटरे हमारे देश में न आयें।

में एक चीज और कहना चाहूंगा कि क्लाज 4(3) में गवर्नमेंट माइनिंग के बारे में कहती है, मगर माइनिंग के बाद उसके यूज को स्पेसीफाई नहीं कर पाती। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस यूज के अंदर स्पेसीफाई किया जाये कि गवर्नमेंट बेस्ड, चाहे हाइड्रो सैक्टर हो ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक लाइन में अपनी बात कनक्लूड करूंगा। चाहे हाइड्रो सैक्टर हो, स्टील इंडस्ट्री हो या अन्य गवर्नमैंट ओरियेन्टेड सैक्टर्स हों, जिसमें कोल की जरूरत है, कम से कम 85 प्रतिशत हिस्सा हमें उस सैक्टर के लिए एलोकेट करना चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कनक्लूड कर रहा हूं। अभी जिस तरह अनुप्रिया जी ने कहा कि सीएसआर को वहां रहती हुई छोटी जातियों के लिए, जो इन्हें रीलोकेट किया जायेगा, उनके लिए एलॉट करना चाहिए। मैं अपनी पार्टी की ओर से उस सुझाव का भी स्वागत करता हूं और मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि प्राथमिक तौर पर उन जनजातियों के लिए, जिन्हें आप वहां से निकालने का काम करेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए ...(व्यवधान) काम करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला): उपाध्यक्ष महोदय, कोल आबंटन के संबंध में जो नया बिल आया है, उस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि दो साल सुप्रीम कोर्ट की लगातार दखलअंदाजी के बाद पिछला आबंटन रद्द हुआ और उसकी जगह नया कानून लाया गया है। यह इस देश की जरूरत है, क्योंकि हमें कोयला चाहिए, बिजली चाहिए। इसका हम स्वागत करते हैं, परन्तु इसका आबंटन पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आदिवासी लोग, चाहे झारखंड, छत्तीसगढ़ या देश के किसी दूसरे प्रदेश में हैं, उनको जल, जंगल, जमीन का अधिकार प्राप्त है। वे सदियों से वहां पुश्त दर पुश्त रह रहे हैं। जब इन कोयला खदानों की नीलामी की जाये, चाहे वह कारपोरेट सैक्टर इंडियन हो या फॉरेन कारपोरेट सैक्टर हो, उनके लिए ऐसे प्रावधान रखने चाहिए, ताकि वहां रहने वाले आदिवासी भाई, जो पुश्त दर पुशत रहने वाले लोग हैं, उनके हितों की रक्षा हो सके। यह देखने में आया है कि जहां से भी लोगों को विस्थापित किया गया है, चाहे वह पंजाब में भाखड़ा डैम, व्यास डैम, चंडीगढ डैम, चंडीगढ शहर या नर्मदा घाटी जैसी परियोजनाओं में रहने वाले लोगों के पुनर्वास का कार्यक्रम है, उसकी हमेशा अवहेलना होती है। वे लोग अभी तक सेट नहीं हो पाये हैं। मुझे शंका है कि जो नया कारपोरेट सैक्टर आने वाला है, बड़ी-बड़ी कम्पनियां आने वाली हैं, उन पर सख्ती से ये क्लाज डाले जायें कि इन्हें उन लोगों की शिक्षा, रोजगार, सेहत और सम्मानजनक वेतन देने का प्रावधान किया जाये। यदि उनकी जिंदगी को बढिया बढाने के लिए कोई सिस्टम न बनाया गया तो जैसे पहले खान-खदानों के विस्थापितों लोगों के साथ पहले होता आया है, वैसा इनके साथ होगा।

मैं पीयूष गोयल जी से विनती करता हूं कि वे इस बिल में ऐसे सख्त प्रावधान रखें, ताकि हमारे आदिवासी, दलित भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार हो सके, उनकी जिंदगी एक अच्छे रास्ते पर चल सकें और वे उसका फायदा ले सकें। धन्यवाद।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी और कुशल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी लंबित कुव्यवस्थाओं को इतने कम समय में हल करने के लिए विधेयक लाए हैं। पूरा देश जानता है कि 1993 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार की गलत नीतियों के कारण देश कितनी कुव्यवस्थाओं से जकड़ा रहा है। देश को कितना बड़ा झटका लगा है जब देश को इनकी गलत नीतियों के कारण 1800 करोड़ रुपए का आयात बिना किसी कारण के करना पड़ रहा है। इनकी गलत नीतियों के कारण बैंकों का 80,000 करोड़ रुपया बर्बादी की कगार पर है। देश को 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है जिसका फायदा देश के आम जनमानस को होना था।

अभी माननीय सदस्य श्रमिकों की बात कह रहे थे। वह यूपीए के युवा हैं, वह राज्य मंत्री भी रहे हैं और अच्छे घराने से हैं। इन लोगों के मुंह से श्रमिकों की बात अच्छी नहीं लगती है। हम लोगों ने श्रमिकों की चिंता की है। हमारी सरकार ने हमेशा गांव, झोंपड़ी, मजदूरों, किसानों की चिंता की है। यही कारण है कि आज हम तुरंत द्रवित होकर यह विधेयक लाए हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। इस देश में पहली सरकार की कुव्यवस्था के कारण बिजली परियोजनाएं लंबित पड़ी रही हैं। इस समस्या का निदान इस विधेयक के द्वारा होने जा रहा है। बिजली होगी तो उद्योग बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो गांव के गरीब श्रमिक के यहां चिराग जलेगा, उसके घर में रोटी बनेगी।

आज श्रमिकों की चिंता की जा रही है। कांग्रेस या यूपीए सरकार की गलत नीतियों के कारण 1973 से लेकर अब तक 24 घटनाएं श्रमिकों के साथ हो चुकी हैं। सुबह जो श्रमिक यह सोचकर निकलते थे कि शाम तक घर वापस आ जाएंगे, अपने परिवार के बच्चों के लिए खिलौना लाएंगे, दो जून की रोटी लाएंगे लेकिन पूर्व सरकार की गलत नीतियों के कारण इन मजदूरों की खदान में दबकर मृत्यु हो गई। आज तक इनकी चिंता यूपीए सरकार को नहीं हुई है और आज श्रमिकों की चिंता की बात की जाती है।

ऊर्जा की चर्चा हो रही है, कोयले की चर्चा हो रही है। कोयले में ऊर्जा भी है और कालिख भी है। इस ऊर्जा का लाभ कैसे देश को मिले इसके लिए हमारी लोकप्रिय सरकार बहुत कम समय में यह विधेयक लाई है और कालिख इन लोगों के लिए छोड़ दी है, इनके जिम्मे कर दी है। हमारे राष्ट्रीय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि हमें हमेशा गांव के गरीब की चिंता सताती है। उन्होंने अपनी पीड़ा एक रैली में व्यक्त करते हुए कहा था-

ज़ुल्म तो हम गरीबों पे हुआ करते हैं ऊंचे महलों से तो आग भी कतराती है, मकानात् तो हम गरीबों के जला करते हैं, इस मुल्क की कैसी सिसायत है, ए बर्बादे वतन कि यहां ईद के दिन भी कत्ल हुआ करते हैं।

इंकलाब आएगा, जरूर आएगा, ऐसा हम नहीं यूपीए और यूपीए के साथी लोग कहा करते थे लेकिन हमारी छः महीने की सरकार ने देश को इंकलाब लाकर दिखा दिया है।

आज माननीय सदस्य ने आदरणीय मोदी जी के बारे में 56 इंच सीने की बात कही है। मैं विनम्रता से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि जब सुभाष चन्द्र बोस और भगत सिंह की बात कहते हैं तो अच्छा लगता है। क्रांतिकारियों और महापुरुषों की बात कहते हैं तो अच्छा लगता है कम से कम एक बार तो अच्छे मन से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में सोचें, जिन्होंने पहली बार आजादी के बाद से ऐसा काम किया है कि जिस देश को कोई समर्थक नहीं मिलता था, आज 173 देश के लोगों ने माननीय प्रधामंत्री द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर समर्थन किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना 56 इंच का सीना मजबूत नहीं किया है, बल्कि पूरे देश का सीना विश्व में मजबूत किया है। इसके लिए यूपीए को बधाई देनी चाहिए। आज चर्चा के लिए चर्चा की जा रही है। इस विधेयक का स्वागत होना चाहिए था लेकिन इस पर अपनी कालिख को छुपाने के लिए चर्चा लाई जा रही है।

मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी को बधाई देना चाहता हूं कि इतने कम समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में यह विधेयक लाए हैं, यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। फिक्की जैसे संगठनों ने इसका स्वागत किया है, देश की औद्योगिक कंपनियों ने स्वागत किया है, बिरला जी ने स्वागत किया है, बहुत घरानों ने स्वागत किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 'मेक इन इंडिया' का नारा दिया है, उस नारे को सार्थक करके रहेंगे। धन्यवाद।

15.00 hrs.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I would like to add a few lines to the ongoing discussion. Already the Minister has been assigned to produce one billion tonnes of coal by the year 2019. For this, to achieve that goal, he is adopting the ways and means which is not in congruence with the national interest. That is why, I am warning the hon. Minister that you should not do anything in haste.

I am hailing from a State where in the year 1778 the first coal mining operation was started. I know that I have a severe constraint of time. So, I would like to draw the attention of the hon. Minister provided he is intending to do it.

Hon. Minister, I am drawing you attention to the fact that you are planning to allocate the national resources through auction. The reason why I am asking this question is that the Ministry of Coal tried to auction the "C" Block in Jharkhand. Shri Nishikant Dubey is sitting beside you. In February this year, when it tried to auction, only two private companies submitted bids for one block. That should be kept in your mind.

Second, whether this kind of auction would entail the tariff of electricity. That needs to be considered seriously.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to clause 4 (2) (b) which says:

"A company or a joint venture company formed by two or more companies, may carry on coal mining operations in India, in any form either for own consumption, sale or for any other purpose...."

Here, what do you mean by "any other purpose?"

Now, I come to clause 5 on allotment of mines to Government companies or corporations. In the proviso, in great trickery, you say "provided further that no company other than a Government company or corporation shall hold more than 26 per cent..." Here, does the word

"company" refer to Government company or a private company? Please clarify it in your reply.

According to clause 12, I got the impression that the NPAs of the financial institutions are only going to rise further. It is a very serious matter.

In clause 14 (6) (a), you say "No claim for wages, bonus, royalty, rate, rent, taxes, provident fund, pension, gratuity or any other dues in relation to a Schedule-I coal mines in respect of any period prior to the date of vesting order or allotment order, as the case may be shall be enforceable against the Central Government or the successful bidder or the allottee, as the case may be:" I think this is a violation of the rights of the Constitution.

Finally, I am also drawing the attention of the hon. Minister to one thing. You are trying to convey a feel good factor to the investor, to the industrial majors of our country. Here, as per section 16 of the Bill, the prior allottees will be compensated for the land prices mentioned in the registered sale deeds plus 12 per cent simple interest. I would like to know whether it is not in contravention to the Land Acquisition Policy of our country. That needs to be clarified. Thank you.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am very much grateful to all the 20 hon. Members who have participated in the debate. It has been a very lively debate. Some very important points were flagged off. It also gives me an opportunity to place before the august House the need for the Ordinance, how we have acted with alacrity and how this Government has fulfilled its obligations to the people of India whose interest is our bounden duty to protect.

जब 25 अगस्त, 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें कोल ब्लॉक्स के आवंटन को अवैध घोषित किया गया और 24 सितंबर, 2014 को 204 ब्लॉक्स के आवंटन को कैंसिल किया गया, उस समय पूरे देश में ऐसी स्थिति थी जिसमें लोगों को लगता था कि एक बहुत बड़ी क्राइसिस आ गयी है। देश के सामने इतना बड़ा संकट है, बिजली के कारखाने बंद हो जाएंगे, लोगों की जॉब्स नहीं रहेंगी, जो लाखों कर्मचारी इन खदानों में काम करते हैं, उनका क्या होगा, बैंकों के जो लाखों-करोड़ों रुपये इन प्रोजेक्ट्स में लगे हैं, उनका क्या होगा। एक तरह से यह अनिश्चितता बहुत तकलीफ दे रही थी और देश में संकट के आसार थे। ऐसी परिस्थिति में श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने तुरंत कदम उठाए, दिन-रात लगकर एक आर्डिनेंस कैबिनेट ने 20 अक्टूबर को पास किया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में कोयले की खदानों में जितने कामगार हैं, उनका प्रोटेक्शन हो। ये खदानें बन्द न होने पाएं, इन खदानों के चालू रहने से उनकी नौकरियां न खराब हों। साथ ही, इस देश में कोयले की कमी है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, आज भी लाखों-करोड़ों रुपये का कोयला विदेश से आता है जबकि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोल रिजर्व है। यह एक तरीके से शर्मनाक बात है। कोल इंडिया लिमिटेड का प्रोडक्शन बढ नहीं रहा है। कई वर्षों से एक-डेढ प्रतिशत बढोत्तरी हो रही है, उस परिस्थिति में कोयले की खदानें चलती रहें, नौकरियां बचें और देश में बिजली की कटौती न हो, इसके लिए यह अध्यादेश लाना बहुत जरूरी था। सम्मानीय सदन जानता है कि संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत आर्डिनेंस को बिल से रिप्लेस करना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए आज यह बिल सदन के सामने पेश किया गया है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इसे स्थायी समिति के पास जाना चाहिए। यह आर्डिनेंस कई दिनों से चर्चित है, कई पेपर्स में इसके बारे में लेख आए हैं, काफी चर्चा विशेषज्ञों ने की है। वास्तव में अभी तक इस आर्डिनेंस का कोई प्रावधान पब्लिक डोमेन में, इंडस्ट्री में और बैंकों में क्रिटिसाइज नहीं हुआ है। वास्तव में, जब विपक्ष के

नेताओं ने भी मुझसे इसके बारे में चर्चा की, कोई ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं हुआ कि इसमें किसी प्रकार से सरकार ने कोई गलत प्रावधान रखा है या कोई ऐसा प्रावधान किया हो जिससे हमारे पास कुछ डिसक्रिशन हो या गलत करने की कोई संभावना हो। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि सरकार की भूमिका इस अध्यादेश को लाने में और आज इस बिल को पेश करने में, कोल ब्लॉक्स के एलोकेशन की पुरी प्रोसेस में पारदर्शिता लाने की है। उस पारदर्शिता को लाने के लिए इस बिल में बहुत से कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो 204 ब्लॉक्स कैंसिल किए, उनमें कई ब्लॉक्स सरकारों को दिए गए थे, कई ब्लॉक्स प्राइवेट पार्टीज को दिए गए थे। ये सभी ब्लॉक्स निशुल्क दिए गए थे। निशुल्क देने से एक तरीके से इंट्रेस्ट क्रिएट हुआ और एक विन्ड-फाल प्रॉफिट कमाने का उनको साधन मिला। उस साधन को इस बिल के द्वारा हमने समाप्त किया है। आज के बाद जो भी खदानें दी जाएंगी, जो खदानें सरकारी कंपनियों को दी जाएंगी, उनके लिए एक रिजर्व प्राइस होगा। अगर खदान पब्लिक में ऑक्शन होगी, जिसे ई-ऑक्शन के द्वारा किया जाएगा तो वह पैसा अधिकतर राज्य सरकारों के पास जाएगा और बाकी बेनिफिट्स कंज्यूमर्स को पास-ऑन होंगे। मैं इस सदन में बहुत हर्ष से कहना चाहूंगा कि ई-ऑक्शन की जो प्रोसेस डिवाइज की गयी है, उसमें बिजली की कीमतें नहीं बढेंगी, लेकिन कीमतें घटने का प्रोसेस हमने तैयार किया है। सदन को यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो पावर सेक्टर रेगुलेटेड सेक्टर है, उसमें ऑक्शन रिवर्स बिडिंग के माध्यम से होगा। जिस दिन ऑक्शन हो रही है, उस दिन कोल इंडिया की प्राइस को बेस मानकर कंपनियां उससे कम दाम पर हमें बिजली देंगी। इस प्रकार की ऑक्शन की प्रक्रिया तैयार की गयी है जिससे कंज्युमर्स को जो बिजली खरीदना पड़ती है, उसका दाम कम होगा और लोगों में जो डर था कि ऑक्शन के बाद दाम बढ सकते हैं, उसका हमने पूरे तरीके से समाधान किया है।

साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ, लेबर की जॉब न जाए, उसकी निरंतरता के लिए यह प्रावधान, जल्दी से आर्डिनेंस और अब बिल के रूप में लाए, जिससे माइन्स 31 मार्च के बाद भी चलती रहें। माननीय कोर्ट ने 31 मार्च तक की अविध दी थी और .यह समय मात्र 6 महीने का था। इन 6 महीनों के अंदर, भारत के इतिहास में इतना बड़ा कानून, इतनी सारी किठनाइयों से गुजर कर बनाना यानी माइन्स को भी चलाना, बिजली का उत्पादन कम न होने देना, कोयले के उत्पादन बढ़ाना और जनता की सेवा करने के लिए यह ऐतिहासिक कानून सदन पास करने जा रहा है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करुंगा कि इसे सर्व-सम्मित से हम पास करें, जिससे देश में मैसेज जाए कि पूरा सदन ट्रांसपेरेंसी के प्रति प्रतिबद्ध है, पूरा सदन लेबर के इंट्रेस्ट के प्रति प्रतिबद्ध है, पूरा सदन पूर्वी राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिनको इससे सबसे ज्यादा लाभ होगा, सबसे ज्यादा उन्हें पैसा मिलेगा। पूरा सदन चाहता है कि इस देश के हर घर और उद्योग को बिजली 24 घंटे और सातों दिन मिले, सस्ती मिले और अच्छी क्वालिटी की मिले।

कई बार इस सदन में वर्कर्स सैफ्टी, वर्कर्स इंट्रेस्ट की चर्चा होती है। मैं बताना चाहूंगा कि हरेक प्रावधान में, हरेक विषय के ऊपर क्लाजेज नहीं बनाए जाते हैं, ना सैक्शन लिखे जाते हैं। माइन्स एक्ट, 1952 आज भी देश का कानून है, जिसमें कर्मचारियों के लिए सैफ्टी और सिक्योरिटी के प्रावधान हैं। भारत का कानून जो लेबर सैफ्टी और सिक्योरिटी के विषय में है, वह सर्व-प्रथम सर्वमान्य रहता है और यह कानून माइन्स के संबंध में, सबका इंट्रेस्ट प्रोटैक्ट करता है। बाकी मिनिमम वेजेज एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, ईएसआई एक्ट भी इस देश में कायम हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने बात की कि डि-नेशनलाइज किया जा रहा है। मैं आज सुबह ही देख रहा था कि डि-नेशनलाइज का मतलब क्या है? रेंडम-हाउस डिक्शनरी देखें तो denationalise is to remove an industry from Government ownership or control. ब्रिटिश डिक्शनरी कहती है, denationalise is to return or transfer from public to private ownership. अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस बिल में ऐसा कौनसा प्रावधान है, जिसमें कोई भी वस्तु सरकारी स्वामित्व से प्राइवेट हाथों में देने की बात है। हमने कोल-इंडिया लिमिटेड को पूरे तरीके से संरक्षण दिया है। कोल इंडिया लिमिटेड, गत चार-पांच वर्षों में मात्र एक-डेढ प्रतिशत प्रोडक्शन बढ़ाता रहा है, लेकिन हमारी सरकार के जून में आने के बाद, कोल-इंडिया का प्रोडक्शन, जून-अक्टूबर के बीच साढ़े-सात प्रतिशत बढ़ा है, सप्लाई साढ़े-आठ प्रतिशत बढ़ी है और कोयले से बिजली का उत्पादन, जून-जुलाई-अगस्त में 21 प्रतिशत बढ़ा, जिसने इस देश में इतिहास रचा है। जून से अक्टूबर तक देखें तो 15 प्रतिशत से अधिक कोयले से बिजली का उत्पादन हुआ है। अगर किसी के भी मन में डि-नेशनलाइजेशन की कल्पना है तो उसे निकाल दीजिए। सरकार कोल-इंडिया को और मजबुत करना चाहती है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक-बिलियन टन का टार्गेट कहां से पूरा होगा? मुझे लगता है उन्होंने ठीक से मेरी बात को नहीं सुना। उनके ध्यान में था कि कोल-इंडिया 200 मिलियन टन बढ़ाएगा, निजी क्षेत्र 200 मिलियन टन बढ़ाएगा आदि-आदि। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि जब तक हम बड़ी सोच न रखें, तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। माननीय यादव जी ने कहा कि मोदी जी की छप्पन इंच की छाती है, उस छप्पन इंच की छाती को लेकर ही हमने एक-बिलियन टन का लक्ष्य कोल-इंडिया के लिए रखा है। कोल इंडिया अकेले एक बिलियन टन कोयला बना सकता है। कोल इंडिया में इतनी ताकत है, वह इतना सक्षम है। सरकार को पूरा विश्वास है कोल इंडिया के कर्मचारियों पर, उनकी काबिलियत पर और जो गत वर्षों में कमी रही है, कोल प्रोडक्शन को बढा कर हम अगले चार-साढे चार वर्षों में उसको पुरा करेंगे। दो सौ से अधिक माइन्स ऐसी हैं जिनको कोल इंडिया ने नहीं खोला है। आज तकनीक दुनिया में कहां से कहां पहुंच गयी है, लेकिन कोल इंडिया



उसका इस्तेमाल नहीं कर पायी है। कामगारों की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान इतने वर्षों से नहीं रखा गया था। इस सरकार ने इन सब चीजों पर विशेष ध्यान दिया है। कोल इंडिया का एक बिलियन का टारगेट है, जिसमें रेलवे लिंकेंजिस लाकर दो सौ मिलियन टन बढ़ सके, नई खदानें खोल कर डेढ़-दो सौ टन बढ़ सके और आज जो खदानें चल रही हैं, उनमें नयी तकनीकों का इस्तेमाल करके डेढ़-दो सौ मिलियन टन कर सके। इस तरह से कोल इंडिया अकेले एक बिलियन टन बना सकता है। साथ ही साथ इन 204 माइनों को खोलना।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि पांच-सात-आठ साल लगते हैं, वह आपके राज्य में लगते होंगे, आपकी सरकार में लगते होंगे। हमारी सरकार में हर एक परिमशन चाहे वह पर्यावरण की हो, चाहे माइनिंग क्लीयरेंस हो, वह ईमानदारी से दी जाती है। बिना डिसक्रिशन के ट्रांसपैरंट मेथड से दी जाती है और जल्दी दी जाती है। जिससे ये खदानें देश की सेवा में जल्द से जल्द आ सकें। उसी क्रम में इन्होंने टाइम टेबल की बात की है। हमने इसके लिए अपने लिए बड़े स्ट्रिक्ट मापदंड रखे हैं। हमारी सरकार अपने ऊपर टाइम टेबल के मापदंड रखती है और हर एक टाइम टेबल को हम मीट कर रहे हैं। हमने कोल माइन्स के रूल्स ऑलरेडी नोटिफाई कर दिए हैं। ऑर्डिनेंस के तहत जो रूल्स होने थे, वे 11 दिसम्बर को नोटिफाई हो गए हैं।

तथागत जी ने कहा कि रूल्स के माध्यम से क्यों? लॉ के माध्यम से क्यों नहीं? रूल्स की इम्पोर्टेन्स इसलिए रहती है कि डायनेमिक सिचुएशन में कई बार आपको समय के हिसाब से बदलते रहना होता है। छोटी-छोटी बातों के लिए सदन के सामने हर बार कानूनी प्रावधानों को बदलना ठीक नहीं है। 6 दिसम्बर को बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम सब मिले थे। उन्होंने संविधान प्रोवाइड किया है। रूल्स ऑफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो लोक सभा प्रोवाइड करती है कि वे भी रूल्स हैं, वे सदन के सामने रखे जाते हैं। सम्माननीय सदस्यों को उन पर गौर करने का मौका मिलता है और अगर रूल में कोई आपत्तिजनक चीज हो तो उसको ठीक किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जो पूर्वी राज्यों के इलाके हैं, इससे लाखों-करोड़ों रुपयों का उन्हें लाभ पहुंचने वाला है। झारखण्ड में सबसे ज्यादा खदाने हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल को लाखों रुपये रॉयल्टी और ऑक्शन से मिलेंगे। कुछ सदस्यों ने कहा कि यह हमारा हक है। लेकिन आपने पूछा कि प्रावधान में क्यों नहीं लिखा गया है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रावधान के क्लॉज 6 में हमने प्रोवाइड किया है कि यह पैसा डायरेक्ट स्टेट को जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं उसके अग़ज़ैक्ट अंश को पढ़ देता हूं-

"The Central Government shall act through the nominated authority for the following purposes,..."

और धारा ई में है-

"collection of auction proceeds, adjustment of preferential payments and transfer of amount to the respective State Governments where Schedule I coal mine is located in accordance with the provisions of this Act."

हर तरीके से हम इस बिल के माध्यम से पूर्वी राज्यों को, कामगारों को और इस देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए इस बिल को लाए हैं। हमने कहा है कि कुछ छूट दी जाएगी कि कोयला आगे चल कर मार्किट को क्लीन करे और ईमानदार बनाएं। इसके लिए सबसे पहले एंड यूज रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। राज्यों और सीपीएसयूज़ को सबसे पहले कोयले की खदाने दी जाएंगी, जिनको एंडयूज़ रिक्वायरमेंट हैं। दूसरा ऑक्शन किया जाएगा और जिनके प्लांट तैयार हैं, जो आज कोयले के लिए भूखे हैं, उन स्टेटस को दिया जाएगा जो आगे चलकर पॉवर, स्टील के प्लांट लगाना चाह रहे हैं। चौथा ऑक्शन उनको दिया जाएगा कि जो एंड यूज प्लांट्स फ्यूचर में आने वाले हैं, उसके बाद अगर कुछ रह जाता है तो देश की गरीब जनता जो आज ब्लैक में कोयला खरीदती है, जो कोयला 1-2-3 रुपये होना चाहिए, उस कोयले को देश की गरीब जनता, देश के लाखों परिवार चूल्हे के लिए 30 रुपये पर खरीदते हैं, उनको वह मिले। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, छोटे बॉयलर्स, भट्टों वाले, फैक्टरी वालों को कोयला मिलना चाहिए। उसके लिए अगर थोड़ी-बहुत माइन्स ऑक्शन द्वारा जाती हैं तो उस ऑक्शन का पैसा पूर्वी इलाकों को मिलता है। जो कोयले में काला धंधा चलता है, वह पूरी तरह से बंद हो और लोगों को यह कोयला सही दाम पर मिले, जनता की सेवा करने के लिए हमने वह प्रावधान रखा है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सदन के सामने बिल पेश करता हूं। इस बिल में दो क्लाजेज में फाइनेंशियल इम्पलीकेशन है। Clause VI, which provides for the appointment of the nominated authority and Clause XV, which provides for the appointment of Commissioner of Payments. Due to oversight, these Clauses, having financial implications, are not in a bold font. That is a minor thing that it is not in a bold form. बोल्ड फॉम में नहीं है। बाकी बिल एकदम सही है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हम इस बिल को सर्व सम्मित से पारित करें।

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): उपाध्यक्ष जी, इस बिल के बारे में पूरी चर्चा यहां हुई है और उसमें क्या खामियां हैं तथा उनको कैसे दुरुस्त करना है, इसके लिए हमारी पार्टी की ओर से और विरोध पक्ष से भी बहुत से नेतागणों ने इसके बारे में बताया है। लेकिन कुछ गलतफहिमयां भी इस सदन में हुई हैं और

खासकर मैं आपके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं क्योंकि आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं क्योंकि यह हमेशा रहा है कि कभी भी कुछ बोलना है तो यदि पिछली सरकार का कुछ अच्छा है तो सारा आपका है और यदि उसमें कछ खराबियां निकलीं तो सारा यू.पी.ए. सरकार ने कर दिया।...(व्यवधान) यह बात यहां पर भी हो गई है।...(व्यवधान) गलत क्या है, सच क्या है, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं:

"The Supreme Court's ruling on coal block allocation, reminding the ruling party that there was an NDA Government for six years between 1998 and 2004." ... (*Interruptions*)

इसको तो आप मानते हैं न?

"The SC verdict had once again brought out what was said in a Standing Committee Report earlier, which had concluded that transparency was not maintained in coal block allocations since 1993."... (*Interruptions*)

श्री निशिकान्त दुवे (गोडडा): यह तो कांग्रेस का बनाया हुआ है।...(व्यवधान)

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे : दुबे जी, इतना डिफेंड करके भी आपको फ्रंट पर सीट नहीं मिल रही है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Kharge ji, we have to pass this Bill before 3:30 p.m. So, try to be very brief.

... (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, I will just conclude.

"In the period between 1993 and 2009, the NDA also had a Government led by Atal Bihari Vajpayee between 1998 and 2004. The policy of coal block allocation followed by the NDA was continued during the UPA regime," ... (*Interruptions*)

Then further, it says:

"It was UPA Prime Minister Manmohan Singh who started to issue advertisements for coal block allocation, which had not happened from 1993 to 1998. A screening committee at the State level was also set up then." ... (*Interruptions*)

Therefore, between 2004 and 2009 was the same as was being followed between 1993 and 2004. ... (*Interruptions*) If the Supreme Court has come to a conclusion with regard to the entire period between 1993 to 2009 and the conclusion is uniform in nature, उसमें आपका भी है, इसीलिए आप वही फोलो करते आए हैं। पिछली सरकार के ऊपर बार बार आप आरोप लगाते हैं। ... (व्यवधान) कोल मिनिस्टर ने यह कहा कि मोदी साहब की 56 इंच की छाती है और बड़ी है। अरे, 56 इंच की छाती है लेकिन दिल छोटा है।... (व्यवधान) इसीलिए हम बोल रहे हैं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri C.N. Jayadevan – not present.

I shall now put the Statutory Resolution moved by Shri C.N. Jayadevan to the vote of the House. The question is:

"That this House disapproves of the Coal Mines (Special Provisions) Ordinance, 2014 (No.5 of 2014) promulgated by the President on 21 Octobe 014."

The motion was negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill to provide for allocation of coal mines and vesting of the right, title and interest in and over the land and mine infrastructure together with mining leases to successful bidders and allottees with a view to ensure continuity in coal mining operations and production of coal, and for promoting optimum utilization of coal resources consistent with the requirement of the country in national interest and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 Declaration as to expediency of Union action

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Definations

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

"Page 3, for line 48, *substitute*,—

"(iii) requirement of coal washeries;"." (4)

"Page 4, lines 5 and 6, omit,—

"the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973"." (5)

Sir, I do not want to ask for separately moving the amendments and for asking Division. We are in a hurry to pass the Bill. All I would ask the hon. Minister is to correct the language in the Bill.

Please see page no. 4 - Chapter II - 4 (b). Totally the language is wrong. Again, in 4 (4), regarding prior allottees, you may please see and correct the language. Please have a proper look at 4 (2) (a) and (b), and then there is a sentence. There is no link between the two sentences.

SHRI PIYUSH GOYAL: I will have it looked into. ... (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I thought that you would study the Bill more carefully but the language needs to be corrected.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment nos. 4 and 5 to Clause 3 moved by Prof. Saugata Roy to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Satpathy, are you moving your amendment no. 25?

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Sir, I just wanted one small clarification from the hon. Minister. Then only I will be able to say whether I will move my amendment or not.

HON. DEPUTY SPEAKER: You have to move your amendment first and then only you can speak.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Sir, I am moving my amendment. I beg to move:

Sir, I just wanted to know what is his decision about making the washery person as the end-user. That is one thing. There is a slight mistake. Please see page no. 33. There is an explanation, which reads:

"Explanation.—In case a mining lease has been executed in favour of a third party, subsequent to such allocation of Schedule I coal mines, then, such third party shall also be deemed to be the prior allottee."

There is no third party here. All the parties are first parties, whether it is the West Bengal State Electricity Board or the Odisha Mining Corporation. There is an ambiguity in this.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I will just explain both the things very briefly.

As regards washing of coal, it is not an end-use but it is a process in between. The Coal Mines Nationalization Act identified washing as an end-use. Therefore, it has come in here also. We have no intention to give only washeries the coal. It will go to the end-use and then it will be ... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Then, delete it.

SHRI PIYUSH GOYAL: It is continuing from nationalization, 1973. But I am giving you an assurance that there is no plan to give any mines to washeries. The

mines are given for the end-use and the end-users may go through the washery for washing.

As regards your point on third party, in some cases the States have done joint ventures, where a new company has got created. That becomes a third party and the mining lease is in their name. Therefore, we have included them so that they are bound to pay the additional levy, as per the Supreme Court direction. Otherwise, the State Governments would have a problem. It is to protect the State Governments.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment no. 25 to Clause 3 moved by Shri Thathagata Satpathy to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER:

"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 Eligibility to participate in auction and payment of fees

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy, are you moving your amendment nos. 6 and 7?

PROF. SAUGATA ROY: I am not moving my amendments. We have committed yesterday to pass this Bill today.

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Sir. I beg to move:

"Page 4, lines 23 and 24,—
for "either for own consumption, sale or for any other purpose",
substitute "for own consumption"." (11)



"Page 4, line 31,—

after "coal mining operations",

insert "for own consumption for specified end use"." (12)

```
"Page 4, line 36,—

after "whose application",

insert "for coal blocks for specified end use"." (13)
```

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 11, 12 and 13 moved by Shri M.B. Rajesh to vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, after passing this Bill, we will take up the Private Members' Business.

Clause 5

Allotement of mines to Government companies or corporations

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Sir. I beg to move:

```
"Page 5, line 13,—
for "either for its own consumption sale or for any other purpose",
substitute "for its own consumption"." (14)
```

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No 14 moved by Shri M.B. Rajesh to vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clauses 6 and 7 were added to the Bill.

Clause 8 Nominated authority to issue vesting order or allotment order

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. M.B. Rajesh, are you moving your Amendment Nos. 15 to clause 8?

SHRI M.B. RAJESH: No, Sir, I am not moving my Amendment No. 15 to clause 8.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill.

Clauses 9 to 13 were added to the Bill.

Clause 14 Libilities of prior allottees

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. M.B. Rajesh, are you moving your Amendment No 17 to clause 14?

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): No, Sir, I am not moving my Amendment No. 17 to clause 14.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 14 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 14 was added to the Bill.

Clause 15

Commissioner of payments to be appointed and his powers

HON. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Saugata Roy, are you moving your Amendment No. 8 to clause 15?

PROF. SAUGATA ROY: No, Sir, I am not moving my Amendment No. 8 to clause 15.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 15 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 15 was added to the Bill.

Clause 16

Valuation of compensation for payment to prior allottee

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Tathagata Satpathy, are you moving your Amendment No. 26 to clause 16?

SHRI TATHAGATA SATPATHY: No, Sir, I am not moving my Amendment No. 26 to clause 16.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 16 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 16 was added to the Bill.

Clauses 17 to 19 were added to the Bill.

Clause 20 Power of Central Government to approve certain arrangement

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. M.B. Rajesh, are you moving your Amendment No 18 to clause 20?

SHRI M.B. RAJESH: No, Sir, I am not moving my Amendment No. 18 to clause 20.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 20 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 20 was added to the Bill.

Clauses 21 to 23 were added to the Bill.

Clause 24 Panelty failure to comply with directions of Central Government

HON. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Saugata Roy, are you moving your Amendment Nos. 9 and 10 to clause 24?

PROF. SAUGATA ROY: No, Sir, I am not moving my Amendment Nos. 9 and 10 clause 24.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 24 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 24 was added to the Bill.

Clauses 25 to 33 were added to the Bill.

Schedules I to III were added to the Bill.

Schedule IV

HON. DEPUTY-SPEAKER: Mr. M.B. Rajesh, are you moving your Amendment Nos. 19 to 24 to Schedule IV?

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): No, Sir, I am my moving my Amendment Nos. 19 to 24 to Schedule IV.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That Schedule IV stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Schedule IV was added to the Bill.

Clause 1 Short title, extent and commencement

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Sir, I beg to move:

"Page 1, line 5,—
for "(2) It extends to the whole of India.",

substitute "(2) It extends to the whole of India except the tribal areas mentioned in the Sixth Schedule to the Constitution."" (3)

Sir, the land tenure system in Meghayala in the VI Schedule is totally different from the mainland. I want an assurance from the Minister whether they have any intention to disturb the present mining in Meghalaya. If the hon. Minister can give the assurance I will withdraw my Amendment.

SHRI PIYUSH GOYAL: I will examine the matter, in detail and get back.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment No 3 moved by Shri Vincent H. Pala to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 1 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

The Enacting Formula was added to the Bill.

Preamble

PROF. SAUGATA ROY: Sir. I beg to move:

```
"That in the second part of the Preamble,—
for "energy security"
substitute "power requirements"." (1)
```

```
""That in the second part of the Preamble,—
for "core sectors"

substitute "end users"." (2)
```

Sir, I will withdraw it if the Minister again reassures the House that there will be no denationalization of the Coal India Limited.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I have already said it on the floor of the House that we are in fact strengthening the Coal India Limited. About the denationalization, I just read out its definition, which says, when you transfer ownership and management control to the private sector. We have absolutely no such plans at all. HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 1 and 2 moved by Prof. Saugata Roy to vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That Preamble stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Preamble was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.36 hrs

MOTION RE: THIRD REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

HON. DEPUTY SPEAKER: Next Private Members' Business, Item No.14—Shri Ratan Lal Kataria.

SHRI RATTAN LAL KATARIA (AMBALA): Sir, I beg to move the following:-

"That this House do agree with the Third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 10th December, 2014."

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 10th December, 2014."

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Bills for introduction.

15.37 hrs.

PRIVATE MEMBERS' BILLS-Introduced

(i)MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2014* (Insertion of new section 3A)

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957."

The motion was adopted.

SHRI VINCENT H. PALA: Sir, I introduce the Bill.

15.37 ½ hrs.

(ii) NURSING PROFESSION (ABOLITION OF SERVICE BOND AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) BILL, 2014*

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to regulate the nursing profession by providing for abolition of requirement of service bond or withholding of original educational documents of students or employees by institutions, hospitals or establishments in nursing sector and to safeguard the interests of employees and nursing students from all kinds of harassment and exploitation and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to regulate the nursing profession by providing for abolition of requirement of service bond or withholding of original educational documents of students or employees by institutions, hospitals or establishments in nursing

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14

sector and to safeguard the interests of employees and nursing students from all kinds of harassment and exploitation and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI ANTO ANTONY: Sir, I introduce the Bill.

15.38 hrs.

(iii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2014* (Amendment of the Eighth Schedule)

श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री ताम्रध्वज साहू: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

15.38 ½ hrs.

(iv) BANNING OF HARMFUL PESTICIDES BILL, 2014*

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to ban the use of harmful pesticides.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to ban the use of harmful pesticides."

The motion was adopted.

SHRI P. KARUNAKARAN : Sir, I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14

15.39 hrs.

(v) MATERNITY BENEFIT (AMENDMENT) BILL, 2014* (Amendment of section 5)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Maternity Benefit Act, 1961.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Maternity Benefit Act, 1961."

The motion was adopted.

SHRI P. KARUNAKARAN: Sir, I introduce the Bill.

15.39 ½ hrs.

(vi) PERSONS WITH DISABILITIES (EQUAL OPPORTUNITIES, PROTECTION OF RIGHTS AND FULL PARTICIPATION) AMENDMENT BILL, 2014*

(Amendment of section 26, etc.)

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995."

The motion was adopted.

SHRI M.K. RAGHAVAN: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14



15.40 hrs.

(vii) DRUGS (PRICE CONTROL) BILL, 2014*

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for constitution of a Committee for fixing the prices of drugs and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for constitution of a Committee for fixing the prices of drugs and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI M.K. RAGHAVAN: I introduce the Bill.

15.40 ½ hrs.

(viii) HEALTH INSURANCE SCHEME BILL, 2014*

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for a comprehensive health insurance scheme for all citizens of the country and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for a comprehensive health insurance scheme for all citizens of the country and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI M.K. RAGHAVAN: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14

15.41 hrs.

(ix) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2014* (Amendment of Article 316)

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI M.K. RAGHAVAN: I introduce the Bill.

15.41 ½ hrs.

(x) CENTRAL HOMEOPATHY UNIVERSITY BILL, 2014*

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a University at Kurichy in Kottyam district in the State of Kerala for the development of Homeopathy and for the furtherance of the advancement of learning and pursuit of research in Homeopathy.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a University at Kurichy in Kottyam district in the State of Kerala for the development of Homeopathy and for the furtherance of the advancement of learning and pursuit of research in Homeopathy."

The motion was adopted.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14

15.42 hrs.

(xi) SCHEDULED CASTES HAMLETS (PROVISION OF BASIC FACILITIES) BILL, 2014*

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for certain basic facilities to the persons belonging to the Scheduled Castes living in hamlets and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for certain basic facilities to the persons belonging to the Scheduled Castes living in hamlets and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: I introduce** the Bill.

15.42 ½ hrs.

(xii) COMMERCIAL CROP WORKERS (WELFARE) BILL, 2014*

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for certain welfare measures for commercial crop workers and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for certain welfare measures for commercial crop workers and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: I introduce the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Item no.17. Shri Yogi Adityanath – Not present. Shri Om Prakash Yadav

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14.

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15.43 hrs.

(xiii) HIGH COURT AT PATNA (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT SIWAN) BILL, 2014*

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पटना उच्च न्यायालय की सिवान में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court at Patna at Siwan"

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.43 ½ hrs.

(xiv) FARMERS (OLD AGE PENSION) BILL, 2014*

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था पेंशन और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for old age pension to small and marginal farmers and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14.

15.44 hrs.

(xv) FLOOD CONTROL BILL, 2014*

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बाढ़ नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए जाने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को प्रःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the setting up of a National Flood Control Board to suggest measures to control floods and for matters connected therewith.

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No.21 and 22. Shri Sunil Kumar Singh – Not present.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14.

15.44 ½ hrs.

(xvi) ARMED FORCES COVENANT BILL, 2014*

MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI AVSM (GARHWAL): I beg to move for leave to introduce a Bill to enshrine in law a covenant prescribing a commitment between the people of India and the Armed Forces Community serving as well as retired and their immediate families pledging a duty of care and improving support towards them in return for their bravery and sacrifices made for protecting the nation and to ensure that they face no disadvantage compared to other citizens in the provision of public and commercial services and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to enshrine in law a covenant prescribing a commitment between the people of India and the Armed Forces Community serving as well as retired and their immediate families pledging a duty of care and improving support towards them in return for their bravery and sacrifices made for protecting the nation and to ensure that they face no disadvantage compared to other citizens in the provision of public and commercial services and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI AVSM: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14.

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15.45 hrs.

(xvii) HIGH COURT OF JHARKHAND (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT DUMKA) BILL, 2014*

श्री निशिकान्त दुवे (गोड्डा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखण्ड उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की दुमका में स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए। HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court of Jharkhand at Dumka."

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुवे : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.45 ½ hrs.

(xviii) FARMERS (PROTECTION, PREVENTION OF SUICIDES AND WELFARE) BILL, 2014

श्री निशिकान्त दुवे (गोड्डा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसानों की साहूकारों, बिचौलियों, बेइमान व्यापारियों की शोषण से संरक्षा करने, आधुनिक तकनीकों एवं संबद्ध व्यवसायों द्वारा कृषि पद्धतियों में सुधार लाकर कृषि उपज को बढ़ाने, संकटग्रस्त किसानों को आत्महत्या करने से रोकने के लिए अन्य कल्याणकारी उपाय करके प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध सुरक्षा दायरे का विस्तार करने तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the protection of farmers from exploitation by moneylenders, middlemen, unscrupulous traders; increasing farm yield by improving farming practices by modern techniques and allied occupations; extending protective umbrella against natural

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14.

calamities by taking up of welfare measures to prevent the distressed farmers from committing suicide and for matters connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुवे: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.46 hrs.

(xix) INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2014* (Omission of Section 353)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

The motion was adopted.

श्री निशिकान्त दुवे : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.46 ½ hrs.

(xx) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2014* (Amendment of the Seventh Schedule)

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI P.P. CHAUDHARY: I introduce the Bill.

-

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14.

15.47 hrs.

(xxi) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2014* (Amendment of the Seventh Schedule)

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI P.P. CHAUDHARY: I introduce the Bill.

15.47 ½ hrs.

(xxii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL,2014 (Amendment of the Seventh Schedule)

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI P.P. CHAUDHARY: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14.

15.48 hrs.

(xxiii) VEGETABLE PRODUCTS (REMUNERATIVE SUPPORT PRICE AND INSURANCE) BILL, 2014*

श्री देवजी एम. पटेल (जालोर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सब्जी उत्पादों के न्यूनतम लाभकारी समर्थन मूल्य का नियतन और बीमा करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for fixation of minimum remunerative support prices and insurance of vegetable products and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री देवजी एम. पटेल: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.49 hrs.

(xxiv) FARMERS (PROTECTION FROM NATURAL CALAMITIES AND OTHER WELFARE MEASURES) BILL, 2014*

श्री देवजी एम. पटेल (जालोर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कृषकों के संरक्षण तथा अन्य कल्याणकारी उपायों तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the protection of farmers affected by natural calamities and for other welfare measures and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री देवजी एम. पटेल: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

_

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14.

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15.50 hrs.

(xxv) FRUIT AND VEGETABLE BOARD BILL, 2014*

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि फल और सब्जियों के भण्डारण और विपणन, फल और सब्जी उद्योग के विकास के लिए कारगर उपाय करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for effective measures for storage and marketing of fruits and vegetables, development of fruit and vegetable industry and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री देवजी एम. पटेल: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

15.50 ½ hrs.

(xxvi) COMPULSARY MEDICAL PREPAREDNESS IN SCHOOLS BILL, 2014*

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): मैं प्रस्ताव करता हूं कि चिकित्सा संबंधी आपात-स्थितियों से निपटने के लिए विद्यालयों में अनिवार्य चिकित्सा तैयारी करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory medical preparedness in schools to deal with medical emergencies and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14.

15.51 hrs.

(xxvii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2014 * (Amendment of article 243C)

MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI, AVSM (GARHWAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI, AVSM: Sir, I introduce the Bill.

15.51 ½ hrs.

(xxviii) PROHIBITION ON USE OF COERCIVE METHODS FOR RECOVERY OF BANK LOANS BILL, 2014*

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बैंको या उनके अभिकर्ताओं, चाहे वे प्राधिकृत हों या नहीं, द्वारा ऋण वसूली के लिए किसी व्यक्ति या उसके परिवार के प्रति मौखिक या शारीरिक अभित्रास और उत्पीड़न जैसे प्रपीड़क तरीकों के प्रयोग का प्रतिषेध करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए। HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to prohibit the use of coercive methods such as intimidation and harassment either verbal or physical against any person or his family members for recovery of loans by banks, or their agents, whether authorized or not, and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14.

15.52 ½ hrs.

(xxix) INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2014* (Insertion of new section 304AA)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

The motion was adopted.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Item Nos. 35, 36, 37 and 38, Dr. Bhola Singh – Not Present.

Item No. 39, Shri Bhartruhari Mahtab.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14.

15.53 hrs.

(xxx) EUTHANASIA (REGULATION) BILL, 2014*

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to regulate termination of life of persons who are in a permanent vegetative state or terminally ill and facing unbearable suffering and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to regulate termination of life of persons who are in a permanent vegetative state or terminally ill and facing unbearable suffering and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, I introduce the Bill.

-____

15.53 ½ hrs.

(xxxi) PUBLIC RECORDS (AMENDMENT) BILL, 2014* (Amendment of section 2, etc.)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Public Records Act, 1993.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Public Records Act, 1993."

The motion was adopted.

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14.

15.54 hrs.

(xxxii) ESTABLISHMENT OF PERMANENT BENCHES OF HIGH COURTS AT STATE CAPITALS BILL, 2014*

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of permanent Benches of the High Courts in State Capitals where the principal seat or a permanent Bench of the High Court concerned is situated at a place other than the State Capital and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of permanent Benches of the High Courts in State Capitals where the principal seat or a permanent Bench of the High Court concerned is situated at a place other than the State Capital and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I introduce the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shrimati Supriya Sule – Not present.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14.

15.55 hrs.

(xxxiii) GOOD SAMARITAN (PROTECTION FROM CIVIL AND CRIMINAL LIBILITIES) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS BILL, 2014*

SHRIMATI KIRRON KHER (CHANDIGARH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for protection to Good Samaritans from civil and criminal liabilities by establishing supportive legal environment; constitution of Good Samaritans Authority; obligations of hospitals and clinics and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for protection to Good Samaritans from civil and criminal liabilities by establishing supportive legal environment; constitution of Good Samaritans Authority; obligations of hospitals and clinics and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRIMATI KIRRON KHER: Sir, I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14.

15.56 hrs.

(xxxiv) INDIAN FOREST (AMENDMENT) BILL, 2014 * (Amendment of Section 2)

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Forest Act, 1927.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Forest Act, 1927."

The motion was adopted.

SHRI PREM DAS RAI : Sir, I introduce the Bill.

15.56 ½ hrs.

(xxxv) NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANES ABUSE (SURVEY) BILL, 2014 *

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for conducting an yearly survey of narcotic drugs and psychotropic substances abuse with a view to ascertain the extent, pattern and trend of drug abuse and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for conducting an yearly survey of narcotic drugs and psychotropic substances abuse with a view to ascertain the extent, pattern and trend of drug abuse and for matter connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI PREM DAS RAI: Sir, I introduce the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shrimati Supriya Sule – Not present.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14.

15.57 hrs.

(xxxvi) STATES REORGANISATION COMMISSION BILL, 2014*

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a bill to provide for constitution of a Commission to study and report on border disputes between the States and to recommend the Central Government the reorganization of States and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for constitution of a Commission to study and report on border disputes between the States and to recommend the Central Government the reorganization of States and for matters connected therewith "

The motion was adopted.

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE: Sir, I introduce** the Bill.

15.58 hrs.

(xxxvii) COMPULSORY VOTING BILL, 2014*

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matters connected therewith "

The motion was adopted.

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE: Sir, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14.

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15.58 ½ hrs.

(xxxviii) COMMISSION FOR THE FORMATION OF THE STATE OF VIDARBHA BILL, 2014*

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़िचरोली-चिमुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्यमान महाराष्ट्र राज्य का पुनर्गठन कर पृथक विदर्भ राज्य के निर्माण के लिए एक आयोग का गठन करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Commission for the formation of a separate State of Vidarbha by reorganization of the existing State of Maharashtra and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री अशोक महादेवराव नेते : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

15.59 hrs.

(xxxix) FOREST (CONSERVATION) AMENDMENT BILL, 2014* (Insertion of new section 3C)

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़िचरोली-चिमुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Forest Conservation Act, 1980"

The motion was adopted.

श्री अशोक महादेवराव नेते : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14.

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15.59 ½ hrs.

(xl) UNEMPLOYMENT ALLOWANCE BILL, 2014*

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़िचरोली-चिमुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक, विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for unemployment allowance to all unemployed persons and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री अशोक महादेवराव नेते : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

16.00 hrs.

(xli) CIVILIAN AWARDS (RECOMMENDATION COMMITTEE) BILL, 2014*

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़चिरोली-चिमुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सिविलियन पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश करने हेतु समिति का गठन किए जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for constitution of a Committee to recommend conferring of civilian awards on persons having outstanding contributions in different fields."

The motion was adopted.

श्री अशोक महादेवराव नेते : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14.

16.0 ½ hrs.

(xlii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2014*

(Insertion of new articles 21B, 21C and 21D)

श्री सी.आर. पाटील (नवसारी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री सी.आर. पाटील : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

16.01 hrs.

(xlii) SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE TO THE STATE OF GUJARAT BILL, 2014*

श्री सी.आर. पाटील (नवसारी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बालिकाओं के कल्याण के संवर्धन, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और राज्य में कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए गुजरात राज्य के लिए विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Gujarat for promoting the welfare of girl child, reduction of maternal and infant mortality rate and welfare of agricultural labourers in the State."

The motion was adopted.

श्री सी.आर. पाटील: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित ** करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14.

^{**} Introudced with the recommendation of the President.

16.01 ½ hrs.

(xliv) ABOLITION OF BEGGING BILL, 2014*

श्री सी.आर. पाटील (नवसारी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भिक्षावृति उत्सादन हेतु तथा उससे संबंधित अथवा उसके अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for abolition of begging and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री सी.आर. पाटील : महोदय, मै विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

16.02 hrs.

(xlv) ELECTRICITY (AMENDMENT) BILL, 2014*

(Substitution of new section for section 4, etc.)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्युत अधिनियम, 2003 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill a Bill further to amend the Electricity Act, 2003."

The motion was adopted.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14.

16.02 ½ hrs.

(xlvi) COW PROTECTION AUTHORITY BILL, 2014*

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में गौ और उसकी संतित के संरक्षण के प्रयोजनार्थ एक प्राधिकरण तथा राज्य स्तर पर समरूप प्राधिकरणों के गठन और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमित दी जाए। HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of an authority for the purpose of protection of cow and its progeny in the country and similar authorities at the State level and for matters connected therewith or incidental thereto"

The motion was adopted.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

16.03 hrs.

(xlvii) TOURISM PROMOTION AUTHORITY BILL, 2014*

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में पर्यटन के संप्रवर्तन के लिए पर्यटन संप्रवर्तन प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को प्र:स्थापित करने की अनुमित दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for establishment of Tourism Promotion Authority for the promotion of tourism in the country and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14.

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

16.03 ½ hrs.

(xlviii) PRE-CONCEPTION AND PRE-NATAL DIAGNOSTIC TECHNIQUES (PROHIBITION OF SEX SELECTION) AMENDMENT BILL, 2014*

(Insertion of new section 16B etc.)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गर्भाधान-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Preconception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994."

The motion was adopted.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 12.12.14.

16.04 hrs.

ACID (CONTROL) BILL, 2014 --- Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Kirit P. Solanki to continue.

खॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमित प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने पिछली बार एसिड (कंट्रोल) बिल पर अपनी चर्चा की शुरूआत की थी। जहां तक महिलाओं के उत्पीड़न का सवाल है, कई प्रकार के उत्पीड़न होते हैं। चाहे वह डोमेस्टिक वॉयलेंस हो, महिलाओं पर डाउरी के किस्से हों, हमले हों, घरेलू हिंसा हो, प्रताड़ना हो, बलात्कर या जातीय शोषण हो, महिलाएं सॉफ्ट टार्गेट होती हैं। महोदय, जहां तक अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब वर्ग की महिलाओं का सवाल है, वे ही इसका सॉफ्ट टार्गेट बनती हैं। महिलाओं पर कई प्रकार के अत्याचार होते हैं। कई किस्सों में उत्पीड़न या रेप के बाद उनकी हत्या की जाती है। कई किस्से हमारे संज्ञान में आए हैं, हम सबको साथ बैटकर इस बाबत चिंतन करना पड़ेगा और कठोर नियम बनाना स्वेस्ता हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रयत्न करना पड़ेगा।

16.06 hrs. (Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

महिलाओं पर जहां तक एसिड अटैक का सवाल है, ऐसिड अटैक एक अलग तरह का अटैक है। एसिड अटैक में महिलाएं अक्सर बच जाती हैं, किन्तु शेष जीवन तड़प-तड़प कर कर जीती हैं। हर दिन जब वह उठती हैं, हर दिन वह मरती हैं, बार-बार मरती हैं। समाज में उनकी स्थिति तिरस्कृत सी हो जाती है। उनके रिलेटिव्स भी उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, सहकर्मचारी भी उनके साथ खेदजनक व्यवहार करते हैं। एसिड अटैक बहुत ही घृणित और जघन्य अटैक है। इससे महिलाएं डिसएब्लड हो जाती हैं। कई घटनाओं में वे अपनी आंखें गवां देती हैं, होठ विकृत हो जाता है, पूरा चेहरा विकृति हो जाता है। इसमें इतनी पीड़ा रहती है कि महिला की जिन्दगी जीने लायक नहीं रह जाती। वह पूरी जिन्दगी तड़प-तड़प कर जीती है। इसलिए में इस विधेयक को सदन के समक्ष लाया हूं। तेजाब से महिलाओं पर जो हमले होते हैं, इसके लिए सदन एक कठोर कानून बनाए, इसके लिए एक स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी। जघन्य अपराध से महिला मेंटली टूट जाती है, मोरली टूट जाती है, उनका सामाजिक जीवन बिखर जाता है। वह फाइनेंशियली भी टूट जाती हैं क्योंकि इसकी जो ट्रीटमेंट, काफी महंगी भी है, इसमें कॉरमेटिक, प्लॉस्टिक सर्जरी की, चूंकि मैं पेशे से एक सर्जन हूं, मैं जानता हूं कि ऐसे मामलों में एक बार सर्जरी से काम नहीं होता है। बार-बार हॉस्पीटल मंं भर्ती होना पड़ता है। बार-बार कॉरमेटिक सर्जरी करनी पड़ती है। प्लास्टिक सर्जरी के बार बार she has to

undergo various treatments again and again. यह ट्रीटमेंट इतनी महंगी होती है, महिलाएं उसको झेल नहीं सकती हैं, वे महिलाएं आर्थिक रूप से टूट जाती है, महिलाएं स्थायी रूप से डिसएबल हो जाती हैं। गृह मंत्री जी ने इसी सदन में जो आंकड़े दिए थे, वह बहुत चौंकाने वाले हैं। उन्होंने वर्ष 2011-2013 तक के जो आंकड़े दिए थे, इस दौरान 234 अटैक हुए थे। ये सिर्फ रजिस्टर्ड आंकड़े हैं, जो आंकड़े संज्ञान में नहीं आए हैं, जो आंकड़े रजिस्ट्र्ड नहीं हुए हैं, ऐसे कई आंकड़े हैं। महिलाएं तड़प-तड़प कर जीती हैं। अटैक करने वाला उस पर अटैक करके भाग जाता है। सरकार को उनकी आइडेंटिटी भी नहीं मिलती है। ऐसे लोग डिसएपियर हो जाते हैं, उनको दंडित करने के लिए हमारे पास जो प्रावधान हैं, वे बहुत ही सीमित हैं। एसिड अटैक और भारतीय लॉ के बारे में बात करूं the Indian Penal Code remains silent as far as defining acid attack is concerned. It is difficult for the prosecution to put up a strong case against the culprit. Currently the crime is booked under Section 326 of Indian Penal Code which deals with causing grievous hurt by throwing a corrosive substance, etc.

Here, the scope of definition is very narrow and does not deal adequately with the issue because it does not cover the various kinds of injuries inflicted because of an acid attack. The section does not cover the act of administering acid attack, i.e. planning of the acid attack. The section gives a wide discretion to the Court as far as punishment is concerned. There is no clear provision of awarding the compensation to the victim.

Sir, acid attack is a ghastly crime. In 2008, the Law Commission of India came out with the inclusion of acid attack as a specific offence in the Indian Penal Code and the law for compensation for the victims of crime. Additional subsections are added in existing section 326 of the Indian Penal Code. The sections added are 326A and 326B.

Section 326A suggests hurt by any acid attack. Whoever burns or maims or disfigures or disables any part or parts of the body of a person or causes a grievous hurt by throwing acid or administering acid to the person with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt, shall be punishable with imprisonment of either description for a term which shall not

be less than 10 years, but which may be extended to life imprisonment with fine which may extend to Rs 10 lakh.

Section 326B suggests that it provides minimum 5 years punishment extendable to 7 years and the fine for attempt of acid attack.

Another section, i.e. section 166B is also introduced. It provides punishment upto one year in case of hospital, whether it is a public hospital or a private hospital, if it does not provide first-aid or medical treatment free of cost to the victim.

सभापित महोदय, ये सब प्रावधान होते हुए भी कानून में बहुत गेप है। ये प्रावधान पिनशेबल लीगल अप्लाइअन्सेज किये गये हैं। जहां तक प्रिवेंशन का सवाल है तो उस पर हमारा कानून आज भी साइलेंट है। मैं समझता हूं कि महिलाओं पर एसिड अटैक न हो, ऐसा हमें प्रावधान करना चाहिए। किसी की हत्या करने पर सैक्शन 302 में फांसी की सजा का प्रावधान है, मगर फिर भी ऐसे इंसीडेंटस समाज में होते रहते हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ऐसे कानून पैदा ही न हों, क्योंकि आज आप देखेंगे कि तेजाब किसी भी किराने की दुकान पर मिलता है और उसकी कीमत महज 20 रुपये से लेकर 25 रुपये तक होती है। कोई भी व्यक्ति तेजाब की बोतल उठाकर किसी पर भी डाल कर उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है।

सभापित जी, मेरा आपसे निवेदन है कि इस संबंध में हमें कठोर प्रिवेंशन करना चाहिए। मौजूदा कानून में जो गेप है, उसे हमें भरना चाहिए, तािक कोई भी ऐसे जघन्य अपराध न कर सकें। इसिलए मैं इस सदन के सामने एसिड अटैक विधेयक, 2014 लेकर आया हूं। इस हेतु मैं एसिड बिल, 2014 को प्रस्तुत करता हूं। इस सूचित विधेयक के प्रमुख तीन बिन्दू हैं—एसिड सेल्स और प्रोडक्शन पािलसी पर बैन लगाना चाहिए। दूसरा, उस पर सरकार का कंट्रोल होना चािहए और एसिड हमले में जो पीड़ित है, उसे नि:शुल्क मेडिकल सुविधा मिलनी चािहए। पीड़ित के ऊपर कितना भी खर्च हो, सरकार को वहन करना चािहए। पीड़ित के पूनर्वास के लिए प्रयत्न करना चािहए।

एसिड सेल स्टेट का विषय है। इस मामले में संघीय ढांचे का सवाल उठता है, मैं सरकार से विनती करता हूं कि संघीय ढांचे में लचीलापन लाना चाहिए तािक राज्य सरकार और केंद्र सरकार में तकरार न हो। दोनों को मिलजुल कर सहमित से कानून पारित करना चािहए। मेरा सुझाव है कि एसिड प्रोडक्शन और सेल्स पािलसी पर रोक लग्नी चािहए। एसिड ट्रेड नियंत्रित किया जाना चािहए तािक ट्रेडर बिना लाइसेंस एसिड स्टॉक न रख सकें। 18 साल से कम उम्र के किसी भी ग्राहक को एसिड नहीं देना

चाहिए। हर खरीददार के लिए एसिड खरीदने के लिए आईडी प्रूफ देना अनिवार्य होना चाहिए। ट्रेडर को हर बिक्री का ब्यौरा तैयार करना चाहिए और इसे तीन दिन के भीतर पुलिस में जमा कराना चाहिए। लाइसेंस स्टॉक होल्डर द्वारा सभी स्टॉक की जानकारी 15 दिनों के भीतर सब-डिवीजनल मेजिस्ट्रेट को दी जानी चाहिए और ऐसा न करने पर उनके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना होना चाहिए। गाईडलाइन्स के मुताबिक अस्पताल, लेबोरेटरी या अन्य संस्थान, जहां इसकी जरूरत होती है, इस्तेमाल होता है, एसिड के स्टॉक और खपत का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होना चाहिए। सरकार को एसिड हमलों में निःशुल्क सहायता और पुनर्वास के लिए ठोस प्रावधान करना चााहिए। सरकार को निःशुल्क मेडिकल सहायता उपलब्ध करानी चाहिए क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी पर बहुत खर्च आता है। इसमें सिर्फ एक सर्जरी से रिजल्ट नहीं मिलता है। कई बार तो सीरीज़ ऑफ सर्जरी करानी पड़ती है, पांच या दस बार सर्जरी करानी पड़ती है और इसके बावजूद भी जो रिजल्ट मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। सरकार को इस तरह के खर्च का प्रावधान करना चाहिए। एसिड से पीड़ित लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं, उनको साइकोलॉजिकल बैकअप देना चाहिए। ऐसे लोगों को मनोचिकित्सक सहायता देनी चाहिए। उनके लिए समाज में ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए। एसे लोगों को मनोचिकित्सक सहायता देनी चाहिए। उनके लिए समाज में ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए। ताकि सभी लोग उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाएं। चाहे शैक्षणिक संस्था हो या नौकरी की जगह हो या समाज में कोई भी जगह हो, इनको सम्मान मिलना चाहिए। एसिड से पीड़ित व्यक्ति को हर कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इसके लिए कोई ठोस कमीशन बनाना चाहिए।

महोदय, दुनिया के अन्य देशों में एसिड अटैक के लिए प्रावधान किए गए हैं, ब्रिटेन में भी कानून बना है। हमारे पड़ौसी मुल्क बांग्लादेश में एसिड अटैक के लिए जो कानून बना है, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के देशों के कानूनों में सबसे अच्छा कानून है। हमें इस मॉडल को स्थापित करना चाहिए। सरकार को एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्तियों की सपोर्ट करना चाहिए।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि सभी जिलों में एसिड कंट्रोलर पोस्ट का गठन करना चाहिए तािक देश के हर जिले के ज्यूरिस्डिक्शन में एसिड बिक्री पर कंट्रोल किया जा सके और कोई भी व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। इसकी प्रापर मािनटिरंग होनी चाहिए। स्टॉकिस्ट को पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए और समय-समय पर सरकार से ग्रांट करानी चाहिए। मेरा सुझाव है कि एसिड कंट्रोलर की पोस्ट हर जिले में स्थापित की जानी चाहिए। तािक ऐसे लोगों पर भविष्य में हमले न हों, ऐसे लोगों



की जिन्दगी न बिगड़े, जिनकी शिकार खासकर महिलाएँ होती हैं और महिलाओं को हम समाज में और हमारी जो संस्कृति है, उसमें महिलाओं का आदर करते हैं। इसिलए मैं आपके माध्यम से सरकार से और मैं गृह मंत्रालय से गुज़ारिश करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस एसिड कंट्रोल बिल संबंधी कानून को जल्द ही सदन में लाएं और बिल में लचीलापन लाएं।

माननीय सभापति : कृपया अब समाप्त कीजिए। आपके समर्थन में बोलने वाले अभी बहुत सारे वक्ता हैं। डॉ. किरिट पी. सोलंकी : इसलिए मैं इस बिल को सदन में प्रस्तुत करता हूँ।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): माननीय सभापित जी, मैं डा. किरिट प्रेमजीमाई सोलंकी द्वारा प्रस्तुत विधेयक, जो रसायनों की बिक्री को नियंत्रित करके महिलाओं पर होने वाले एसिड अटैक की घटनाओं को रोकने के संबंध में है, उसके समर्थन में अपने विचार रखते हुए कहना चाहती हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गौरव रखने वाले हमारे देश के लिए एसिड अटैक की घटनाएँ एक बहुत बड़ा कलंक है। यह दुखद है कि हमारे देश में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे तमाम रसायन खुले तौर पर सस्ते दामों में देश के कोने-कोने में उपलब्ध हैं और महिलाओं के विरुद्ध हथियार के रूप में बराबर इस्तेमाल किये जा रहे हैं। वे महिलाएं, जो गरीब परिवारों से आती हैं, दिलत-पिछड़े, आदिवासी समुदायों से आते हैं, कमजोर वर्गों से आती हैं, विशेषकर उनको एसिड अटैक की घटनाओं का शिकार बनाया जाता है। इससे ज्यादा जघन्य और अक्षम्य अपराध और कोई नहीं हो सकता जिसमें महिलाओं का पूरा जीवन तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है। उन्हें इन घटनाओं के मनौवैज्ञानिक, चिकित्सीय और सामाजिक निहितार्थ झेलने पड़ते हैं। शायद हमारे शब्दकोश में ऐसे शब्द न हों, जिनसे उन महिलाओं की पीड़ा को, उनके दुःख को, उनकी वेदना को व्यक्त किया जा सके। एसिड अटैक करने वालों की जो मंशा होती है, वह एक महिला को बदसूरत बनाने से लेकर, उसे जीवन भर उत्पीड़ित करने से लेकर, उनकी हत्या करने तक होती है और ऐसे कारणों के चलते, यदि उन कारणों का विश्लेषण किया जाए तो बड़े ही अविवेकी, बड़े ही अगंभीर और बेसबब कारण निकलकर सामने आते हैं।

सभापित महोदय, हमारी संसद ने वर्ष 2013 में इस प्रकरण की गंभीरता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए एक कानून भी बनाया था। उस कानून के तहत ये प्रावधान किये गये थे, जिसमें राज्यों को अपने-अपने राज्यों की सीमा में जो रसायन हैं, उनकी बिक्री पर नियंत्रण करने के निर्देश दिये गये थे, लेकिन दुःख की बात यह है कि राज्यों ने उन कानूनों का कड़ाई से पालन नहीं किया। आज भी उन रसायनों की बिक्री बराबर खुले तौर पर सस्ते दामों पर जारी है। साथ ही उस कानून में यह भी प्रावधान किया गया था कि जो इससे पीड़ित महिलाएँ हैं, उनको मुआवज़ा भी मुहैया कराया जाए, लेकिन उसके लिए भी जो पीड़ित महिलाएँ हैं, उनको दर-दर भटकना पड़ता है। तो ज़मीन पर बहुत कुछ नहीं बदला है। जुलाई, 2014 में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सरकारों को निर्देशित किया कि रसायनों की बिक्री पर वे नियंत्रण लगायें और जितने भी एसिड ट्रेडर्स हैं, उनके लिए लाइसेंस अनिवार्य किया जाए, साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे तमाम रसायन, जो एसिड अटैक में इस्तेमाल किये जाते हैं, उनकी बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाए और

एक निगरानी व्यवस्था राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में विकसित करें, जिसके तहत जो रसायन खरीदने वाले हैं और जो रसायन के बिक्रेता हैं, वे एसिड खरीदने वालों के नाम, फोटो आई.डी., पहचान पत्र आदि तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखें, जिससे बाद में अगर कोई घटना हो तो उनकी पहचान की जा सके और उनको सज़ा दी जा सके। सरकार के स्तर से अभी भी इस मामले में और भी गंभीर रवैया अपनाने की जरूरत है क्योंकि जैसा कि डा. सोलंकी ने बताया कि घटना हो जाने के उपरांत सज़ा देने वाले तमाम प्रावधान हमारे कानूनों में हैं, लेकिन इन घटनाओं को हम कैसे रोकें, इसके बहुत प्रावधान हमारे पास नहीं हैं। इसी की व्यवस्था करने की जरूरत है। यदि हम इन घटनाओं को होने से रोक देंगे तो ऐसी बहुत सी महिलाएँ हैं, जो अकारण इसका शिकार बन रही हैं, जिनका पूरा जीवन तबाह और बर्बाद हो रहा है, उनके जीवन में हम एक नयी रोशनी ला सकते हैं। इसलिए मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए सरकार से अपील करती हूं कि इसे पारित किया जाए क्योंकि हमारे देश की आधी आबादी के सम्मान और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उसे उज्ज्वल बनाने के लिए यह विधेयक ऐतिहासिक साबित होगा।



श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): महोदय, यह सिर्फ आधी आबादी का सवाल नहीं है। महिलाओं के बगैर जीवन का निर्माण नहीं हो सकता है। इस देश में सीता-राम, राधे-कृष्ण, पार्वती-शिव, दुर्गा, काली, अहिल्या और कौशल्या, झांसी की रानी, मदर टेरेसा, पी.टी.ऊषा आदि महिलाओं का संस्कृति एवं सभ्यता में सबसे बड़ा योगदान रहा। व्यक्ति के निर्माण में जिन महिलाओं का योगदान हो, उस देश की आजादी के 67 साल बाद लगातार महिलाओं का अपमान, महिलाओं पर अत्याचार होता है। जन्म लेते ही बेटी माता-पिता के लिए जीना शुरू कर देती है, बड़े होते ही भाई के लिए, थोड़ा बड़े होने पर पित के लिए, उससे बड़ी होने पर अपने बच्चों के लिए, उससे बड़ी हो जाए तो पोता-पोती के लिए और बड़ी हो जाए तो नातिन के लिए जीती है। जीवन से लेकर अंत तक सिर्फ उनका समर्पण ही होता है। जिस देश ने महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान अपने व्यवहार में किया हो, भाषा में, संस्कृति में, गीता में, कुरान में, बाइबल में मर्यादाओं की बात की गयी, लेकिन आचरण एवं कर्मों में कभी महिलाओं का सम्मान जिस देश में न हुआ हो, दहेज के नाम पर, विधवा हो जाने पर, सती के नाम पर अत्याचार होते हैं और बेटी होना ही जिस देश में गुनाह हो जाए, जिस देश में भूण हत्या विरोधी कानून पर सख्ती से अमल न किया जाए, वहां एसिड जैसी चीजों पर बहस होना बहुत बड़ी बात है। एसिड से होने वाले इस अपराध को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

माननीय सदस्य, जो इस बिल को लाए हैं, उनको धन्यवाद देता हूं। लगातार जलाने की प्रक्रिया, दबाने की प्रक्रिया चल रही है। जो लोग बोल रहे हैं, उनके घर में बेटियों और बहनों का सम्मान नहीं होता है। अपने घर में हम महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, न मां के रूप में। आज हिन्दुस्तान के 60 प्रतिशत बुजुर्ग मां-बाप अपने बच्चों से अलग रहना पसन्द करते हैं। यह आपका सर्वे है।...(व्यवधान) यह आपकी सरकार का सर्वे है। ... (व्यवधान) बड़े-बड़े करोड़पति-अरबपति जाकर धार्मिक स्थलों पर रहते हैं, वे अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उस देश में आज यह कानून लाने की बात हो रही है। कानून तो है, वह लागू क्यों नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के बार-बार कहने के बाद भी एसिड कहां मिलेगा, एसिड किस मात्रा में मिलेगा, किस उम्र के लोग एसिड ले सकते हैं, उसकी पर्टीकुलर जगह कहां होगी, 30-35 साल के नौजवान को एसिड मिलना चाहिए या नहीं, यह नहीं होता है। जला दिए जाने के बावजूद उन बच्चियों के इलाज की कोई व्यवस्था न राज्य सरकार करती है, न केन्द्र सरकार करती है, कुछ एनजीओज मदद कर देती है। आज तक केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा न उनके इलाज के लिए कोई व्यवस्था की है, न उनके जीवन जीने के लिए किसी आर्थिक सुविधा की व्यवस्था की गयी, न ही सख्त कानून लाए गए। न ही सख्त कानून लाए गये। लड़कियों और बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी जाती है, इसलिए इस पर

आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए या कम से कम इस पर 14 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। इतने जघन्य अपराध के लिए सख्त कानून होना चाहिए। समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, मध्यम वर्ग है, उन्हें इलाज नहीं मिलता है। बड़े परिवार की बच्चियों का इलाज हो जाता है, मदद मिल जाती है, लेकिन गरीबों, कमजोरों, अल्पसंख्यकों की बच्चियों का इलाज नहीं हो पाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसे कमजोर तबकों की बच्चियों के लिए विशेष प्रावधान आप कानून में करें।

एसिड बेचने की व्यवस्था चुनिंदा दुकानों पर हो, उनके पास लाइसेंस हो और अगर लाइसेंस वाली दुकान भी गलत तरीके से एसिड बेचती है, तो उसका लाइसेंस निरस्त हो, उस पर केस दर्ज होकर उसे भी जेल भेजा जाए। एक व्यक्ति के लालच के कारण कई जिंदिगियां बर्बाद हो जाती हैं, इसलिए इस पर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। साथ ही इस देश की महिलाओं का सम्मान कैसे हो, कैसे भ्रूण हत्या रुके, कैसे बलात्कार रुकें, इसके लिए भी कठोर कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Mr. Chairman, Sir, at the outset I must congratulate my esteemed colleague Dr. Kirit Solanki who has taken pain to introduce this kind of significant legislation in this august House with a view to protecting and safeguarding our womenfolk from the onslaught of acid attacks, which has been increasing at an alarming pace, much to the consternation of all of us.

If you go through the history, it is found that on October 17, 1915 acid was fatally thrown on Leopold Clement of Saxe-coburg and Gotha, heir to the House of Kohary, by his distraught mistress, Camilla Rybicka, who then killed herself. That is why the acid attack some times is called 'vitriolic' attack. The use of acid as a weapon began to rise in many developing nations, especially those in South Asia. The first recorded acid attacks in South Asia occurred in Bangladesh in 1967; in India in 1982; and in Cambodia in 1993. Since then research has witnessed an increase in the amount and severity of acid attacks in this region. However, this can be traced back to significant under reporting in the 1980s and 1990s.

Dr. Solanking was saying that there has been a serious under reporting which sometimes hide the actual number of acid attacks. Here, through this legislation, the hon. Member has sought to provide for control of sale and distribution of acids in order to prevent the acid attacks on human beings, particularly on women and girls and for matters connected therewith or incidental thereto. It is the main focus of this legislative document. I am intending to add a few lines to this legislation. Since acid attacks may be motivated by one or different reasons, legislation should focus on the acts that constitute the crime rather than the motive. We should have a very comprehensive legislation on this issue because acid attack can simply be recognised as a heinous crime. It does not kill the victim but it destroys the life of the victim. The life of an acid survivor is beyond description because only the victim knows how she has been undergoing the trials and tribulations of her life.

The legislation should also penalise those who aid and abet this harmful practice and include family members among those who may be penalised. It should also make acid attacks a "transferable intent" crime providing the same penalties regardless of whether the person injured was the intended victim or not. The law should prohibit the acceptance of informal financial settlement or marriage as settlement of claims. This is under-reported because various kinds of informal measures are often adopted by the perpetrator of this crime. I am emphasising that the perpetrator should be prosecuted under the murder statutes of the penal code. ... (*Interruptions*)

महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

माननीय सभापति : अन्य माननीय सदस्य भी इस पर बोलना चाहते हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी हैं।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: The specific law on the acid attack should provide a term of imprisonment and fine which is no less severe than what is provided under the murder statutes of the general penal code with the exception of capital punishment. The legislation should provide that no mediation provisions are a part of the legislation on acid attack. It should require the sellers of acids to create and maintain a record of each sale and the identity of each purchaser. I think Dr. Solanki also made some proposition on this issue. It should require the sellers of acid to take all necessary measures to ensure that their supplies of acid are not stolen and immediately report any stolen acid. I would like to draw the particular attention of Dr. Solanki that the legislation should impose a duty upon medical providers to report all cases of bodily harm caused by acid to law enforcement. I would like to draw your attention that medical providers should be drawn into this area. The legislation should also mandate that police officers investigate any case reported by a medical provider where bodily harm was caused by acid. It should also establish and fund public awareness campaigns and training for all sectors about this harmful practice and its consequences. The

legislation should also allow victims to pursue civil remedies against their attackers. Monetary damages should include the cost of reconstructive surgery.

महोदय, यह बड़े दुख की बात है कि आज भी हमारे हिन्दुस्तान में जहां हम माताओं की, कन्याओं की पूजा करते हैं, वहां सबसे ज्यादा महिलाएं तेजाब की शिकार बनती हैं। हमारी महिलाएं लगभग 77 फीसदी तेजाब फेंकने की वजह से शिकार बनती हैं। इसलिए अगले ही दिन सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए, जिससे कि हमारे हिंदुस्तान में इस तरह की हिंसा न हो। मैं समझता हूं कि इस बिल का सबको समर्थन करना चाहिए और सरकार को इसे पास कराना चाहिए। धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमिरेयागंज): सभापित महोदय, आपने एक ऐसी सामाजिक कुरीति और एक ऐसे संवेदनशील विषय पर मुझे बोलने की अनुमित दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। अभी मेरे सम्मानित साथियों ने अपनी भावनाओं की जो अभिव्यक्ति की है, मैं भी उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आज हमारी जो साठ से सत्तर परसैन्ट बहने और बेटियां होती हैं, एक तरफ वे फिजिकल और मैन्टल ट्रामा की स्टेज में जाती हैं और दूसरी तरफ कौन सी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, शायद वे जिंदगी भर अपने परिवार के लिए बोझ बन जाती हैं। क्योंकि एक बार हमारी बेटी या बहन इस एसिड का शिकार होने के बाद अगर समाज में वह किसी जॉब में है तो उसे उस जॉब से भी हाथ धोना पड़ता है, यहां तक कि उसके रिश्तेदार भी उसका साथ छोड़ देते हैं और उसके ट्रीटमैन्ट और कॉस्मैटिक सर्जरी में उसके परिवार का घर तक बिक जाता है। आपने देखा होगा, हम लोग भी अपने इलाके में देख रहे हैं कि आज ऐसे लोग किस त्रासदी से गुजर रहे हैं।

महोदय, पिछले दिनों हमारी छोटी बहन लक्ष्मी के साथ एक घटना हुई और इस कॉज को लेकर वह देश के उन सभी लड़के और लड़कियां, जो एसिड के शिकार हो रहे हैं, उनके लिए एक लड़ाई लड़ रही है। आज भी जन्तर मन्तर पर लक्ष्मी के नेतृत्व में जो एसिड के विक्टिम्स हैं, उनके नेतृत्व में इस बात की लड़ाई लड़ी जा रही है कि जो 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि जो एसिड के विक्टिम्स होंगे, इनका इलाज बहुत महंगा होता है। मैं उनके रीहैबिलिटेशन की बात बाद में करूंगा, मैं उनके ट्रीटमैन्ट की बात करता हूं, उनका ट्रीटमैन्ट इतना महंगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें कम से कम तीन लाख रुपये की मदद की जाए। जबिक आज उतने पैसे में भी ट्रीटमैन्ट नहीं हो सकता। लेकिन आज तक तमाम राज्यों में वे आरटीआई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम केवल बात करते हैं। यदि कहीं कोई इस तरह की घटना हो जाती है या महिलाओं के उत्पीड़न की बात आती हैं, सैक्सुअल असॉल्ट की बात होती है तो पूरे देश में ह्यू एंड क़ाई होता है। क्या हमारी यह संवेदनशीलता नहीं है कि अगर आज कोई बहन-बेटी एसिड का शिकार हो गई और उसकी जिंदगी एक जिंदा लाश की तरह से एक बोझ बन गई तो आखिर उसे हम रीहैबिलिटेट करने के लिए, उसकी सामाजिक सुख्शा के लिए, सामाजिक दायित्व के लिए या किस तरह से उसके ट्रीटमैन्ट की व्यवस्था होगी, किस तरह से वह अपनी जिंदगी को गुजार सकती है, उसकी जिंदगी के सारे सपने तार-तार हो जाते हैं, फर वह एकाकीपन की जिंदगी जीती है।

मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आखिर उस 18 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आज तक लागू क्यों नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्य है कि 2007-2008 तक या उसके पहले इंडियन पीनल कोड ने इस तरह के एसिड अटैक को क्राइम नहीं माना जाता था। 2011 में जब

निर्भया कांड के बाद जस्टिस की अध्यक्षता में रूलिंग हुई और उसके बाद इन विक्टिम्स के बारे में कहा गया। आज उनकी सबसे बड़ी पीड़ा है कि जो विक्टिम्स हो गये, वह उनका दुर्भाग्य है, उनका कोई गुनाह नहीं है। आज कोई बेटा, बेटी या कोई व्यक्ति एसिड का विक्टिम होने के बाद जिन परिस्थितियों से वे गुजरते हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आज कोई सिरफिरा है, किसी का कुछ नजरिया है, अगर उसने कहीं कोई पहल की और अगर किसी बेटी या बहन ने उस तरह का रिस्पांस नहीं दिया और वह अपने उस स्वाभिमान, सम्मान और अस्तित्व की रक्षा के लिए इस तरह की घटनाओं की शिकार होती है और इन घटनाओं से शिकार होने के बाद उनकी जो स्थिति बनती है, उस स्थिति पर आज जब हम इस सदन में चिंता व्यक्त कर रहे हैं तो हमें निश्चित तौर से सोचना होगा कि आखिर इस देश में इस तरह के जो विक्टिम्स हैं, उनके लिए समाज का नजरिया भी बदल जाता है। हम उस नजरिये को कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज विक्टिम ही विक्टिमाइज़ होने लगे हैं। आज वह विक्टिम ही समाज से अलग-थलग हो जाए, उसके रिश्तेदार या सामाजिक जीवन से उसकी एक अलग-थलग जिंदगी हो जाए, वह नौकरी से हाथ धो बैठे, कहीं ऐसी परिस्थितयां हों तो आखिर वह बेटी कैसे जिंदा रह सकती है? जब आज हम पूरी दुनिया में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के लिए जिस तरीके की चिंता यह सदन कर रहा है, पूरी सोसाइटी कर रही है, उन परिस्थितियों में हमें देखना होगा कि कैसे हम उनकी रक्षा कर विशेष यही नहीं, 18 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न हुआ जिसमें उसके ट्रीटमेंट के लिए या उसके रीहैबिलिटेशन के लिए कहा गया। उन्होंन इस सवाल को उठाया है कि किस तरीके से एसिड खुले आम बिक रहा है। एसिड की सेल के कंट्रोल के लिए जो बात हुई है, मैं कहना चाहता हूँ कि आज उस फैसले के बावजूद भी एसिड किसी भी व्यक्ति को खुले आम मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट निर्देश दिया था कि जिसको भी एसिंड की दुकान का लाइसेंस मिलेगा, वह उसका एक स्टॉक रजिस्टर रखेगा कि किसको किस परपज़ के लिए एसिड बेच रहे हैं। आखिर इसको कौन लागू करेगा? राज्यों में किसी घटना को लेकर जिस तरीके से उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, आखिर कौन सा ऑर्गन है जो उसको रोक सकता है? राज्यों में उस ऑर्गन को, उस तंत्र को मजबूत करना होगा। हर जिले में एसिड बेचने के लिए जिन दुकानों को लाइसेंस मिलते हैं, उनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं।

अधिष्ठाता महोदय, आप स्वयं एक ऐसे राज्य से आते हैं और आपने इस तरह की घटनाओं को बचपन से देखा है। कब तक यह समाज उस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को देखता रहेगा? केवल हम चिंता व्यक्त करते रहेंगे कि हमारी बेटियां, हमारी बहन या हमारा भाई इस तरह के एसिड का शिकार हो जाएं, उसका चेहरा डिशेप हो जाएं? अगर उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी होती है तो उसी के शरीर से मांस निकाले जाते हैं। वह कभी-कभी इस तरह से बैडरिडन हो जाते हैं। निश्चित तौर से यह एक ऐसा अवसर है

कि हम इस पर चिंता करें। मंत्री जी जब भी रिस्पांड करें तो यह जरूर बताएं कि उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न पर हम आगे कौन सा कदम उठाएंगे? इसकी चिंता केवल भारत ने ही नहीं की है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व सैक्रेट्री जनरल कोफी अन्नान ने भी कहा कि - "Violence against women is perhaps the most shameful human rights violation and perhaps the most pervasive."

मतलब कि इसको कोढ़ माना है। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा क्रूएल क्राइम नहीं हो सकता है। इस क्राइम के लोगों को बंग्लादेश में लाइफ इंप्रिज़नमेंट ही नहीं है, बल्कि उनको कैपिटल पनिशमेंट की सजा दी जाती है। हम इस तरह के लोगों को हतोत्साहित करने के लिए क्या करेंगे? अगर एसिड विक्टिम की मौंत नहीं भी होती है तो वह एक तरह से जिंदा लाश ही है। ऐसे काम करने वाले लोगों के लिए हम कठोर सजा का प्रावधान करें, जिससे दूसरे लोग सबक ले सकें और इस तरह की घटनाएं न हों। मैं समझता हूँ कि इससे प्रभावित जो लोग हैं, आप The Indian journal of Plastic surgery of 2007 इसमें 7 लाख 80 हज़ार बर्न की इंजरी थीं। पहले तो एसिड के जो विकटिम होते थे, इनको बर्न इंजरी भी माना जाता था। इनके लिए पीनल कोड में अलग से न कोई सजा थी और न इनको कोई अपराध माना जाता था। मैं समझता हूँ कि इसीलिए इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। यहां तक कि कार्नल लॉ स्कूल की भी जो रिपोर्ट है, एसिड वॉयलेंस 2012 में भी इस पर चिंता जाहिर की गई है। मैं समझता हूँ इन चीजों को देखते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम जो इनको कंपनसेशन का प्रावधान है उस पर ध्यान दिया जातना चाहिए। हम लक्ष्मी के अटैक को देख सकते हैं कि जब Lakshmi was only 16 years old. जिस तरह से एसिड उसके चेहरे फेंका गया और कहां फेंका गया? देश की राजधानी दिल्ली के खान मार्केट में फेंका गया। यह सन 2005 की घटना है। अज भी यादें ताजा हो जाती हैं। अगर देश की राजधानी दिल्ली के खान मार्केट जैसे इलाके में छोटी बहन लक्ष्मी के चेहरे पर तेजाब फेंका जाता है, तो इससे ज्यादा चिंताजनक बात और क्या हो सकती है?...(व्यवधान) मैं अंत में यही कहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसका कंप्लाइयंस किया जाए और इस संबंध में और कठोर दंड बनाया जाए। और जो आज कानून है उसको राज्य सरकार लागू कर सके। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रो. सीगत राय (दमदम): महोदय, मैं पहले तो किरिट भाई सोलंकी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे यह बिल लाए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमती अनुप्रिया पटेल को, जो अपना दल की नेत्री हैं कि उन्होंने इसे अच्छे ढंग से हम लोगों को समझाया। इस समस्या के दो ही कारण हैं। एक तो है एसिड मतलब क्या, अनुप्रिया जी ने बताया कि तीन ही एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड (एचसीएल), नाइट्रिक एसिड (एचएनओ३)और सत्प्य्यूरिक एसिड (एचटूएसओ4)। कभी-कभी सोना को डिजॉल्व करने के लिए एक्वा रेजिआ की जरूरत होती है। वह नाइट्रिक एसिड और हाइड्रो क्लोरिक एसिड का मिक्स्चर है। इन तीनों एसिड का क्या इफेक्ट होता है, जब यह आदमी की चमड़ी पर लगता है, पहले तो आँख जाती है, फिर लोगों का पूरा मुँह डिसफिगर्ड हो जाता है। The effect is the same as a burn injury. बर्न में जो होता है, वही एसिड अटैक से होता है। एसिड अटैक क्यों होता है? एसिड अटैक की वजह यह है कि जो विक्टिम है, कभी वह जानती भी नहीं है कि क्यों उस पर एसिड डाला गया। कोई एक लड़की होती है, शायद देखने में अच्छी है, दूर से कोई उसको प्यार करते हैं, लड़की यह जानती भी नहीं है, वह देखती भी नहीं है, अचानक वे आकर उसे एसिड मार देते हैं। उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। यह तो एसिड अटैक विक्टिम के लिए मरकर जीना है। मैं बहुत ही आभारी हूँ, किरीटभाई सोलंकी जी का, वे स्वयं अहमवाबाद के बहुत अच्छे सर्जन हैं, वे इस समस्या को सामने लाए हैं।

हमारे देश में भी संगठन है, एसिड अटैक सर्वाइवर्स एसोसिएशन है। हमारे कोलकाता में हेमंत कनोरिआ नामक एक बिजनसमैन हैं, उन्होंने बताया कि सारी दुनिया में लंदन बेस्ड इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन है, जो एसिड अटैक को लेकर चर्चा करते हैं कि इसके लिए क्या कदम उठाये जाएं, वे इसे देखते हैं। एसिड अटैक की संख्या कोई कम नहीं है। वर्ष 2011 में वीमेन विक्टिम की संख्या 98 थी, वर्ष 2012 में 101 थी, वर्ष 2013 में 80 थी, वर्ष 2014 अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसकी फीगर नहीं मिली हैं। मैं देखता हूँ कि सबसे ज्यादा घटनाएं हरियाणा में हुई हैं। हरियाणा में वीमेन विक्टिम की संख्या वर्ष 2011 में 10 थी, वर्ष 2012 में 5 थी और वर्ष 2013 में 13 थी। यह महिलाओं पर आक्रमण करने का एक रास्ता है।

महोदय, आपको याद होगा कि दिल्ली में निर्भया पर अत्याचार होने के बाद इस सदन में हम लोगों ने इसके बारे में काफी चर्चा की थी। जस्टिस जे. एस. वर्मा ने एक रिपोर्ट दी, वह बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, जिसके बेस पर महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ एक बहुत कड़ा कानून बनाया गया। लेकिन उसमें एसिड अटैक के बारे में स्पेसिफिक प्रोविजन्स नहीं थे। उसमें यह मेंशन था कि कोरोसिव सब्सटेंस इस्तेमाल होने पर क्या करेंगे? किरिट भाई सोलंकी जी के बिल में तीन भाग हैं। एक यह है कि कैसे एसिड की सेल

को कन्ट्रोल किया जा सकता है? एसिड रखने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। तेजाब बेचते समय उसका पूरा रिकार्ड होना चाहिए। तेजाब की जरूरत आम जनता को नहीं होती है। तेजाब को दो ही कामों में इस्तेमाल किया जाता है। स्कूल की प्रयोगशाला में या कालेज की प्रयोगशाला में या सोने का काम करने वाले ज्वैलर्स इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि सोना बहुत हार्ड मैटीरियल है। मैं समझता हूं कि कड़े कानून से एसिड का सेल कंट्रोल किया जा सकता है।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. सीगत राय: महोदय, मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। हाउँस में माननीय सदस्यों की संख्या बहुत कम है, इसलिए दो-चार बातें बोलना चाहता हूं। डॉ. सोलंकी ने बताया है कि जिस पर एसिड अटैक होता है, उसके इलाज का पूरा खर्चा केंद्रीय सरकार देगी, इसके लिए अलग फंड बनाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो एसिड विकटिम है, उन्हें हैंडीकैप के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। जैसे डिसेबल्ड लोगों के लिए आख्राण रखते हैं या अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, वैसे ही इन्हें भी दी जाएंगी। महोदय, यह बहुत धिनौना अपराध है। मैं तो इसके बारे में सुन भी नहीं सकता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यह अच्छा होगा कि जनता अपने हाथ में कानून ले और मुजरिम को पकड़ कर सज़ा दे। मैं सदन में खड़ा हो कर लोगों को नहीं कह सकता कि वे कानून को अपने हाथ में ले, लेकिन अपराधी इसी के लायक हैं।

एसिड अटैक के बारे में अगर कहा जाए तो इंसान जानवरों से भी घटिया काम करते हैं। एसिड अटैक से एक लड़की के चेहरे को पूरा खराब कर दिया जाता है। मैं सोच ही नहीं सकता कि कैसे एक व्यक्ति प्लान करके एसिड खरीदते हैं, कहीं खड़े हो कर लड़की का इंतजार करते हैं और नज़दीक आ कर लड़की के मुंह पर तेजाब फेंक देते हैं। यह बहुत ही खराब, घटिया, नीच बात है। ऐसा हमारे देश में होता है, जहां हम महिलाओं का सम्मान करने की बात कहते हैं। हम कहते हैं - जयन्ती ,मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री, नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा, काली सभी हमारी देवी माँ हैं। हम कहते हैं कि Soti-Savitri, Konnya, Bidushi, Moitravee, Khana, Lilabati, Bohubirobala, Briendraprasuti, amra taderi sontoti. इतनी बड़ी-बड़ी महिला हस्तियां हमारे देश में पैदा हुई हैं और उन्हीं महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। मैंने अमेंडमेंट तो नहीं दिया, लेकिन सोलंकी साहब ने कहा है कि आईपीसी में अमेंडमेंट करके एसिड अटैक के लिए आजीवन कारावास होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि इसके लिए मृत्यु दंड होना चाहिए। इस अपराध से बचने का किसी तरह का भी कोई अधिकार कानून में नहीं होना चाहिए, जो एक लड़की को बर्बाद कर देता है। Nobody shall be deprived of his life and liberty without the due process of law. यही तो हमारे

संविधान में लिखा है। ऐसे अपराध के लिए फांसी होनी चाहिए। हम कड़े कानून बनाते हैं, जिससे कि लोग अपराध करते समय डर जाएं और अपराध न करें। हमने रेप के खिलाफ कड़ा कानून बनाया। फिर भी दिल्ली शहर में एक टैक्सी ड्राइवर ने एक शिक्षित महिला का रेप किया। हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्या किया जाए, जिससे कि लोग अपराध करते समय डरें।

मैं एक बार किसी जेबकतरे से मिला। उसने कहा कि मैंने पाकेटमारी छोड़ दी है। मैंने उससे इसका कारण पूछा, तो उसने बताया कि एक बार उसके सामने एक पाकेटमार को लोगों की भीड़ ने पीटा और उसकी मृत्यु हो गई। उसने कहा कि मुझे ऐसे नहीं मरना है, इसलिए उसने यह काम छोड़ दिया। लोगों के मन में डर आना चाहिए कि जो एसिड अटैक करते हैं, ऐसे अपराध की कोई माफी नहीं होगी।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. सौगत राय: आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एसिड अटैक के विकटिम्स के पक्ष में हम सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए और किरीट जी को बधाई दें।

माननीय सभापति : अच्छी हिंदी बोलने के लिए आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

17.00 hrs.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा): माननीय सभापति जी, मैं डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा जो एसिड (नियंत्रण) विधेयक लाया गया है, इसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त करती हूं।

महोदय, हमारे यहां तेजाब काफी समय से महिलाओं पर हमले का आसान हथियार बन चुका है। देश भर में हर साल इस तरह की करीब एक हजार घटनाएं होती हैं। लड़िकयों पर तेजाब फेंकना लगातार जारी है, जिससे आज भी कई महिलाएं पीड़ित हैं।

मेरी साथी सदस्या अनुप्रिया जी ने भी कहा और अन्य सम्मानित सांसदों ने भी अभी कहा कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को तेजाब की बिक्री पर नियंत्रण करने और तेजाब की सुलभ उपलब्धता को कम करने के लिए रिट याचिका संख्या 129/2006, लक्ष्मी बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के परिणामस्वरूप दिनांक 30 अगस्त, 2013 को लोगों पर तेजाब से हमले को रोकने और बच जाने वाले पीड़ितों के उपचार एवं पुनर्वास के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में हाल ही में एक परामर्शी पत्र जारी किया है। विभिन्न इलाकों में अब तक दो सौ से ज्यादा ट्रेडर्स के यहां छापेमारी हुई है। गाइडलाइन के मुताबिक सरकार एसिड ट्रेड को नियंत्रित करने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं इस एसिड अटैक के मामले में मुआवज़ा दिए जाने के कई मामले आज भी लम्बित पड़े हैं।

एसिड के प्रयोग पर एसिड के हमलों की चर्चा नहीं की गयी है। इस अटैक में जो लोग बच गए हैं, उनकी उम्र ग्यारह वर्ष से 45 वर्ष के करीब है। पिछले पन्द्रह वर्षों में इसके हमले दो सौ तक रिकॉर्ड किए गए हैं। इसमें 76 घायल महिलाओं की उम्र 21 से 30 वर्ष की है। जो घायल हैं, उनमें 70.2% महिलाएं हैं। इससे प्रतीत होता है कि हमारा लॉ एण्ड ऑर्डर महिलाओं के प्रति पूरी तरह से जागरूक नहीं है।

माननीय सभापित जी, तेजाबी हमले से घायल महिलाओं का जीना मुहाल हो जाता है। वे समाज के कट कर जिन्दगी काटने को मजबूर हो जाती हैं। एसिड पीड़िता के साथ हमारा यह समाज ऐसा व्यवहार करता है मानो वह अपराधी हो। इसका परिणाम होता है कि दुःख, चिंता व हीन भावना के कारण वह अवसाद में डूब जाती है। हमारे समाज की यह विडम्बना है कि एसिड पीड़ित से सहमित जताने के बजाए हम सभी उनको एक अपराधी की तरह देखते हैं, जबिक इस सब में उनका कोई हाथ नहीं होता। दिल्ली लीगल सर्विस स्कीम के मुताबिक जिनका फेस तेजाबी हमले से जल गया हो, उन्हें तीन से सात लाख रुपये, जो पचास प्रतिशत तक जल गए हों, उन्हें पांच से सात लाख रुपये, और तीन से पांच लाख रुपये उन पीड़िताओं को दिए जाते हैं जो पचास प्रतिशत से कम जली हो। इस बढ़ती महंगाई और प्लास्टिक

सर्जरी पर होने वाला खर्च इससे भी कहीं ज्यादा पड़ जाता है। इस मुआवज़े में इज़ाफा किया जाना चाहिए ताकि पीड़ित की देखरेख व उसका इलाज़ अच्छे से हो सके।

पिछले साल 18 जुलाई को देश की सर्वोच्च अदालत ने केन्द्र और सभी राज्य सरकारों को तेजाबी हमले की शिकार महिलाओं के पुनर्वास के लिए नियम और कानून बनाने का आदेश दिया था। इस आदेश को आए एक साल से भी ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अब तक ज्यादातर राज्य सरकारों ने इसे माना नहीं है। राज्य सरकारों को चाहिए कि तेजाब पीड़ितों को मुफ्त इलाज़ से लेकर उनका मनोवैज्ञानिक उपचार करें और उन्हें नौकरियों में भी प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें तेजाब पीड़ितों के प्रति अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। पीड़िताओं के प्रति सरकार और समाज, दोनों को मानवीय रूप अपनाना चाहिए।

सभापित जी, मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहती हूं। (1) एसिड पीड़ित को पूरा न्यायिक सपोर्ट देना चाहिए। (2) हमला पीड़ितों के प्रित पुनर्वास नीति बनानी चाहिए। (3) पीड़िताओं के लिए मुफ्त इलाज़ की व्यवस्था की जानी जरूरी है। (4) जहां कहीं पर, जैसे अभी कहा कि अस्पताल आदि में एसिड का इस्तेमाल होता है, वहां पर उसकी निगरानी की जानी चाहिए। (5) तेजाब पीड़िता को मनोवैज्ञानिक उपचार और जैसा मैंने अभी कहा कि उन्हें नौकरियों में प्राथमिकता देनी चाहिए। तेजाब की सुलभ बिक्री और उपलबधता पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए। तेजाबी हमलों के शीघ्र न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाए जाने चाहिए।

सभापति जी, मैं दरख्वास्त करती हूं कि <u>किमिनल इंज्यूरिज़ कॉम्पेनसेशन एक्ट नामक लॉ</u> बनाया जाए, इस विधेयक को पारित किया जाए जिससे इससे पीड़ित कई महिलाओं को न्याय मिलेगा।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): सभापित महोदय, मैं सबसे डॉ. किरीटभाई को हृदय से धन्यवाद दूंगा। मैं किसी भी बात को रिपीट नहीं करूंगा जो इस सदन में आ गयी हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हत्यायें चाहे कोई व्यक्ति करे या कोई आतंकवादी संगठन करे, देश में जब गिनती की जाएगी, तो उनकी संख्या ज्यादा होगी, जबिक यह संख्या बहुत मामूली है, एक साल में सौ। जब हत्या होती है तो कोई व्यक्ति मरता है। जब किसी के ऊपर एसिड गिरता है तो पूरा जीवन वह तिल-तिल कर मरता है और उसका परिवार भी उसके साथ भोगता है। इससे कहीं ज्यादा जो गंभीर बात है, सौगत राय जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वास्तव में जो ये हमारी वीभत्स प्रवृत्ति और क्रूरता है, जिसके चलते-फिरते आइने हैं। अगर सौ लोग भी एक साल में इसके शिकार होते हैं, समाज के सामने हमारी बहन-बेटी या जो भी हो, उसके साथ अपराधियों की तरह बर्ताव होता है। यह वीभत्स और कुरूत सामाजिक मनोरोग का जीवंत प्रमाण है। मुझे लगता है कि इस पर विचार होना चाहिए।

में आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा, चूंकि राज्य का विषय मानकर इसे राज्य पर छोड़ दिया गया। केन्द्र इस पर सीधे कानून नहीं बना सकता है। इसके दो हिस्से किए जा सकते हैं। एसिड के रख-रखाव पर जो व्यवस्थायें देनी हैं, उसे राज्य सरकार सुनिश्चित करे। सरकार ने इसे संज्ञान में लिया है। चिकित्सीय आधार पर हमसे ज्यादा अनुभव रखने वाले डॉ किरीट हैं, उन्होंने अपनी बात ईमानदारी के साथ कही है। कम से कम इस बात का भारत सरकार को जरूर मूल्यांकन करना चाहिए, कानून हो या न हो, कि अगर साल में सौ पीड़ित हैं, तो उनके इलाज का पूरा प्रबंध भारत सरकार कर सकती है। किसी ने इसकी अगुआई की हो या न की हो। कोई भी घटना अगर हमारे सामने आती है, राज्य सरकार उसमें पहल करे या न करे, अगर कहीं हिस्सेदारी भारत सरकार की होगी तो शायद उसके पुनर्वास का रास्ता निकल सकता है, वरना वे पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, उनको न्याय मिलने वाला नहीं है।

मैं दो-तीन बातें कहूंगा। मैंने जो वीभत्स चेहरे की बात कही है, यह संस्कारों का परिणाम जिसको हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तौर लें, कानून इसका रास्ता नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में मैं मानता हूं कि आज हमारे पास में कुछ नहीं है, लेकिन कोई एक केन्द्र जरूर होना चाहिए। या तो आप पैसा दें या उसके उपचार की गारन्टी दें कि इस जगह पर जाएंगे तो आपको उसका उपचार मिलेगा। असेसमेंट करने का काम चिकित्सक कर सकते हैं।

पीड़ित की श्रेणी, जो भी इससे प्रभावित होता है, बिना इसकी परवाह किये हुए अगर हम उनको विकलांगता की श्रेणी में लाकर रख देंगे, तो शायद रीहैबिलिटेशन में उनको ज्यादा मदद मिल सकती है। मैं रीहैबिलिटेशन के पक्ष की बात कर रहा हूँ। जो हमारे स्थापित कानून हैं, मैं बांग्लादेश का उदाहरण देकर

किसी कानून की सिफारिश करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यह सच है कि जो हमारे ऊपर दाग है, अगर उसे दूर करना है तो इसके बारे में हमें कोई सख्त तरीका अपनाना पड़ेगा। राज्य सरकारें अगर नहीं मानती हैं और उसके अलावा उन अपराधियों को सजा नहीं मिलती है, जो हमारी बहन ने सुझाव दिया है कि फास्ट ट्रैक कम से कम इतने मामलों में तो बन सकते हैं, यह कोई बड़ी संख्या नहीं है। इसकी समय-सीमा भारत सरकार तय कर सकती है।

तीसरी बात आती है कि जो विक्रय है, उसके तरीके पर जरूर जो विचार आये हैं, उनका अनुपालन राज्य सरकारें कड़ाई के साथ करें, अन्यथा कोई नया अध्यादेश भारत सरकार को लाना चाहिए। वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ, राज्य उसे कितना मानते हैं, उस पिरप्रेक्ष्य में न जाकर, क्योंकि, हम फेडरल स्टेट को मानने वाले लोग हैं। सामाजिक बहिष्कार को इस देश में स्वीकार नहीं किया जाता, वरना ऐसी घटनाओं पर वह बड़ा कारगर तरीका था। सौगत राज जी तो उससे आगे जाने की बात कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। इसके कम से कम दो हिस्से हो सकते हैं, जो मैंने अभी अपनी बात कही है। रख-रखाव के नियम, नीति, न्यायालय विषय राज्यों के ऊपर भले ही छोड़ दिये जाएं, लेकिन कम से कम पीड़ित की श्रेणी, जो विकलांगता हो, जो उसे मुआवजा देने का तरीका है, वह भारत सरकार अपने हाथ में ले सकती है और उसके पुनर्वास का रास्ता तय कर दे तो मैं समझता हूँ कि ये आन्दोलन करने के लिए जंतर-मंतर पर नहीं जाएंगे।

जो आंकड़ा सौगत राय जी बता रहे थे, वह इस साल 100 के भीतर है। मैं नहीं समझता कि भारत सरकार इसका रास्ता नहीं निकाल सकती। मुझे लगता है कि यह वीभत्स चेहरा एक सुन्दर स्वरूप ले सकता है। मैं विश्वास करता हूँ कि इस सरकार के रहते यह सुन्दर चेहरा समाज और दुनिया के सामने आयेगा।

मैं किरिट भाई को फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सभापित महोदय, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra – Not present.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I stand here to support the Acid (Control) Bill that has been moved by Dr. Kirit Premjibhai Solanki Ji.

Here, I would like to mention that acid attack is one of the most abominable acts of violence against women. There can be no two opinions about how the perpetrators of this heinous crime should be treated. Acid attack is nothing but an attempt to murder, and it is done to inflict grievous injury. Countries like Bangladesh, where acid attackers face death penalty, have shown that strict laws do act as a deterrent. However, for acid attack victims, whose life has been devastated, disfigured and maimed both physically and psychologically, true justice also includes suitable compensation. Here, I would just like to read the news about two incidents.

"Preeti Rathi, our eldest child, was quiet, unassuming and hard working. She was good in studies and extra curricular activities. Her dream was to get a good Government job. So, when the appointment letter from the Ministry of Defence reached us on March, 28, in 2013, Preeti was thrilled. We were excited. Of the 15,000 applicants for the job, only 500 were selected. It was a big achievement for Preeti. The letter said that Preeti had been selected for Short Service Commission in the military nursing service and that she must report to the Commandant of the naval hospital, Asvini in Colaba, Mumbai on May 15. In the last week of April, Preeti received a letter from INHS, Asvini. Please read the letter below."

What happened? When she was going in the platform to board the train, an unidentified and unknown person threw acid on her. Repeatedly, she asked this question till her death. She was just asking, 'why?'. That question is still reverberating whenever somebody thinks about that girl child of that poor family. Why was she attacked? She was not known to the person who threw that acid on her. She had no connection with that person.

Wherever we come across such incidents that are occurring throughout this country, at least there is some one-sided love affair or somebody wants to take revenge on someone or somebody is not pleased with the behaviour of someone, then there is acid attack. But here is a case where she had been attacked by an unknown person who has been apprehended because the CCTV camera was there in the railway station. At least, that fellow was identified. He has been prosecuted.

The prosecution should be done as has been mentioned by our learned friend. One thing which I appreciate very much, other than what other Members have already spoken, is that in clause 9, he says, "In all trials for offences under this Act, the Magistrate shall follow the procedure prescribed in the code of criminal procedure 1973 for the trial of summary cases." It should not take long. It should be a summary trial. With a definite timeframe, the prosecution should take place and conviction should also be announced.

I think there is a need--and I would suggest here--to also go into the Evidence Act. In the Evidence Act, I think there is a need to bring in some provision. I think the mover of this Bill will respond to my query. In the Evidence Act, there is a need also to make a little bit of correction relating to acid attack. Some provision also needs to be taken cognizance when we talk about acid attack because ultimately it is the evidence which will follow for prosecution and conviction.

When this Bill was listed for discussion, some lady Members of our House asked me, "Who are the victims of acid attacks?" I would say that 99 per cent are women. Hardly any male person is a victim.

In that respect I would say that it is high time, when a grievous incident of this nature is occurring and is becoming rampant, first is to control the availability of acid and second, whoever is purchasing or utilizing it, its purpose and record should be maintained. Once this incident occurs, immediately, who has sold it, who has bought it, both the things can be verified as quickly as possible so that the culprit can be apprehended and summary trial also can be done.

I would also agree with what Prof. Saugata Roy just now mentioned. This is a heinous crime and should be punishable by death penalty. As law makers, all of us know that by framing law or by making law, you do not curtail crime but this has happened in Bangladesh.

We have two types of jurisprudence prevalent in our country. One is French jurisprudence by which the dowry law is maintained. The second is British Jurisprudence that until and unless someone is proved guilty, he cannot be pronounced a guilty person. But, in that respect, I would say that death should be the penalty for culprits, who are indulging in this type of grievous incidents.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): सभापित महोदय, आपने मुझे इस बिल पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। एसिड कंट्रोल एक्ट, 2014 कुछ ऐसे नियम बना रहा है जो किसी और स्थिति में उपलब्ध है। कोई पीआईएल के माध्यम से, गृह मंत्रालय की एडवाइज़री के माध्यम से बना रहा है। लेकिन यह एक अनिवार्य कार्य के रूप में मुझे दिखाई देता है। एसिड अटैक एक बहुत ही सीरियस विषय है, खास तौर पर सिविल सोसाइटी और बहुत सारे देशों में इसके लिए कई कानून बने हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बंगलादेश जैसा देश जहां सबसे अधिक अटैक होते हैं, उसके बाद कम्बोडिया, नाइजीरिया, जमाइका और पाकिस्तान आदि ऐसे देश हैं जहां एसिड अटैक बहुत ज्यादा होते हैं।

<u>17.19 hrs.</u> (Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

में माननीय सदस्य की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इन मामलों में डैथ पैनल्टी का प्रोविजन होना चाहिए क्योंकि मैंने उन बिच्चयों, महिलाओं को बहुत नजदीक से देखा है जिनकी शक्त न केवल बिगाड़ दी जाती है बिल्क लाइफ अफैक्टिंग मकैनिज़्म, जैसे सांस लेने के लिए नाक का न होना, उसे पूरी तरह से गला देना। निर्भया कांड के बाद इसी संसद द्वारा कानून में बदलाव लाया गया कि लाइफ ऑल्टिरेंग सरकमस्टांसेज़ जहां पाया जाएगा, वहां डैथ पैनल्टी होगी कि रेप हुआ और उसके बाद महिला की अंतड़ी निकाल दी गई, हाथ काट दिए, पांव काट दिए। ऐसे तमाम कामों में डैथ पैनल्टी का प्रोविजन होगा क्योंकि आप किसी के जीवन की स्थिति बिगाड़ देते हैं कि वापिस उसकी लाइफ नार्मल रैस्टोर नहीं कर पाते। इसलिए मुझे लगता है कि डैथ पैनल्टी के बारे में अनिवार्यता के रूप में संसद को विचार करना चाहिए। साथ ही यह बिल एक कदम आगे है क्योंकि इस हादसे के बाद क्या हो, उससे हटकर यह सोच है कि हादसा होने से पहले कैसे रोका जाए। It is like nipping the problem in the bud by stopping the sale of acid itself before there is a chance for a perpetrator to buy it without restriction for a victim to suffer from the consequences of such deranged behaviour.

The preventive steps before the commission of the crime जो बिल के प्रावधान हैं, उसमें एक कंट्रोलर ऑफ एसिड का अपॉइच्हों है, जो एसिड की खरीद-फरोख्त है, उसको केन्द्रीकृत तरीके से देखा जाए, केन्द्र सरकार उसको बैने भी कर सकती है, जो अनऑथराइज्ड तरीके से एसिड या ऐसा खतरनाक पदार्थ बेच रहा हो। ऑथराइज्ड डीलर वह व्यक्ति होगा, जिसको मेंशन किया जाए कि ऑथरिटी क्या है, कानून के तहत उसके पास पूर्व ऑथराइजेशन है या नहीं? पैनल्टी उसमें तीन साल की हो और कम से कम पचास हजार रुपये का फाइन हो, या दोनों हो।

As regards presumption of possession, the assumption that there will be an accused that has committed an offence unless proven otherwise. हिन्दुस्तान में रेप केसेज में लॉ ऑफ प्रिजम्प्शन का इस्तेमाल होता है। अगर मेडिकल एविडेंस उपलब्ध नहीं है, तब भी दूसरे व्यक्ति को बताना होगा कि ऐसा ऑफेंस नहीं हुआ है, या प्रिजम्प्शन अपराधी के खिलाफ तय हो कि उसके पास से अनऑथराइण्ड तरीके से एसिड का पोजेशन पाया गया है, यह जिम्मेवारी भी उसी व्यक्ति की है।

इसी तरीके से vexatious search and seizure, any officer going beyond the necessary bounds for search and seizure of acid can be fined up to Rs. 20,000. This will not be an impediment in officers remaining alert to any offence under the Act and in preventing attacks on mere suspicion.

Section 166 of the IPC provides that any public or private hospital, which denies treatment to victims can be penalised and the penalty is up to 1 year, and that invocation must happen. Acid attack is described in Section 326 A, and punishment is up to 10 years. Here, when we are looking at amendments to this particular section, the imprisonment could also be increased to death penalty in case it is a life-altering event. I believe that multiplicity of laws need to be avoided, and the provisions should be brought at one single place.

Sir, I will request a little more time because certain suggestions need to be made, and the suggestions are in the nature of practical aspects. As my learned friend said that law is one aspect, which we, as Parliamentarians, can pass, but it is the implementation that brings change in a social set-up. The basic problem with acid attack victims is that their body is so badly disfigured that they have to undergo multiple surgeries. So, the hospitals need to be sensitized. Further, there are no skin banks in India. So, we need to work on skin banks, and this should be an instruction to the Ministry of Health that we need to work on skin banks for grafting processes.

The other suggestion, which I very sincerely wish to make is that the compensation amount, which was said to be up to Rs. 3 lakh be increased up to

Rs. 10 lakh because the grafting processes and rehab processes cost a lot of money. The burden should be shifted on to the State Governments also because I have seen cases coming from Bihar, West Bengal and several other States where even when the girls are coming for treatment to a place like Safdarjung Hospital -- because that is the only hospital, which is treating burn cases in Delhi -- they do not give accommodation. Those girls are mostly coming from very impoverished and poor homes. The State homes are not giving them AC facility, and they need to be placed in AC atmosphere while they are undergoing treatment. Perhaps, this instruction could be passed on to the States.

Sir, just one line more, and I must put this forth. I would like to mention about pressure garments. Pressure garments are garments, which these girls need to wear during their disfigurement treatment. These pressure garments come from outside the country, and there is a very heavy Excise and Customs Duty on these garments.

The Government must look at that aspect also. From graft to pressure garment, increasing the compensation and setting up of the Boards is something I would recommend. Thank you.



श्री ह्क्मदेव नारायण यादव (मध्बनी): उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। कई माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये हैं। मैं उन सुझावों की ओर न जाते हुए यह कहना चाहूंगा कि इस देश में स्कूलों में संस्कारित करने वाली शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया और कहा गया कि ऐसी शिक्षा देना साम्प्रदायिकता है। जब हम चौथी-पांचवीं क्लास, यानी मिडल क्लास तक पढ़ते थे तब रहीम, रसखान, कबीर के दोहे, जो मनुष्य के चरित्र का निर्माण करते थे, संस्कार देते थे, उसे मानवीयता के गुणों से परिपूर्ण करता था, उन सबको छोड़ दिया गया। अब ऐसा पढ़ाया जाने लगा है, जिससे उसके हृदय में मानवीयता नहीं रहती। समाज को केवल भौतिकता और भौतिकवाद की ओर मोड़ने का काम हुआ है। ऐसे उपद्रव या आक्रमण इसलिए होते हैं, क्योंकि उसके हृदय में मानवता नहीं है, मानवीयता नहीं है। ऐसे लोगों में मानवीयता और मानवीय गुण कैसे आयें, यह हमें देखना होगा। एक, इसके लिए शिक्षा में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। दूसरा, इस तरह के अपराध करने वाले लोग दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। वे मनुष्य कभी नहीं हो सकते। उनकी प्रवृत्ति और प्रकृति ही बिगड़ जाती है। ऐसे लोगों को सजा के द्वारा ही सही किया जा सकता है। बिना दंड के भय से समाज रुकता भी नहीं है। साम, दाम, दंड विभेदा। यह जो दंड का प्रावधान है, उसे भी सख्त किया जाना चाहिए। इस तरह के अपराध करने वालों को आजीवन कारावास दिया जाये या मृत्यु दंड दिया जाये। उसके साथ-साथ ऐसे अपराध करने वाले की सारी सम्पत्ति जब्त कर ली जाये और पीड़ित के इलाज में जो भी खर्च हो, वह उससे वसूल किया। तीसरी बात यह है कि सरकार किस बात के लिए है, चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी एक पर जिम्मेदारी न देते हुए यह करना चाहिए कि पीड़ित के इलाज में जो भी खर्च हो, उसे सरकार खुद उठाये।

अंत में, मैं कहूंगा चाहूंगा कि तेजाब की बिक्री पर नियंत्रण हो और प्रतिबंध लगे। उस पर ठीक से कोई कानून बने जिससे लोग तेजाब न ले जा सकें। अगर कोई तेजाब ले भी जाये, तो दुकान पर उसका पता रहना चाहिए, जिससे मौका लगने पर उसे खोजा भी जा सके। अगर हम इस तरह के प्रोविजन्स करेंगे तो एसिड अटैक को रोका जा सकता है।

महिलाओं के संबंध में भारतीय संस्कृति की एक परम्परा रही है। हम उनकी पूजा, आराधना करते हैं, उसके बावजूद भी यह अपराध हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारी अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, आचार-विचार, व्यवहार या हमारी पूर्वजों द्वारा जो परम्परा बनायी गयी है, उसमें मेरी आस्था नहीं है। भारत में अपराध बढ़ने का एक और कारण है कि हिन्दुस्तान में जब से भारतीय संस्कार में कमी आने लगी है और हम पाश्चात्य संस्कार के कारण भौतिकवादी होने लगे हैं तब से हमारी इस भौतिकवादी मनोवृत्ति ने समाज को विकृत किया है। इस भौतिकवादी मनोवृत्ति से समाज को निकाला जाये और बचपन से ही बच्चे को

संस्कारित किया जाये। उसे शिक्षा भी इस तरह से दी जाये, जिससे उसके संस्कार बनें। वह मानव को मानव समझे, उसके हृदय में मानवीयता आये, आध्यात्मिक गुण आये, आत्मा का बोध आये। इससे उसका चरित्र बदलेगा, प्रकृति बदलेगी, प्रवृत्ति बदलेगी। इन सबको अगर हम समग्रता से सोचेंगे तो कोई निदान निकाल सकता हैं। धन्यवाद।

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत ही गंभीर विषय पर बहस चल रही है। सबसे पहले मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने गंभीर विषय को सदन के पटल पर रखा है। वे बहुत अच्छा प्राइवेट मैम्बर बिल लेकर आये हैं। यहां पर माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं। मैं देख रहा हूं कि उन्हें माननीय सदस्यों से जो सजेशन्स मिल रहे हैं, उन्हें वे नोट भी कर रहे हैं।

हमारे देश में औरत को देवी माना गया है। हमारे देश में औरतों के सम्मान को लेकर बहुत बड़ी बातें होती हैं लेकिन ये सब सिर्फ चर्चा तक सीमित रह जाती हैं। सरकारी बसों पर लिखा रहता है - दुल्हन ही दहेज है। मेरे ख्याल में सिर्फ इतना लिखने से दहेज की समस्या सॉल्व नहीं होगी। दीवारों पर लिखने से काम नहीं होगा, चर्चा करने से काम नहीं होगा, यह काम तभी होगा जब इस पर अमल किया जाएगा। ये बातें सिर्फ डिबेट तक न रह जाएं, सिर्फ चर्चा तक सीमित न रह जाएं इसलिए इस निए प्रावधान करना होगा। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करते हुए सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। हमें अपनी सोच बदलने की भी जरूरत है। एक लड़की ने अगर शादी से मना कर दिया या वन साइडिड लव हो गया, तो घटना हो जाती है। पंजाब में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। मुझे याद है आज से छः-सात साल पहले की बात है। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की दो लड़कियां रिक्शा में शॉपिंग करके जा रही थीं, अगले दिन एक की शादी थी। जो लड़का उससे शादी करना चाहता था, मोटरसाईकिल पर आया और दोनों बहनों पर तेज़ाब फंक दिया। अगले दिन जब मैंने अखबार पढ़ा तो में अमृतसर के अस्पताल में गया। मैंने उस लड़की की जो हालत देखी थी, उसे मैं बयान नहीं कर सकता हूं। मैं सदन के माध्यम से उस लड़के को जरूर बधाई देना चाहता हूं जिसकी उस लड़की से शादी होनी थी, वह लड़का मना भी कर सकता था लेकिन उसने कहा कि अगर एक दिन बाद अटैक होता तब यह मेरी वाइफ होती और उस लड़के ने अस्तपाल के बैड पर उस लड़की से शादी की।

अभी मुरेंडा अटैक हुआ था। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह लड़की का स्टेटमेंट जरूर पढ़ें जो मेरे पास है। इसमें सज़ा बहुत कम मिली है। तेज़ाब अटैक से लड़की की दोनों आंखें चली गईं। उस लड़की ने कहा है- यह तो दो-चार साल बाद बाहर आकर अपनी जिंदगी जी लेगा लेकिन मैं तो हर रोज मर रही हूं। मेरा कहना है कि हत्या में तो मौत हो जाती है लेकिन तेज़ाब अटैक में हर रोज मौत होती है। यह बहुत ही घिनौना जुर्म है इसलिए इसे मर्डर के बराबर मानना चाहिए। इसका मुआवजा मर्डर के बराबर मानना

चाहिए। औरत को खूबसूरती भगवान ने दी है, एसिड अटैक से खूबसूरती बिगड़ने पर भले ही महिलाएं जिंदा रहती हों लेकिन मानसिक तौर पर उनकी मौत हो जाती है। मैं राजनीतिक और पार्टी लैवल से ऊपर उठकर इस बिल का स्वागत करता हूं। हम सिर्फ सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं हैं, हम आपकी तारीफ भी करेंगे अगर आप ऐसे काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि महिलाओं की रक्षा के लिए इस बिल को पास करें और सख्त से सख्त कानून बनाएं। धन्यवाद।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) :माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं डॉ. किरीट पी. सोलंकी द्वारा लाए गए एसिड विधेयक, 2014 का समर्थन करता हूं। यह विधेयक निश्चित तौर पर विचार योग्य है। एसिड हमले से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं के अलावा अन्य लोगों पर एसिड फेंका जाता है जिससे जीवन बहुत कठिन हो जाता है। मैं इस विषय पर सदन में कहना चाहता हूं कि ऐसे विषैले पदार्थ बिक रहे हैं जिसे खाकर बालिकाएं और नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। एसिड के साथ इस तरह के पदार्थों को रोकने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यह बात कहकर नहीं टाली जा सकती कि यह सब राज्य सरकार के अधीन है। इस पर निश्चित तौर से कड़ाई की जानी चाहिए। सभी सदस्यों की राय है कि पीड़ित के इलाज की निःशुल्क व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए। ऐसी महिलाओं, बालिकाओं और लोगों के लिए हर जिले में केयर होम की व्यवस्था की जानी चाहिए जिनको घर से बाहर कर दिया जाता है और वे गरीबी के कारण अपना जीवनयापन नहीं कर सकते हैं, इलाज भी नहीं करा सकते हैं।

हर जिले में उनको रखकर, उनका इलाज और उनकी समुचित देखभाल की व्यवस्था हो, ऐसा मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ। दूसरा, मेरा सुझाव यह है कि ऐसी घटनाएँ डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आसपास ज्यादा होती हैं। वहाँ पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही वहाँ सी.सी.टी.वी. कैमरे आवश्यकतानुसार लगाये जाने चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों की पहचान भी नहीं हो पाती है। कुछ लोग तेज़ाब फेंककर भाग जाते हैं और उनको पहचान भी नहीं जाता है। इसलिए उसकी भी पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं समझता हूं, जैसा कि सभी सदस्यों ने अपनी राय दी है, इसके लिए बहुत ही कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। यह हत्या से भी बड़ा जघन्य अपराध है। इसके लिए कड़े कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा यही सुझाव है। धन्यवाद।

)

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में एक मानवीय मूल्य पर हो रही चर्चा पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पूर्व के माननीय सदस्यों की भावनाओं के साथ अपने को संबद्ध करते हुए, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। माननीय सदस्य डा. किरिट पी. सोलंकी जी का मैं धन्यवाद देना चाहुंगा, जिन्होंने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए एक महत्वपूर्ण निजी विधेयक लाया है। एसिड अटैक जिस व्यक्ति पर हो जाता है, चाहे वह बाला हो या बालक हो, उसका जीवन नरक के समान हो जाता है। वह व्यक्ति न जीता है, न मरता है। वह घुट-घुटकर जीता है। इसमें सरकार को पहल करनी होगी। चूंकि अभी तक जो प्रावधान संविधान में हैं, उसमें आई.पी.सी. की धारा 326 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। यह धारा एसिड अटैक के पीड़ित को उचित न्याय दिलाने में असमर्थ है। इसके अलावा इस धारा के तहत कठोर दण्ड की व्यवस्था नहीं होने पर अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है। जब तक इलाज होता है, उसके पहले ही अपराधी छूटकर चले जाते हैं। एसिड अटैक से पीड़ित ज्यादातर महिलाएँ होती हैं, जो स्वयं अबला हैं। जब हमें शक्ति की जरूरत पड़ती है, तो हम माँ दुर्गा की अराधना करते हैं, जब हमें धन की जरूरत पड़ती है तो हम माँ लक्ष्मी की अराधना करते हैं और जब विद्या की जरूरत होती है तो हम माँ सरस्वती की अराधना करते हैं। लेकिन व्यवहारिकता में क्या है, प्रत्येक महिला के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसमें सर्वाधिक दुखद घटना इस एसिड अटैक के माध्यम से होती है। हमारे बिहार में सीवान के हरिहांस की एक घटना के बारे में मैं बताना चाहूंगा। यह घटना पाँच माह पहले हुई थी। वह बच्ची नहीं जानती थी कि कौन उससे प्यार करता है। लेकिन नज़दीक आकर उस पर एसिड फेंक दिया गया। मैंने वहाँ के समाहर्ता से अनुरोध किया, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम कुछ दे सकें। मैंने उस बच्ची को लाकर सफ़दरजंग अस्पताल में इलाज करवाया। कुछ पैसे अपने पास से खर्च किये, लाख प्रयास के बाद उसकी एक आँख चली गयी। वह कुरुपता देखकर, उसका डरावना चेहरा देखकर हम लोग काफी द्रवित हो जाते हैं। मैं श्री किरिट पी. सोलंकी जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा और आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसी घटनाएँ रोकी जाएं।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डॉ. किरिट पी. सोलंकी जी द्वारा लाए गए इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। दो वर्ष पूर्व हुए निर्भया काण्ड के पश्चात् आज भी देश में एसिड अटैक हो रहे हैं तो यह बड़े शर्म की बात है। बच्चियों और महिलाओं पर एसिड अटैक्स के कई रूप हैं। कई बार कोई मेरी बेटी असफल प्रेमी के कारण इसका शिकार बनती है, कई बार कोई मेरी बहन असफल पित के कारण इसका शिकार बनती है, कई बार कई मेरी माताएं, बहनें या बेटियां किसी मनचले की हरकतों की वजह से एसिड अटैक का शिकार बनती हैं। आज जरूरत इस बात की है कि इस प्रकार के घिनौने अटैक्स रोकने के लिए हमें टू टाइप्स ऑफ प्रोलांग्ड स्ट्रैट्जी बनानी होगी। एक, क्राइम से पहले देश में इस प्रकार का वातावरण बनाया जाए कि कोई व्यक्ति इस प्रकार की घिनौनी हरकत करने का दुस्साहस न कर सके। कई बार जब इसे किसी असफल प्रेमी का कायरतापूर्ण कार्य कहा जाता है तो इसके बारे में किसी ने सच कहा है - कल तक जो शख्स में मेरी पनाह में था, गिरफ्तार अगले दिन मेरे कत्ल के जुर्म में था। इस प्रकार के लोग जो दोस्त बनकर आते हैं, लेकिन आस्तीन का सांप निकलते हैं और किसी के जीवन में इस प्रकार का ज़हर घोल जाते हैं कि सारा जीवन वह उसका शिकार रहती है। कई बार यह कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार से जीवन जीता है, वह सोचना का विषय है। इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। हर जिले में इस प्रकार के केसेज होने पर वहां उपचार के लिए कोई न कोई सेंटर बनाया जाना चाहिए।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): उपाध्यक्ष महोदय, आज किरीट भाई सोलंकी एसिड कंट्रोल बिल लाए हैं। किरीट भाई एक डाक्टर हैं। महिलाओं पर तेजाब फेंकने की जो बात है, उसके बारे में उन्होंने चिंता जताई है। साथ ही अनेक माननीय सदस्यों डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल, श्री राजेश रंजन, श्री अधीर चौधरी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री सौगत राय, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्री प्रह्लाद भाई पटेल, श्री बी. महताब, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री हुक्मदेव नारायण यादव, श्री भगवंत मान, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री ओम प्रकाश यादव एवं श्री रत्न लाल कटारिया ने तेजाब हमले के बारे में जो बातें कहीं और सुझाव दिए हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं भी मानता हूं कि एसिड हमला महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे जघन्य रुपों में से एक है। ऐसी घटना से पीड़ित महिला के शरीर पर न केवल जख्म का निशान बना रहता है, बल्कि उसे अपने मस्तिष्क पर हुए दीर्घकालिक जख्म की यंत्रणा भी भोगनी पड़ती है। इन घटनाओं को किसी भी कीमत पर रोकना, भारत सरकार का संकल्प है। इस मुद्दे का समाधान करने की दृष्टि से एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाते हुए, गृह मंत्रालय ने न केवल एसिड का स्टॉक रखे जाने और उनकी बिक्री पर नियंत्रण करने, बल्कि अभियुक्त को दंड दिए जाने के साथ-साथ, पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए भी कई कदम उठा माननीय उच्चतम-न्यायालय के निदेश के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा '' विषों का कब्जा और बिक्री संबंधी आदर्श नियम 2013'' शीर्षक से एक मसविदा विधान तैयार किया गया है और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है, जिसके आधार पर अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इस बारे में अपने नियम बना लिए हैं। इस विधान में न केवल एसिड का कारोबार करने वाले व्यक्तियों को लाइसेंस दिए जाने की व्यवस्था की गई है, बल्कि इसमें एसिड की खरीद किए जाने, उनका स्टॉक रखे जाने तथा थोक और खुदरा दोनों तरह की बिक्री किए जाने पर कड़ी शर्तें लगाए जाने की व्यवस्था भी की गई है। इस व्यापक विधान का आशय, एसिड के उत्पादन के स्रोत से उनके प्रयोग के अंतिम बिन्दू तक एसिड के उत्पादन और बिक्री की खोज-खबर रखना है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियम बनाए जाने की माननीय उच्चतम-न्यायालय द्वारा गहनता से मॉनिटरिंग की जा रही है। माननीय सांसद द्वारा प्रस्तुत एसिड (नियंत्रण) विधेयक, 2014 के जरिए व्यक्त किए गए उपायों और सरोकारों तथा चिंताओं पर, उपर्युक्त क्रम में तैयार किए गए मसविदा नियमों के माध्यम से उपयुक्त रूप से ध्यान दिया गया है और उनके निराकरण का प्रयास किया गया है।

मैं माननीय सांसदों को बताना चाहता हूं कि इसके अलावा सदस्यों द्वारा जो बातें रखी गयी हैं, मैं अलग-अलग बातों का जवाब नहीं दे रहा हूं बल्कि संपूर्ण सुझावों पर सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनकी जानकारी मैं दूंगा।

पहला, एसिड की सेल को रैगुलेट करने के लिए जो सुझाव दिए गये हैं, उसके लिए हमने जिला जज तक, जो एसडीएम उसकी मॉनिटरिंग करता है, लाइसेंस देने का, स्टॉक चैक करने का, कौन लेने आया, कम स्टॉक है, ज्यादा स्टॉक है तो 50,000 रुपये फाइन करने का इसमें प्रावधान कर दिया गया है। जो किरीट भाई ने बोला कि कोई अथॉरिटी बननी चाहिए, तो मैं बताना चाहता हूं कि जिला जज एक अच्छी अथॉरिटी है, जो पूरे जिले में इस पर कंट्रोल करती है और एक जिले में तीन-चार एसडीएम होते हैं। कोई भी स्टॉक घर या दुकान पर जाएगा, अगर स्टॉक कम या ज्यादा होगा तो 50,000 रुपये का फाइन होता है। इसके बारे में भी हमने सोचा है। जयश्रीबेन ने बताया कि फास्ट-ट्रेक होना चाहिए, तो फास्ट-ट्रेक के लिए गृह मंत्रालय राज्यों को निदेश देगा और उसके बारे में भी हम जानकारी रखेंगे।

वर्तमान में जो रूल बनाए गये हैं, उनके अंतर्गत डीएम और राज्य सरकारों द्वारा एपाइंटेड किसी अधिकारी को एसिड सेल का लाइसेंस देने का जो नियम है, उसी के अनुसार कार्य किए जाएंगे।

मुआवजे के विषय में हमने कम से कम तीन लाख रुपये देने के लिए राज्य सरकारों को बोला है। हमारी सरकार अभी भी एक चर्चा कर रही है कि राज्य सरकार तीन लाख रुपया देगी, लेकिन केन्द्र सरकार ने एक विक्टिम कम्पनसेशन फंड बनाने की योजना तैयार की है। आप लोगों ने बताया कि केन्द्र सरकार कुछ दे, तो मुआवजे के तौर पर तीन लाख रुपया राज्य सरकार देगी और उससे ज्यादा भी करने के बारे में हम सोच रहे हैं। निःशुल्क ट्रीटमेंट के बारे में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी अस्पतालों को लिखा है। जो भी ट्रीटमेंट पर खर्चा आयेगा, वह पूरा खर्चा सरकार उठाएगी और केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके बारे में सब सोच लिया है।

सज़ा के बारे में कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले एसिड अटैक करने का प्रयास करते थे, उनको पांच, सात या दस साल थी।

HON. DEPUTY SPEAKER: The time allotted for discussion on this Bill was up to 5.50 p.m. Now the time is extended till the discussion on the Bill is over.

श्री हिरभाई चौधरी: एसिन्ड अटैक के लिए दस साल की सजा थी, उसे बढ़ा कर आजीवन कारावास कर दिया है। इसके अलावा दो-तीन बातें और बताना चाहता हूं। आईपीसी की धारा 326 में हमने दो और धाराएं 326 (ए) और 326 (बी) जोड़ी हैं। ये दो प्रावधान जोड़ने के बाद हम लोग बार-बार मॉनिटरिंग करते हैं। गृह मंत्रालय से हर महीने चिट्ठी लिखते हैं कि पीड़ित को मुआवजा दिया गया है या नहीं। आपने बताया कि

इस तरह के सौ केसिस हैं, जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन लोगों को मुआवजा देने की पूरी कोशिश

करेंगे। आज सभी सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और इस बारे में जो भी कड़े क़दम उठाने की

आवश्यकता होगी, सरकार वह उठाएगी। आप सभी सांसदों को, जिन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, मैं आप

सभी का आभार व्यक्त करता हं।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : महोदय, महिलाओं के प्रति जघन्य एसिड अटैक के बारे में मैं एसिड कंट्रोल

बिल लाया हूं। मैं अपने सभी साथी सांसदों का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि एक ऐसे सेंसिटिव

विषय पर सभी ने इसका खुलकर समर्थन किया है। मैं सरकार का और खास तौर से हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र

भाई मोदी जी का आभारी हुं और मंत्री जी का भी आभारी हुं। जब नरेन्द्र भाई मोदी जी पहली बार सदन में

बोले थे, तब उन्होंने बताया था कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहेगी। हमारी सरकार

महिलाओं के उत्पीड़न के प्रति हमेशा कठोर खैया अपनाएगी। जिस तरह से मंत्री जी ने प्रत्युत्तर दिया है, मैं

उससे संतुष्ट हं तथा सरकार से गुजारिश करता हं कि इस विषय को संज्ञान में लीजिए और कड़े से कड़े

प्रावधान कीजिए। इस संबंध में जो कुछ भी करना है, उसके बारे में आप प्रयत्न कीजिए। मैं अपना विधेयक

वापस लेता हूं और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

I beg to move for leave to withdraw the Bill to provide for control of sale

and distribution of acids in order to prevent the acid attacks on human beings

particularly women and girls and for matters connected therewith or incidental

thereto.

HON. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to withdraw the Bill to provide for control of sale and distribution of acids in order to prevent the acid attacks on

human beings particularly women and girls and for matters

connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

DR. KIRIT P. SOLANKI: I withdraw the Bill.

17.54 hrs.

SENIOR CITIZENS (PROVISION OF GERIATRIC AND DEMENTIA CARE) BILL, 2014

HON. DEPUTY SPEAKER: Now we shall take up Item No.75 – Shri Bhartruhari Mahtab.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I thank you for allowing me to move a Bill titled the 'Senior Citizens (Provision of Geriatric and Dementia Care) Bill, 2014.

Sir, I have moved this Bill especially to bring to light and to deliberate in this House the problems that our older generation is facing or will be facing in near future. A disease like dementia – loss of memory – is affecting a large number of people of our society. I came to know about this disease and many of came to know about this disease after the former President of the United States of America, Mr. Ronald Regan, was affected by that disease. That is how, the whole world came to know that here is a disease which is not curable and only certain amount of treatment can be given and that treatment is only to take care of them so that they do not make mistakes and be victims of certain circumstances.

Dementia is a disease ... (*Interruptions*) Parkinson is different. Dementia is a syndrome usually of a chronic nature caused by a variety of brain illness. So, it is forgetfulness and is disconnect between ones thinking process and his speaking ability. One will be aware that certain things are happening around him but he will not find the actual words to express himself. At times when one is inside his room, inside one's house and one feels like going outside and when one goes outside and moves around in the streets, one does not then recollect as to which was the way to come back to one's own house. He does not recognize his house again. At times a person even does not recognize his own children and relatives. It is not Perkinson but it is Dementia... (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): You mentioned about Ronald Regan and that is why I told Parkinson.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: The word that came into more use was Alzheimer. Alzheimer and Dementia have a very thin line of difference. Parkinson was a general concept which the medical world and the general public were using in the 60s. But later on when the doctors of neurology and Neuro Sciences surveyed the matter, they have said that this is something of Dementia and something of Alzheimer.

Sir, as I propose this Bill for consideration of the House, I would like to say that we have been talking about demographic dividend, the country's youthful demographic curve transaction into a geronatological bulge by 2020, but the plight of the aged will aggravate. India which had traditionally enjoyed a robust joint family system that had taken care of the elderly yet the sweeping currents of globalization is rupturing our social fabric and is having a baleful effect on our society. With the disintegration of the joint family system and the emergence of the nuclear families, elders are increasingly getting neglected, uncared for and in some cases, mal-treated. Elderly people rarely complain, at least not in public. But if you enquire about their well-being, the tales of sorrow are endless.

Here I am reminded of a story. Some 100 years ago, a famous writer of Odiya literature, whom we consider as the father of modern Odiya literature Fakir Mohan, had written a short story named *Dak Munshi*. The story is like this. An old *chowkidar* had devoted all his life to bring up his son. The son got educated and got a good job and became a Post Master. One day this old man went to meet his son. He met his son, stayed there for a night. But the next day when he was coming back, a friend of his son went to that office and asked, 'who is this old man going out'? The son said, 'he is a servant who has come from my village'. From that day the old man decided not to have any contact with his son. The dream that he had of having a better living in his old age was shattered and he was relegated to his own fate. That is how the story ends. This is, no doubt, generation gap. But my concern here is about taking care of the older people. As nuclear families are now the rule of the day, the number of older people is increasing day

by day. The population of senior citizens, as a percentage of total population which stood at 7.5 per cent during 2001 census is likely to increase to 12.4 per cent in 2026 as per the report of the Technical Group constituted by the National Commission on Population.

So, in that respect, I would say that greater responsibility is now both with the State Governments and the Central Government. Therefore, I would say that, other than taking care of their health, there is also a need to take care of their wellbeing.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Mahtab, you may continue next time.

Now it is 6 p.m. We may now take up 'Zero Hour'. Shri Kaushalendra Kumar.

18.00 hrs.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत ही गम्भीर विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे बिहार राज्य के बहुत से बच्चे देश के विभिन्न शहरों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मुझे आज सुबह दूरभाष पर बताया गया कि हरियाणा राज्य में स्थित गणपित इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी एंड मैनेजमैन्ट कालेज, बिलासपुर, यमुना नगर में हमारे बिहार के लगभग 100 छात्रों को बंधक बनाकर रखा गया है और उनके साथ मारपीट की गई है। इतना ही नहीं बिल्क उन्हें चाकुओं से भी मारा गया है, जिसके कारण उनके पेट भी फट गये हैं। वहां दो बच्चें जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं।

महोदय, माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप हिरयाणा सरकार से हस्तक्षेप करके उस मामले की जांच करायें और जो बच्चे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए और जो बच्चे बंधक बनाये गये हैं, उन्हें छुड़ाया जाए और सुरक्षित घरों को वापस भिजवाया जाए, यही हमारा आपसे निवेदन है।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला): महोदय, मैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का ध्यान अपने अम्बाला लोक सभा क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यक समाज से संबंधित मुद्दों की ओर केन्द्रित करना चाहता हूं और मांग करता हूं कि मेरें लोक सभा क्षेत्र के अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए नीति बनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाए। हरियाणा प्रदेश में मेवात क्षेत्र के पश्चात मेरें लोक सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समाज है, लेकिन मेरे क्षेत्र में अल्पसंख्यक समाज के लिए क्वालिटी शिक्षा के लिए कोई भी बड़ा शिक्षा संस्थान नहीं है, जिसके कारण भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए मैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि अल्पसंख्यकों के सुनिश्चित सशक्तिकरण, विकास एवं समान अवसर प्रदान कराये जाने की दृष्टि से विशेष पग उठाये जाएं।

श्री रमेश विधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजधानी में डीडीए मास्टर प्लान 2021 के तहत जोन ओ में पड़ने वाला जो क्षेत्र है, वहां मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ है, लेकिन वहां 2007 में डीडीए के मास्टर प्लान की वजह से इस मास्टर प्लान के तहत राजधानी दिल्ली को 15 प्लानिंग जोनों में बांटा गया था, जिसमें अर्बन दिल्ली को आठ जोन में (ए से एच), अर्बन एक्सटेंशन एरिया को 6 जोनों में (जे से एन) तथा यमुना नदीं फ्रंट एरिया को जोन ओ में रखा गया है। जोन ओ क्षेत्र उस एरिया को कहा जाता है जो यमुना नदी के आसपास बसे हैं। जोन ओ में पड़ने वाले क्षेत्र में किसी भी

प्रकार का निर्माण व मरम्मत का कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। इस जोन में लगभग दस से बारह गांवों की जमीन आती है, जिसमें सादतपुर, जगतपुर, हिरनगर, मीठापुर, जैतपुर, मदनपुर, सोनिया विहार इत्यादि प्रमुख हैं। 29 मार्च, 2006 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि नदी से 300 मीटर की दूरी तक निर्माण पर रोक लगाई जानी चाहिए। परंतु जब डीडीए ने मास्टर प्लान बनाया तो उस सीमा को 6 किलोमीटर कर दिया। उस रेंज में रहने वाले जिन लोगों के मकान 2006 के मास्टर प्लान से पहले बने हुए हैं, वे गरीब लोग जब वहां मकान बनाते हैं या मकानों की रिपेयर करते हैं तो उन्हें रोका जाता है। वहां डिस्पेंसरी, स्कूल आदि की सुविधा भी सरकार वहां उपलब्ध नहीं करा पा रही है। जिसकी वजह से वहां के लोग नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। इसके कारण वहां मरम्मत के कार्य पर भी रोक लगी है। अगर कोई मरम्मत करता है तो वहां के गरीब लोगों के द्वारा सरकारी अधिकारियों को वहां सुविधा शुल्क देना पड़ता है, वरना उनके काम रोके जायेगें। जबिक सरकार ने वहीं मदनपुर खादर में पुनर्वास के नाम से जगह दी हुई है, जहां सरकार ने निर्माण कराया है। वहीं नियमित कालोनी के मकान बने हैं, राष्ट्रमंडल खेल के नाम से खेलगांव बना हुआ है, दिल्ली सचिवालय बना हुआ है। वहां सरकार ऐसे महत्वपूर्ण भवन बना रही है, लेकिन जो हजार वर्षों पुराने गांव मीठापुर, जैतपुर, हिरनगर क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो यमुना से एक-डेढ़ किलोमीटर दूर हैं, वहां के लोगों को ओ जोन के नाम पर तंग किया जा रहा है।

मेरा आपके माध्यम से दिल्ली के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर, दिल्ली सरकार और यू.डी. मिनिस्ट्री से निवेदन है कि उस एरिया को, जो तीन सौ मीटर से बाहर है, उसे एच जोन में डाला जाए, ताकि वहां के लोगों का शोषण रुक सके और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र दमोह में नौरादेवी अभ्यारण है, जिसको चीता प्रोजेक्ट के नाम पर मध्य प्रदेश में पहली बार स्थापित करने का सरकार का इरादा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से, वन्य एवं पर्यावरण मंत्रालय से सिर्फ तीन बातें कहना चाहता हूँ कि जो भूमि अधिग्रहण कानून भारत सरकार ने पास किया है, उसमें मुआवजे के समय उसका अनुपालन हो। मेरे यहां से 23 गांव उठाए जा रहे हैं, जिसमें से तीन गांव अभी उठे हैं जो कि कुट्टििरी, रमपुरा और चक्कीपला हैं। इसमें 407 परिवार वहां से विस्थापित हुए हैं। महोदय, 15 हज़ार हैक्टेयर की खेती की जमीन और 23 गांव उसमें जाने वाले हैं। उनकी जमीन के बदले जमीन देने का जो प्रावधान है, उसका कहीं पालन नहीं हो रहा है। मुआवजा देने भर से काम नहीं चलता है। वैसे भी वह बहुत ही पिछड़े जिले का क्षेत्र है। यह नौरादेवी अभ्यारण दो जिलों सागर और दमोद में आता है। मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि सरकार ने जो नीति बनाई है, किसान का पूरा परिवार जो पीढ़ियों से वहां रह रहा है, जब वहां से विस्थापित होता है, अगर उसको

जमीन के बदले जमीन नहीं मिलेगी तो उनके साथ अन्याय है। पास का नरिसंहपुर जिला है, जहां पर उससे दस गुना मंहगी जमीन है। पूरा मुआवजा देने के बावजूद भी उनको एक चौथाई जमीन भी नहीं मिलेगी। इसिलए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो भूमि अधिग्रहण कानून है, उसका पालन हो और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए पहले प्रबंध किया जाए। जो बाकी जगहों पर विस्थापितों की स्थित होती है, कहीं ऐसी दुर्दशा उनके साथ न हो। मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि वहां पर एक रास्ता निकल रहा था उसको परिमशन दी है। ये गांव जो उठ रहे हैं, उनके पास भी जो रास्ता निकलता है, उनको अगर परिमट करेंगे और रीहैबिलेट करेंगे तो मुझे लगता है कि यह उनके साथ न्याय होगा। किसान के इस दर्द पर सरकार को विचार करना चाहिए। धन्यवाद।

PROF. SAUGATA ROY (DUMDUM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I may be permitted to raise a matter of urgent public importance during 'Zero Hour' in the House today.

I draw the attention of the House to certain policy decisions being taken by the Ministry of Textiles that would be detrimental for the survival of the jute industry. As you are aware, the markets for jute industry is protected under the Jute Packaging Materials Act, 1987 whereby there is an annual review for reserving percentage of jute packaging material to be used for packing of food grains and sugar.

Under the provisions of the JPMA Act, the Standing Advisory Committee is constituted to recommend the reservation percentage every year. For the year 2014-15, the SAC meeting was held on 3rd July, 2014 wherein the Indian Jute Mill Association represented that full capacity and raw material is available to cater to 100 per cent requirements for packaging of food grains and sugar. However, contrary to facts and figures presented by the IJMA, the SAC took a decision to recommend 90 per cent for food grains and 20 per cent for sugar.

Subsequent to the SAC recommendation, the Ministry of Textiles has received comments from the Min of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the Ministry of Chemical and Fertilizer, the Ministry of Agriculture, the Ministry of Finance as well as a decision taken by Group of Officers at the

Cabinet Secretariat on 16.10.2014 held to discuss the 'Crisis in Jute Sector', suggesting removal of sugar packaging from the ambit of JPMA and the need for reduction in reservation percentage for food grains in the current year phasing out over the next two to three years. Any such decision taken by the Central Government would be a death knell for the jute industry and affect three lakh jute workers. Many of them are in my constituency.

The West Bengal Chief Minister has written to the Minister of Textiles earlier this month requesting him not to go ahead with the proposed reduction of reservation of jute packaging and to draw up along with States like West Bengal, Andhra Pradesh, Assam, etc. an appropriate plan for diversification of the jute industry. The Centre should heed to this. Thank you.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I may be permitted to associate with the matter raised by Prof. Saugata Roy.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Please send the slip.

श्री भगवंत मान (संगरूर): महोदय, हमारे देश को आजाद हुए 67 वर्ष हो गए, लेकिन हमारे देश में अभी भी बहुत सी सड़कों के नाम उन व्यक्तियों के नाम पर हैं, जिन्होंने गुलामी के समय हमारे देश के लोगों पर अत्याचार किए और हमारे खजानों को लूटा। अब चूँकि भारत आजाद मुल्क है, इसलिए हमारे यहाँ शहीदों की बहुत लंबी लिस्ट है, जो गुमनाम हैं, जिनको क्षेत्रीय लोग ही अपने इलाके में जानते हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि अब उन शहीदों के नाम पर सड़कें होनी चाहिए।

हमारे देश के लोगों पर अत्याचार करने वाले लोगों के नाम पर अभी भी सड़कें हैं। अगर हमारे शहीदों के नाम पर सड़कें हों तो हमें आजादी का सुख देखने को मिलेगा, जिनमें सेवासिंह टिकरीवाला है, शहीद ऊधम सिंह हैं, चन्द्रशेखर आजाद हैं, अशफाक उल्ला खाँ हैं, वीर सावरकर हैं, अब्दुल हमीद हैं, ये सब फ्रीडम फाइटर हैं, उनके नाम पर बड़ी-बड़ी सड़कें होनी चाहिए, न कि उन लोगों के नाम पर जिन्होंने हमारे देश को लूटा और हमारे देश के लोगों पर अत्याचार किया। यह बहुत गम्भीर विषय है। मैं आपके माध्यम से इसे सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ।

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर): महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसा कि सदन के सारे सदस्य जानते हैं, स्वर्गीय श्री गोपीनाथ मुंडे जी देश के एक बहुत बड़े नेता थे। वे भारत सरकार में मंत्री और महाराष्ट्र सरकार में उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों, दिलतों और पिछड़े वर्ग के कल्याण में लगा दिया। 3 जून, 2014 को एक सड़क हादसे की वजह से उनका असमय स्वर्गवास हुआ और आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। आज उनका जन्मदिन है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस अवसर पर उस हादसे की जगह पर, जहाँ उनकी जान गयी, वहाँ उनका एक स्मारक बनाया जाए और उस मार्ग को गोपीनाथ मुंडे मार्ग घोषित किया जाए, ताकि हम सही मायने में उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Janardhan Singh Sigriwal – not present.

श्री बोध सिंह भगत (बालाघाट): महोदय, आपने मुझे अविलंबनीय लोक महत्व के मामले को उठाने की अनुमित दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरा शून्य काल का विषय इस प्रकार है। देश में इस समय धान, गेहूं, चना, अलसी, सरसों इत्यादि रबी फसलों की बुआई प्रारंभ हो चुकी है और कुछ शेष है। कृषकों को यूरिया, डीएपी, रासायनिक खाद की अति आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के सिवनी, बालाघाट जिले में खाद की उपलब्धता नहीं होने के कारण कृषकों को खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण किसान चिन्तित हैं। इसके कारण कृषकों का उत्पादन कम होगा, उनको आर्थिक नुकसान होगा। इस कारण कृषक काफी परेशान हैं। कृषकों में तीव्र रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूँ कि वह खाद उपलब्ध कराने हेतु तत्काल कोई कदम उठाने की कृपा करें।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri K.C. Venugopal – not present.

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you very much for having given me this opportunity.

Through you, I wish to draw the urgent attention of this august House to a very important matter regarding the safety and security of the coastal belt. India has 7517 kms. long and vulnerable coastal line and the maritime interest of the country assumes paramount importance. The 26/11 Mumbai attack was an eye-opener and it makes us more alert to the need for vigilance on the coastal line.

Our Coast Guard and the Navy are, in fact, taking very effective steps to face the threat to our maritime interest. The Chinese presence in the Indian Ocean

and also the presence of their submarines in Colombo pose serious threat. The Chinese claim over international waters with all its neighbours is also creating an alarming situation in the region especially when the Indian Ocean is emerging as the centre of gravity as far as maritime interest is concerned.

Under these circumstances, I urge the Government to take urgent steps to safeguard our interests against the threats and protect our coastal line. I also urge the Union Government to alert the coastal States and Union Territories so that people along the coastal belt are involved in the security of our country in a better manner.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): उपाध्यक्ष जी, मैं देश के अति पिछड़े क्षेत्र बुंदेलख्डण्ड के बांदा संसदीय क्षेत्र से चुनकर आया हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में दो जनपद आते हैं, जहां बड़े उद्योग नहीं हैं। हजारों बेरोजगार काम की तलाश में देश के सुदूर विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सपरिवार लोगों के पलायन के कारण अनेक घरों में ताले लटकते दिखायी पड़ते हैं। बांदा जनपद में एक कताई मिल लगी थी, जिसमें हजारों लोग काम करते थे लेकिन वह काफी समय से बंद है। चित्रकूट जनपद में भी एक ग्लास फैक्ट्री लगाने का कार्य शुरू हुआ था। कार्य काफी हो भी चुका था, लेकिन बीते काफी समय से वहां भी कुछ नहीं हो रहा है। दोनों जगह मशीनें जंग खा रही हैं या गायब हो रही हैं। मेरे यहां ग्रेनाइट व सिरकासेंड भी बड़ी मात्रा पर उपलब्ध है, जिस पर आधारित उद्योग लगाए जा सकते हैं।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि बांदा स्थित कताई मिल तथा चित्रकूट के वर्गर स्थित फ्लोट ग्लास लिमिटेड को शीघ्र शुरू करवा कर दोनो जनपदों में एक-एक कोई बड़ा अन्य उद्योग लगा कर वहां की बेरोजगारी की समस्या को दूर कर, इस पिछड़े क्षेत्र की विकास की राह को खोलने की कृपा करें।

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने मुझे शून्य काल में राजस्थान प्रदेश के आदिवासियों के जनजीवन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले को सदन में उठाने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, जनजाति उप योजना क्षेत्र का विस्तार (टीएसपी)। राजस्थान प्रदेश की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार 6,85,48,437 है। कुल जनसंख्या का 13.5 परसेंट जनसंख्या आदिवासियों की है। मैं जिस संभाग से आता हूं जिसके उदयपुर, राजसमन्द, चितौड़गढ़, सिरोही, प्रतापगढ़, पाली आदि जिलों में निवासरत जातियां निवास करती हैं जिनमें भील, मीणा, गरासिया, डामौर, गमेती आदि जातियां निवास

करती हैं। जो जनजाति उप योजना क्षेत्र में नहीं जोड़ा गया है। जिससे भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ इन जिलों के अ.ज.जा.वर्ग को नहीं मिलता है। अतः मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी की केबिनेट ने हाल ही में प्रस्ताव पारित करके राज्य ने केन्द्र सरकार को भेजा है कि जनजाति उप योजना क्षेत्र में उन जिलों में निवासरत अ.ज.जा. वर्ग को जोड़ जाए ताकि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ इन वंचित लोगों को मिले।

श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर): महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे लोकसभा क्षेत्र मंदसौर में स्थित गांधीसागर वन्य जीव अभ्यारण की स्थिति पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गांधीसागर वन्य जीव अभ्यारण एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील के किनारे स्थित है। यह 142 स्क्वायर मील क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। यह पर्यटन व पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। मगर अभ्यारण क्षेत्र में वनों की सघनता में एकदम से कमी आई है। सारा विश्व पर्यावरण के प्रति चिंतित है। हमारे वनों में सघनता में कमी आ रही है। वन्य जीवों के संरक्षण हेत् भी कोई गंभीर पहल नहीं की गई है।

में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह अभ्यारण वन की सघनता वन्य जीवों के संरक्षण एवं पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित होने की अपेक्षा कर रहा है। आशा है कि इस प्रयास से अभ्यारण एक नए स्वरूप में विकसित होगा।

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you very much for allowing me to raise an important issue relating to my constituency Jagatsinghpur, Odisha.

Konark Sun Temple built in the 13th Century AD is conceived as one of the most sublime monuments and prime tourist attractions of India is situated in Odisha. It has also been inscribed as a World Heritage Site by the UNESCO. But unfortunately, the gigantic structure of the temple is now in a dilapidated condition due to its exposure to saline ingress, heavy rains, growth of vegetation on the temple etc. Despite this, no comprehensive action for its repair or maintenance is being taken up.

Hence, I would like to draw the kind attention of the Minister of Culture as well as the Minister of Tourism and urge them to take necessary steps as early as possible to preserve the structural resources of Konark Sun Temple.

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही अहम मुद्दे की ओर ले कर जाना चाहता हूं। जो आग पहले दिल्ली में लगी, फिर वह आग आगरा में लगी और वहाँ से होती हुई लुधियाना पहुँच गई। लुधियाना में जो 180 साल पुराना चर्च है, उस पर कुछ समाज विरोधी गुंडों ने 9 तारीख को हमला किया। उस हमले में वहां के सिक्यूरिटी गार्ड गैब्रियल बुरी तरह जख्मी हुए। उस चर्च की जो ज़मीन थी, उस पर कब्जा करने की कोशिश की गयी। जो गुंडे थे, वे वहां पर लगातार एक-दो घंटे इसकी कोशिश करते रहे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर अकाली दल और बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मेरे भी बार-बार टेलीफोन करने पर, पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं हुई।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जल्दी-से-जल्दी उन गुंडों को पकड़ा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारे हिन्दू, सिख, मुस्लिम, ईसाई ये सब एक गुलदस्ते के फूलों की तरह हैं और ये फूल खिलते हुए ही अच्छे लगते हैं। अगर हम किसी को भी दबाने की कोशिश करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे, कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो पंजाब और देश के जो हालात हैं, वे खराब हो सकते हैं। इसलिए मैं यह पूरी आशा करता हूं कि यह सरकार पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति के ऊपर बहुत ही जल्दी गौर करेगी।

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत जनपद लखीमपुर खीरी के सिसैया में निरिश्रित विधवा महिलाएं एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली महिलाएं आदि के लिए सामुदायिक भवन बनाने की अति आवश्यकता है। साथ ही, ऐसी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए प्रेरित करने व समाज में उन्हें बराबर की हिस्सेदारी दिलाने की भी आवश्यकता है।

अतः मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि उक्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कार्रवाई करने का कष्ट करें।

HON. DEPUTY SPEAKER: Now actually the list of balloted names is over. Some hon. Members requested that they want to raise some urgent matters. I can permit them provided they take only one minute each. Otherwise I cannot allow. So, I request them to cooperate and make only the points very briefly.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, कुशल-अकुशल मज़दूर के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित है। उसके अनुसार अगर उन्हें वेतन भुगतान न किया जाए तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है।

लेकिन, यह देश का दुर्भाग्य है कि हिन्दुस्तान में हजारों-लाखों ऐसे इंजीनियरिंग पास लोग हैं, बी.टेक., एम.टेक. या प्रोफेसनल शिक्षा प्राप्त लोग हैं, जैसे एमबीए की शिक्षा लिए हुए हैं, उनके लिए कोई वेतन निर्धारित नहीं है। ऐसे इंजीनियर नौजवानों को इंजीनियरिंग पास करने के बाद भी पन्द्रह हजार रुपये मज़दूरी पर मज़दूर के जैसे काम करना पड़ता है। यह उनकी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता, दक्षता का अपमान है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन इंजीनियरिंग पास नौजवानों के लिए भी कम से कम 25,000 रुपये महीना वेतन निर्धारित की जाए, इसके लिए कानून बनाएं और सभी कंपनियों पर और सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्रों पर इसे लागू करें कि किसी भी इंजीनियर लड़के को 25,000 रुपये से कम पर भर्ती नहीं की जाएगी। अगर कहीं ऐसा है तो उसे बढ़ाकर इस स्तर पर भुगतान करें, यही मेरी प्रार्थना है।

SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): Mr. Deputy Speaker, Sir, I wish to bring to your notice the plight of 24 fishermen from Kanyakumari District in Tamil Nadu who were arrested by the Bangladesh Navy on 9.12.2014.

Sir, 24 fishermen belonging to Tamil Nadu engaged as fishing labourers on a share basis, went for deep sea fishing in three boats from Bettuagad near Kolkata in West Bengal on 17th November, 2014. These 24 innocent fishermen have been arrested by the Bangladesh Navy for allegedly crossing the International Maritime Boundary Line on 9.12.2014.

These innocent fishermen are the sole breadwinners of their families and are engaged in deep sea fishing in order to earn their livelihood. Their arrest and detention will severely affect their families and dependents in Tamil Nadu.

Hence, I urge upon the Ministry of External Affair, Government of India to coordinate with the High Commission of India in Dhaka, Bangladesh and intervene at the diplomatic level to secure the immediate release of these 24 fishermen from Tamil Nadu.

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी): महोदय, मैं आपका ध्यान मंडी संसदीय क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूँ। जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक रघुनाथ मन्दिर से 363 साल पुरानी बेशकीमती मूर्तियाँ 08 दिसम्बर, 2014 की रात्रि को चोरी हो गई हैं। इस घटना से प्रदेश में देव आस्था पर गहरा आघात लगा है। ये मूर्तियाँ अयोध्या से लाई गई थीं। देव समाज में यह बहुत बड़ी घटना है, जिसके फलस्वरूप देव समाज का पूरा इतिहास गायब होने के कगार पर है। ये मूर्तियाँ भगवान श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से अश्वमेघ यज्ञ के दौरान बनाई थीं। विश्वविख्यात कुल्लू का अन्तर्राष्ट्रीय दशहरा भगवान श्री रघुनाथ जी की पूजा अर्चना के उपरान्त ही आरम्भ होता है, जिस पर अब प्रश्निचन्ह लग चुका है। चार दिन से मूर्तियाँ चोरी होने की खबर सुनकर पूरा कुल्लू बाजार बन्द रहा है। कई लोग इस शोक से उबर नहीं पा रहे हैं।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से प्रार्थना है की श्री रघुनाथ मन्दिर की ऐतिहासिक मूर्तियाँ भारत से बाहर न जाने पायें और जल्द से जल्द इन शातिर चोरों को पकड़ने की विशेष व्यवस्था करने की कृपा करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती ज्योति धुर्वे (वैतूल): उपाध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र वैतूल एवं हरदा जिले में अचानक यूरिया खाद की कमी हो जाने के कारण किसान काफी चिंतित हैं। फसलों की बुआई के बाद उन्हें यूरिया खाद की अति आवश्यकता है। इफको और एनएफएल के द्वारा आज सरकारी सोसाइटी द्वारा मात्र तीस प्रतिशत खाद की आपूर्ति की जा रही है, जबिक अन्य प्राइवेट सेल्स की दुकानों से 70 प्रतिशत खाद की आपूर्ति की जाती है। आज असमानतायें किसानों को देखनी पड़ रही हैं, तो आपके माध्यम से मेरा सदन से यही आग्रह है कि केन्द्र सरकार के द्वारा इस सरकारी सोसाइटी में तीस प्रतिशत की बजाए साठ प्रतिशत खाद की आपूर्ति की जाए, तािक किसानों को शीघ्रातिशीघ्र खाद की आपूर्ति हो सके।

श्री सुनील कुमार मण्डल (बर्धमान पूर्व): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे पहली बार गणतंत्र के मंदिर में बोलने का मौका मिला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक जरूरी बात प्याज संग्रहण भंडार के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे वेस्ट बंगाल के बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में बहुत प्याज की खेती होती है। महाराष्ट्र नासिक में प्याज संग्रहण के लिए लाना पड़ता है और फिर दोबारा नासिक से बंगाल लेकर जाना पड़ता है, इसलिए प्याज का दाम बहुत ज्यादा हो जाता है।

महोदय, हमारे जो किसान लोग हैं, उनको प्याज की खेती के ऊपर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम से कम एक प्याज संग्रहण भंडार बनाने के लिए आपके माध्यम से मंत्री जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं।

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): महोदय, मैं बहुत ही दुखी मन से इस बात को रखना चाहती हूँ, जो हम सबके जीवन को प्रभावित करता है। पूरे देश में जल प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण की वजह से गुर्दे की गम्भीर बीमारी फैलती जा रही है। इस गम्भीर बीमारी की चपेट में 20 से 45 वर्ष की आयु के लोग आ रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ और आप भी समझ सकते हैं कि कहीं भी दिल्ली और बड़े-बड़े शहरों के अलावा गुर्दे को ठीक करने का उपकरण, डायलासिस कराने का उपकरण किसी भी जिले में नहीं है।

महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र में आज 4000-5000 गुर्दे के मरीज हैं, उनको दिल्ली, लखनऊ या बरेली जाकर भटकना पड़ता है। एक तो जल्दी से गुर्दे मिलते नहीं हैं और हर तीन दिन में उनको डायलैसिस की जरूरत पड़ती है, जो बहुत महंगा है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहूंगी कि जल प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए कोई नीति बनायी जाये और जहां पर गुर्दे जैसे गंभीर बीमारी की उपलब्ध नहीं और इलाज उपलब्ध न हों वहां ये सब उपलब्ध करायी जाये। विशेषकर नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको विशेष सुविधा देकर हर जनपद में तैनात करने की मैं मांग करती हूं। SHRIMATI R. VANAROJA (TIRUVANNAMALAI): Thank you Mr. Deputy Speaker, Sir, agriculture is a big traditional occupation in my Tiruvnnamalai Constituency. Apart from cultivation of paddy, cultivation of flowers like malligai, mullai, roja and chambanki is also carried out widely due to suitable climatic conditions. These flowers are in great demand and they are being taken to several parts of the country. They are also being used elsewhere for perfume manufacturing.

Due to the absence of cold storage facilities and non-availability of perfume manufacturing units, most often flowers get perished and suffer price fluctuations causing loss to the farmers. In order to help the flower growers to get steady and remunerative earnings from flower cultivation, the Union Government may kindly establish godowns with cold storage facility. A perfume manufacturing unit may also be set up there which will help reduce production cost.

Thank you.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, लगातार कभी असम, कभी महाराष्ट्र, कभा ... * कभी कोई, के द्वारा, इस देश में सबसे ज्यादा बिहार के छात्रों पर अत्याचार और जूल्म क्यों होते हैं? नालंदा के 50 बच्चों को सिर्फ पैसे के कारण रड से चीरना, पीटना, बंधक बनाना और रैगिंग करना, कभी बेटियों को लाकर बेचना, ये बहुत गंभीर मामले हैं। मधेपुरा, पुर्णिया, किटहार, सहरसा, कुरसेला, जो सीमांचल का इलाका है, जो दिलत हैं, जो अल्पसंख्यक की बेटी हैं, वह इलाका अत्यधिक गरीब है, वहां की बच्चियों को शादी और नौकरी के नाम पर राजस्थान, हिरयाणा और पंजाब में लाया जाता है और शादी करके उनको 40-50 हजार रुपए में बेच दिया जाता है। वहां पर एक गैंग काम करता है। जिस तरह से नालंदा के छात्रों को रॉड से पीटा गया है, हिरयाणा में छात्रों पर ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, वहां बी.जे.पी. की सरकार है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि उन छात्रों की हिफाजत की जाए। पंजाब और हिरयाणा में एक गैंग गरीबों को लाकर बेचने का काम कर रहा है। अभी एक बच्ची को लाकर पानीपत में बेचा गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बिहार की बिद्यायों की हिफाजत की जाये और उस गैंग को पकड़कर उसका पर्दाफाश किया जाये ताकि बिहार की बिद्यायों का सम्मान हो सके।

DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Thank you Mr. Deputy Speaker, Sir. I am raising an urgent public importance issue pertaining to my North West Delhi Constituency.

In the year 1981, 82384 applicants had registered for plots in Rohini. This Scheme was floated by Delhi Development Authority. So far 25,000 registered applicants have not got their plots despite the fact that the Supreme Court had given clear-cut directions in the month of July that by 30th November, all the applicants should be given possession letters. But so far only 11,000 of them have received possession letters and the remaining 13,000 applicants are yet to get the letters. They have been running from pillar to the post for almost 33 years now.

I would request the hon. Minister of Urban Development to address their grievances at the earliest.

Thank you.

*



^{*} Not recorded.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I would like to draw the attention of the House to an important matter that India has the highest incidence of Tuberculosis in the world. The situation has further compounded because the drug resistant TB has also been growing alarmingly in our country.

In addition to it, I would like to draw the attention of the House to one another horrifying discovery has been occurred in India whereby it has been found that India has also become the highest number of Tuberculosis among the children out of 22 countries in the world. Every year, 74,000 to 1,30,000 children are dying due to Tuberculosis.

Diagnosing TB of those children is difficult because they do not produce enough sputum for the test. So, the situation calls for a well coordinated action plan, rather I would suggest on a war footing measure. All the Anganwadi workers should be trained in such a way that they can detect Tuberculosis among the children in our country.

Thank you.

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक -सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात सदन में कहना चाहता हूं कि राजस्थान के लोगों को इलाज के लिए काफी दूर-दूर तक जाना पड़ता है। मेरे संसदीय क्षेत्र टोंक-सवाई माधोपुर के आसपास लगभग सौ से डेढ़ सौ किलोमीटर तक कोई एम्स जैसा अस्पताल नहीं है। लोगों को अपनी बीमारी के इलाज के लिए जयपुर, कोटा या दिल्ली आना पड़ता है। लोगों का ज्यादा पैसा किराए-भाड़े में खर्च हो जाता है और रास्ते में उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में खारा पानी (फ्लोराइड) होने की वजह से लोगों को कई प्रकार की जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग चार सौ पंचायतें आती हैं। वहां के लोगों की यह अति महत्वपूर्ण मांग है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान के जिला टोंक में एम्स जैसा अस्पताल खोलने की कृपा करें क्योंकि वहां जो लोकल अस्पताल चल भी रहे हैं, उनमें कोई इक्विपमैंट नहीं है। कभी एक्सरे मशीन खराब होती है, कभी दवाई नहीं होती। पूरे देश में डाक्टरों की कमी

है, लेकिन प्रदेश में भी डाक्टर नहीं हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि एम्स जैसा अस्पताल टोंक में खोलना चाहिए।

SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): Hon. Deputy Speaker, Sir, I would like to thank you for allowing me to speak on an important issue of construction of the International Monument of Chhatrapati Shivaji Maharaj in the Arabian Sea at Mumbai for which the approval of the Central Government has not been released by the Union Ministry of Environment, Forests and Climate Change so far.

Sir, in this connection, I would like to submit that the Maharashtra Coastal Zone Management Authority has submitted the proposal through their letter dated 5th February, 2014 along with the minutes of the 88th meeting with the Ministry of Environment and Forests to consider a special dispensation under CRZ Notification, 2011 for the proposal of installation of the statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj in the Arabin Sea at Mumbai as permissible activity.

Through you, Sir, I would request the hon. Minister of Environment and Forests to look into the matter and consider a special dispensation under CRZ Notification, 2011 for the proposal of installation of the proposed statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj in the Arabian Sea at Mumbai. The powers may be delegated to the Maharashtra Coastal Zone Management Authority under CRZ Notification, 2011 to recommend this project from CRZ point of view to project proponent/planning authority at the State level. Thank you.

SHRI M. UDHAYAKUMAR (DINDIGUL): Hon. Deputy Speaker, Sir, I would like to thank you for allowing me to raise an important matter in this House.

I would request that all the express trains should have a stoppage at the Kodai Road railway junction, which is the gateway of Kodaikanal Tourism.

In Tamil Nadu, our hon. People's former Chief Minister, Amma has facilitated road transport in such a dynamic way that the public finds very easy to travel throughout the clock and throughout the nook and corner of Tamil Nadu.

Similarly, Railway also should function for the convenience of the people and not for any profitable business.

Tourists are finding extremely difficult to reach Kodaikanal, the Princess of the Hills because of non-stoppage of express trains like Vaigai, Nellai, Pothigai, Guruvayur express trains at this station.

I live close to this railway station. Since there is no stoppage of express trains here, it is very difficult for me too to move anywhere on time.

If there is a stoppage of all the express trains here, there will be a possibility to increase the number of tourists. If it is not possible for all the express trains to have a stoppage at this station, at least Vaigai and Guruvayur express trains should have a stoppage at this station.

I have written a letter to the hon. Railway Minister six months back and till today nothing has happened. The General Manager of the Southern Railway had conducted a meeting last month at Tiruchi in which he had explained that the exclusive power of stoppage of trains remains only with the decision of Parliament.

I would, therefore, request the hon. Railway Minister to take speedy action to have the stoppage at the Kodai Road railway junction. Thank you.

श्री ओम बिरला (कोटा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 32 हजार खानें हैं, जिसमें 20 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। मेरे इलाके कोटा, बूंदी लोक सभा क्षेत्र में 2 लाख से ज्यादा मजदूर खान में काम करते हैं। खान में काम करने वाले लोग सिलिका एवं अन्य अयस्कों के कारण फेफड़ों की गंभीर बीमारी सिलोकिस से ग्रस्त हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह मजदूर 40 साल की उम्र में मौत से जूझ रहा है। वहां पर छोटी-छोटी बीमारियों की जांच करने के लिए भी कोई उपकरण नहीं है। लंग्स, बायोप्सी, कैट स्कैन, फ्लोरिंग फंक्शन टैस्ट आदि करने की कोई फैसिलिटी नहीं है। वहां न्यूमोकोलिस बोर्ड बना हुआ है। उसके लिए स्पाइरोमीटर की भी जांच का कोई अंत नहीं है। मेरी इतनी ही मांग है कि केन्द्र और राजस्थान सरकार का खान विभाग और चिकित्सा विभाग मिलकर खान में करने वाले मजदूर की चिकित्सा जांच करें और जो 12.12.2014 220

मजदूर मौत से जूझ रहा है, उस बीमारी के इलाज के लिए वातावरण सुरक्षित बनाये। मेरी केन्द्र सरकार से यह भी मांग है कि खान मजदूर के इलाज की व्यापक व्यवस्था की जाये।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि खेलों में हरियाणा प्रदेश का नाम सबसे ऊपर आता है। हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने हर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का नाम, मान-सम्मान बढ़ाने का काम किया है। पिछले कई वर्षों की अगर हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता देखें तो देश में 30 से 50 प्रतिशत मैंडल्स हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी लेकर आये हैं। कॉमनवेल्थ में 39 में से 21 गोल्ड मैंडल्स हरियाणा प्रदेश से आये। एशियाई खेलों में 106 में से 34 मैंडल्स हरियाणा प्रदेश से आये। ओलम्पिक खेलों में 6 मैंडल्स में से 4 मैंडल्स हरियाणा पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों के आये। जिस खेल नीति - "पदक लाओ, पद पाओ" के आधार पर हरियाणा में नौजवान खेल की तरफ प्रोत्साहित हो रहे थे, मुझे खुशी है कि यहां खेल मंत्री जी स्वयं बैठे हैं, इस तरह की चर्चा चल रही है कि हरियाणा की सरकार इस खेल नीति को केवल इस बात के लिए बदलना चाहती है, क्योंकि यह खेल नीति पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जुड़ी हुई है। मैं समझता हूं कि जहां तक खेल की बात है तो यह राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। जिस खेल नीति के आधार पर हमारे खिलाड़ी 40 से 50 प्रतिशत मैंडल्स लेकर आये हैं, उस खेल नीति की सुरक्षा करना केन्द्र सरकार और खेल मंत्री का काम है। खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने इस खेल नीति की बहुत सराहना की है।

दूसरा, हमारी एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की मांग चली आ रही है। हमें उम्मीद है कि वह राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय हरियाणा में आयेगा। एक पूर्वोत्तर में आया, उसके लिए हमें खुशी है मगर हरियाणा में जल्दी आये, ऐसी हम उम्मीद लगाये बैठे हैं। उसकी मांग हर बार-बार करते हैं।

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र सीवान, बिहार में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के नाम से एक कुष्ठ आश्रम की स्थापना की गयी। उसमें परिजन भी जिसका परित्याग कर देते हैं, समाज के लोग जिसे उपेक्षित कर देते हैं, जो दर-दर की ठोकरें खाते हैं, ऐसे कुष्ठ रोगियों का इलाज, उनके रहने, खाने, पीने और कपड़े की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए केन्द्र सरकार उस संस्था को प्रत्येक साल 36 लाख रुपये देती थी, लेकिन वर्ष 1996 के बाद केन्द्र सरकार ने अचानक पैसा देना बंद कर दिया है। इस कारण वहां रोगी तबाह और परेशान हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए उस संस्था को कम से कम 50 लाख रुपये दिये जायें, यही मेरा आपसे आग्रह है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमिरेयागंज): माननीय उपाध्यक्ष जी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम को इस सम्मानित सदन ने पारित किया, हम और आप उसके साक्षी हैं, पूर्व सरकार ने उसे राज्यों में लागू नहीं किया। इसमें कहा गया था कि 70 परसेंट लोगों को एक रुपए में मोटा अनाज, दो रुपए किलो गेहूं और तीन रुपए किलो चावल दिया जाएगा। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार के खाद्य मंत्रालय ने दो बार चेतावनी दी, समय सीमा का विस्तार किया क्योंकि यह वादा था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर परिवार को, चाहे कोई मजदूर है, एक महीने का 35 किलो अनाज ले सकता है। अगर उसकी आय न्यूनतम आय से भी कम होगी तब भी कोई परिवार भुखमरी का शिकार नहीं होगा। मैं आपसे केवल यह कहना चाहता हूं कि 4 अप्रैल को केंद्र सरकार ने डैड लाइन दी कि अगर यह नहीं लागू होगा तो गरीबी की रेखा से ऊपर या एपीएल परिवार के लोग, जिनको खाद्यान्न सब्सिडी के आधार पर मिलता है, 5 अप्रैल से बंद हो जाएगा। इस तरह से निश्चित तौर पर बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।

में आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि राज्यों में इसे लागू किया जाए। धन्यवाद। SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL): Hon. Deputy Speaker, Sir, I beg to draw the attention of the Government of India to the increasing number of pilgrims travelling between Chennai and Shirdi. Presently, only one Express Train, Shirdi Express is operated between Chennai and Shirdi, that too weekly once.

The Train No.22601 starts from Chennai on every Wednesday morning and reaches Shirdi on the next morning with a journey time of nearly 25 hours. On the reverse side, the same train, No.22602, starts from Shirdi to Chennai and reaches Chennai on the next day.

This train stops in 23 stations between Chennai and Shirdi and covers a total distance of 1392 kilometres. In view of this, a large number of pilgrims in Tamil Nadu and Andhra Pradesh use this train to visit Shirdi. Since there is only one train every week, the reservation tickets are booked within a few hours of opening.

I urge the Government of India and the Ministry of Railways to operate this train on all the seven days of the week so that the passengers of both the States get the benefit. Thank you.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र मावल के अंतर्गत कार्ला एवं भाजा नाम से दो ऐतिहासिक प्राचीन गुफाएं हैं जो भारतीय पुरातत्व विभाग की देखरेख में हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में कार्ला गुफा के नजदीक लोनावाला है, कार्ला गुफा के नजदीक एकाविरा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। एकविरा देवी मंदिर आग्री समाज का प्रमुख पूजा स्थल है। यहां प्रतिवर्ष रायगढ़, मुम्बई, कोंकण और महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों से लाखों की संख्या में पर्यटक एवं भक्त देवी के दर्शन के लिए एवं गुफा देखने के लिए आते हैं। यहां नवरात्रों के समय पर्यटकों एवं भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है लेकिन इनके लिए जाने का कोई विशेष साधन नहीं है। इस कारण यहां आने-जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि कार्ला गुफा स्थित एकविरा देवी मंदिर जाने हेतु सरकार पुरातन विभाग एवं संबंधित विभाग को रोप-वे लगाने हेतु आवश्यक निर्देश दें जिससे इन ऐतिहासिक गुफाओं एवं एकविरा मंदिर में पर्यटक और भक्त आसानी से जा सकें। धन्यवाद।

*SHRI RAMESWAR TELI (DIBRUGARH): Hon'ble Deputy Speaker Sir, I would like to draw the attention of the House towards a very important issue. The Congress Government in Assam is harassing the Bengali Hindus residing in the state by declaring them as D-voters. I, therefore, urge upon the Central Government to intervene in this matter to ensure safety and security of the Bengali Hindus residing in the State of Assam. I also request the Union Government to take urgent steps to grant them Indian citizenship. It may be mentioned here that nowhere in our country the Bengali Hindus migrated from Bangladesh have been harassed in such an inhuman manner. As a result of such humiliating treatment meted out to Bengali Hindus, a few days back, a person namely Arjun Karmakar hailing from Assam's Cachar district committed suicide. In this regard, I would also like to draw the attention of the Union Home Ministry for early settlement of the issue.

*SHRI RAM PRASAD SARMAH (TEZPUR): Thank you, Hon'ble Deputy Speaker, Sir, I would like to draw the attention of the Government of India to a very serious issue being faced by the tea estate workers working in the tea gardens in Assam. The Congress Government in Assam has hatched a conspiracy to discontinue the supply of ration provided to the tea workers. As per an agreement signed between the tea estate owners and tea labourers, it is the responsibility of the tea estate owners to provide ration because with a meager daily wage of Rs.94, it is not possible for a tea worker to make both ends meet. I warn the state Government not to indulge in such conspiracy with the sole aim of depriving the tea workers of the supply of ration. The Assam Government should also refrain from spreading misinformation to malign the Central Government. In the mean time, I would also like to appeal the State Government to take appropriate steps to hike the daily wage of tea estate workers. The tea labourers should get their wages for Sundays and other holidays also. It is worthwhile to mention here that while other parts of our country, a tea worker gets Rs.220 to Rs.250 as daily wage, in

^{*} English translation of the speech originally delivered in Assamese.

Assam he gets just Rs.94. We have in Assam about 920 tea gardens that produce 51% of the country's total tea. But the condition of our tea workers is very bad. Sir, it is a very serious issue and I would like to request the Central Government to take urgent steps for betterment of tea estate workers.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again on Monday, the 15th December, 2014 at 11 a.m.

18.51 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 15, 2014/Agrahayana 24, 1936 (Saka).